खण्ड-314, अंक-1
शुक्रवार, 23 फाल्गुन, शक संवत् 1896
(14 मार्च, 1975 ई0)

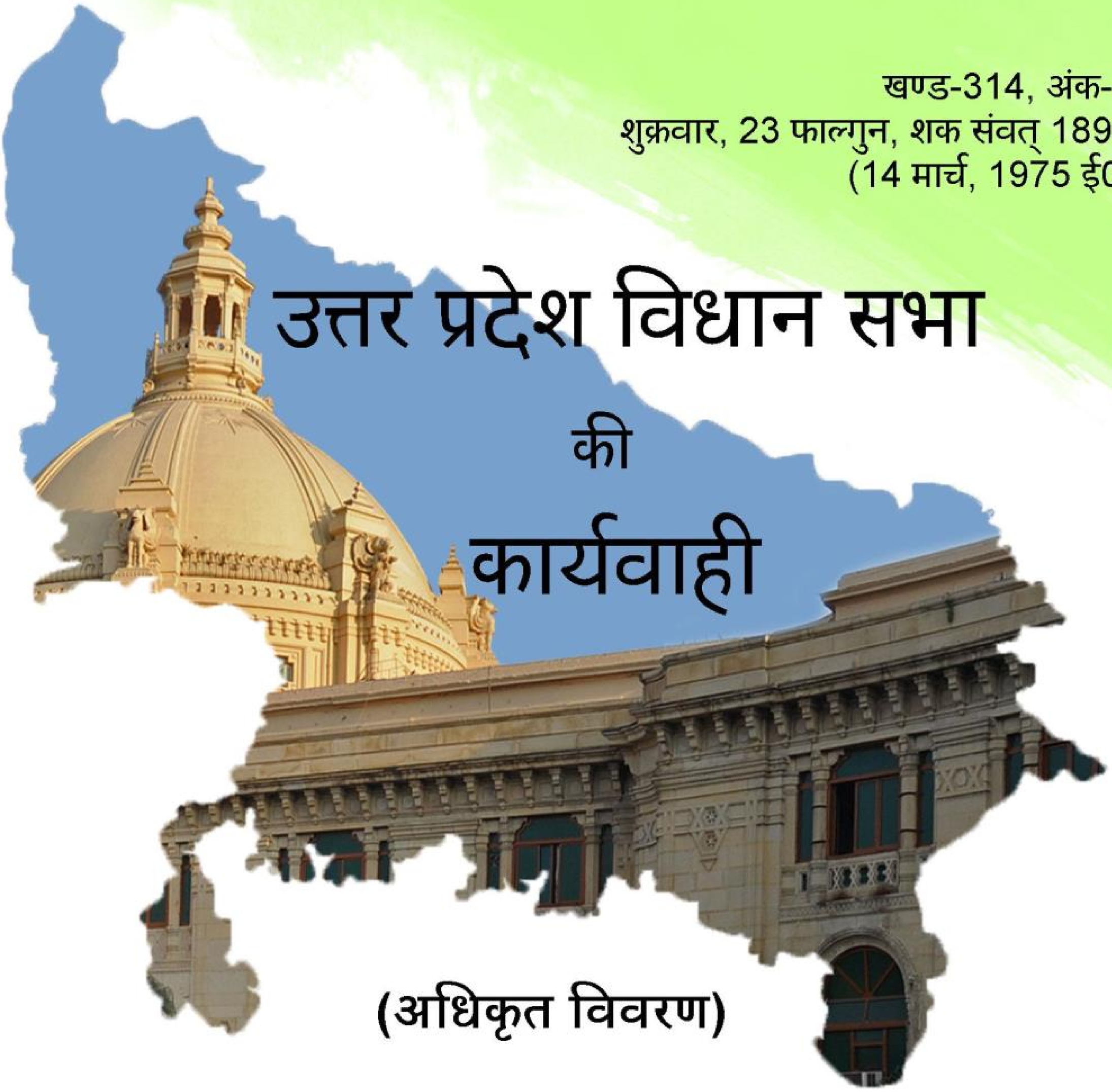

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 314 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

13561 7092

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १४ मार्च, १९७५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७३

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्र पाल सिंह, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमा नाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री

गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीचसिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नाथू राम, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पुरुषोत्तम लाल बघवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
महावीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिस्त्रयार खां, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राज बहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह मदौरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
राम चन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोहनलाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १४ मार्च, १९७५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कुष्ठ रोगियों को कानून के द्वारा अस्पताल में भर्ती करने का सुझाव

**१—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि नवीनतम जांच के बाद यह सिद्ध हो गया है कि कुष्ठ रोग के जीवाणु इस रोग के ग्रसित रोगियों की नाक में रहते हैं तथा यह जीवाणु उन रोगियों से हवा द्वारा अन्य व्यक्तियों तक पहुंच कर इस बीमारी को फैलाते ह ? यदि हां, तो इस रोग की भंयकरता तथा रोगियों की संख्या में बराबर बढ़ोत्तरी को देखते हुये क्या सरकार ऐसा कानून बनाने पर विचार करेगी, जिससे कुष्ठ रोगियों को अनिवार्यत : विशेष अस्पतालों में भर्ती किया जाय तथा उनके सम्पर्क में आये व्यक्तियों की जांच करा कर, इन्फेक्टेड व्यक्तियों को भी अनिवार्यत : विशेष अस्पतालों में भर्ती कराया जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रभु नारायण)—

हां, जानकारी है। कुछ कुष्ठ रोगियों में जीवाणु नाक में भी रहते हैं परन्तु बड़े विशेषज्ञों के मतानुसार यह जीवाणु हवा द्वारा अन्य व्यक्तियों को बीमारी फैला नहीं सकते। पूरे प्रदेश में कुष्ठ रोग के सर्वेक्षण की पर्याप्त सुविधा के अभाव में इस रोग की बढ़ोत्तरी के विषय में कहना सम्भव नहीं है किन्तु यह निश्चित है कि यह रोग बहुत ही धीरे-धीरे फैलता है। कुष्ठ रोगी के निरन्तर तथा निकट सम्पर्क में आने वाले लोगों में से केवल कुछ ही को दो तीन वर्ष के बाद यह रोग हो सकता है। सलफोन दवा के कुछ वर्ष उपचार करने से यह रोग ठीक हो जाता है तथा एक से दूसरे को फैलता भी नहीं। ऐसी स्थिति में सभी कुष्ठ रोगियों तथा उनके सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों को कानून द्वारा अस्पताल में भर्ती कराने का प्रश्न नहीं उठता।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

२४ फरवरी को "पायनियर" में एक समाचार छपा था, वह मैं माननीय मन्त्री जी की जानकारी के लिये पढ़ना चाहता हूं :

"Leprosy can be transmitted through the nose, where it forms a seat of infection long before other symptoms have become noticeable."

पूर्व इसके कि कोई और लक्षण मालूम हों कुष्ठ रोग नाक के द्वारा फैल सकता है।

"This is the finding of an intensive study on leprosy transmission conducted by doctors at the National Institute of Medical Research, London, on the basis of data collected from leprosy patients in South India."

दक्षिण भारत के कुष्ठ रोगियों के ऊपर सघन जांच के बाद लन्दन के नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल रिसर्च के डाक्टर इस नतीजे पर पहुंचे हैं :--

"Prolonged and intimate skin-to-skin contact had been considered as the most likely route of transmission of the leprosy bacteria, but Dr. J. C. Pedley, a British doctor working in Nepal, found in 1970 that the nasal discharges of leprosy patients contained many leprosy bacilli, but an insignificant number on the skin surface."

नाक के अन्दर कीटाणु बहुत ज्यादा पाये गये जबकि त्वचा पर बहुत कम।

"Dr. Pedley's finding was confirmed by Dr. T. F. Davey who found large number of the bacilli present in the nasal secretions of 956 leprosy patients in South India."

दक्षिण भारत के ९५६ रोगियों में यह पाया गया।

"Further studies on these findings indicate that a leprosy patient, in the early stage of the disease, can infect many people in his family or in his environment before he is diagnosed and his subsequent treatment may be largely irrelevent in terms of his ability to spread the disease further."

शुरू के स्टेज में कुष्ठ रोगी इस रोग को अपने परिवार के बहुत से लोगों में फैला सकता है।

यह एक बहुत बड़े इन्स्टीट्यूट की फाइंडिंग है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि लन्दन में जो नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल रिसर्च है उससे आप सारे तथ्यों की जानकारी प्राप्त करके इस सम्बन्ध में कोई आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री प्रभु नारायण--

कुष्ठ रोग दो तरह से होता है--एक तो नाक और त्वचा के द्वारा, दूसरे शरीर के अन्दर से। शरीर के अन्दर वाला बहुत बाद में विकसित होता है। लेकिन नाक और त्वचा पर कीटाणु पहले व्याप्त होते हैं। विभाग का मत यह है कि केवल हवा से यह मर्ज नहीं फैलता, जब तक कि कान्टेक्ट न हो, यह नहीं होता। कान्टेक्ट से जरूर यह मर्ज फैलता है। सलफून दवा से यह बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है और इसके बांटने की व्यवस्था है। फिर भी लन्दन इन्स्टीट्यूट से बात करने की जहां तक बात है, इसको हम देखेंगे।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

लखनऊ, वाराणसी, आगरा आदि में इनके रखे जाने की व्यवस्था है और जापानीज सहयोग से भी एक संस्था हमारे यहां चल रही है, तो यहां पर आने वाले पिछले 2-3 वर्ष के रोगियों की संख्या का पता लगा कर क्या सरकार इस बात की जानकारी करायेगी कि इन रोगियों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है ?

श्री प्रभु नारायण--

जहां तक सर्वे का सवाल है, १८० सेन्टर्स पर सर्वे का काम हो रहा है, उसी के आधार पर यह राय बनी है कि सलफून दवा से यह रोग ठीक हो सकता है। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

हिन्दुस्तान के जितने भी तीर्थ स्थान हैं वहां पर भिखारियों में यह रोग व्याप्त रहता है। तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि उनको किसी अस्पताल में भर्ती कराकर उनके खाने पीने की व्यवस्था हो ?

श्री प्रभु नारायण--

जो सरकारी अस्पताल हैं वहां इनके खाने-पीने की व्यवस्था है। जो अन्य संस्थायें हैं जहां यह मरीज रखे जाते हैं वहां पर भी फी मरीज १२ रुपये के हिसाब से सहायता सरकार द्वारा दी जाती है। ऐसे मरीजों को सहायता देने की बात तो हमेशा ही सरकार के सामने रही है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

जैसा कि मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया है कि यह रोग धीरे-धीरे फैलता है।

[* * * * * *]

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मन्त्री जी का ध्यान या उनके विभाग का ध्यान इस वक्त इस प्रदेश के सभी शहरों की सड़कों पर चाहे वे धार्मिक स्थान हों या गैर धार्मिक स्थान हों, उनकी तरफ गया है कि दक्षिण भारत के बहुत से कुष्ठ रोगी किसी कुष्ठ रोगी को ठेला पर बैठा कर उसका ठेला खींचते हैं और इस तरह से भीख मांगते हैं जिसकी वजह से यह छूत की बीमारी फैल रही है? दूसरी बात यह कि क्या इस तरह का कोई नियम सरकार बनाने का विचार कर रही है कि कुष्ठ रोगियों के खुले रूप में सार्वजनिक तरीके से उनके विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय और कुष्ठ रोगियों के अस्पताल चाहे वे व्यक्तिगत हों, चाहे सरकारी हों, उनमें अनुदान देकर,सरकारी पैसा खर्च करके उनके इलाज और उनके खाने की व्यवस्था की जाय, क्या सरकार इस पर विचार कर रही है?

श्री प्रभु नारायण--

जहां तक अस्पतालों में उनके रिहैबिलिटेशन की बात है, कुष्ठ रोगी की स्थिति ऐसी होती है कि वे जब पूरी तरह से बेकार होते हैं तो उनके पूरे रिहैबिलिटेशन का सवाल है। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है और साथ ही साथ केन्द्रीय सरकार के सामने भी यह प्रश्न गम्भीरता के साथ विचाराधीन है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि जो रोगी कुष्ठ अस्पताल में भर्ती होते हैं, वहां अपर्याप्त सुविधा के कारण वे भीख मांगने के लिये विवश होते हैं? वे सुबह अस्पताल में भर्ती होते हैं और जो उनको डायट मनी दी जाती है, आप सरकारी अस्पतालों के आंकड़े अपने सामने देख लें और जो सहायता प्राप्त अस्पताल हैं, जो विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित होते हैं उनके द्वारा जो प्रदत्त सुविधायें हैं और उसकी स्थिति है, इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी, जो रोगी भर्ती होते हैं चाहे वे प्राइवेट अस्पताल में हों या सरकारी अस्पताल में हों, उनकी डायट मनी और उनकी औषधियों की पूरी व्यवस्था करने पर शासन विचार कर रहा है?

श्री प्रभु नारायण--

जहां तक सरकारी अस्पतालों की बात है, उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने की बात है। और जहां तक स्वैच्छिक अस्पतालों की बात है, उनको हम फी पेशेंट १२ रुपये प्रति माह अनुदान के रूप में देते हैं।

[****] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

हमारे कानपुर में जी० टी० रोड पर एक लेप्रोसी अस्पताल है जिसका ग्रान्ट दो तीन साल पहले बन्द कर दिया गया था। फिर जब हम लोग आप से मिले तो स्वास्थ्य मन्त्री जी ने उस ग्रान्ट को रिहैबिलिटेट कर दिया लेकिन फिर भी वहां ग्रान्ट काट कर मिल रहा है, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस पर कुछ सोच रहे हैं कि फिर से उस अस्पताल को पूरी ग्रान्ट दी जाया करे ?

श्री प्रभु नारायण—

कुछ त्रुटियों के कारण ग्रान्ट बन्द हुआ होगा, फिर उसमें कुछ सुधार होने पर ग्रान्ट की शुरूआत कर दी गयी है। लेकिन ग्राइस साहब पूरी बात को मेरे सामने रखेंगे तो मैं अवश्य उसको देखूंगा और उसकी व्यवस्था करूंगा।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

मान्यवर, अभी मन्त्री जी ने बताया कि यह प्रश्न राज्य और केन्द्रीय सरकार दोनों के विचाराधीन है। मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब क्षय रोग की बीमारी की शुरूआत हुयी थी तो उसकी रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी और अब बाद में सरकार ने उसकी तरफ ध्यान दिया है और अब भी इस पर नियन्त्रण नहीं किया जा सका है। मान्यवर, क्या सरकार चाहती है कि इसी तरह से कुष्ठ रोग भी फैल जाय और तब तक यह सरकार के विचाराधीन रहे। मान्यवर, अभी माननीय राम चन्द्र बख्श सिंह ने कहा था कि गले-सड़े अंगों वाले रोगियों को तुरन्त हटा करके उनको अस्पताल में भर्ती किया जाय। यदि ऐसा सरकार करती है तो मैं ठीक समझूंगा नहीं तो यह समझा जायगा कि सरकार कुष्ठ रोग को फैलने देना चाहती है तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सड़कों पर जो सड़े गले अंगों वाले रोगी हैं उनको अनिवार्य रूप से अस्पतालों में भर्ती करने की व्यवस्था कर दी जायगी ?

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, जहां तक सड़े-गले अंगों वाले लोगों को अस्पताल में भर्ती करने और उनका आपरेशन करने की बात है तो अभी तत्काल मेडिकल कालेज, कानपुर में इसकी व्यवस्था की गयी है, गोरखपुर में २० बेड वाला अस्पताल बनाया जा रहा है। मान्यवर, हमारी कोशिश यह है कि अस्पतालों के माध्यम से आपरेशन करके और दूसरे माध्यम से इसको पूरी तरह ठीक करने का प्रयत्न करें। लेकिन जो इस समय वित्तीय स्थिति है उसमें जितना सम्भव होगा उतना करने का प्रयास अवश्य किया जायगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे भी एक सवाल करने की आज्ञा दी जाय। सरकार ने आश्वासन दिया था.....

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दीजिये।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, यह बड़ा भयानक रोग है। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—

नहीं, इजाजत नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, इन रोगियों की सहायता के लिये जो कम्बल और दस्ताने आते हैं, उनका ब्लैक हो रहा है। उनकी चोरी हो रही है...

श्री अध्यक्ष—

इसकी मैं इजाजत नहीं देता, यह सवाल विषय से सम्बन्धित नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर जिले के नौतनवां विकास क्षेत्र में ओले से क्षति

*१—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि गत ३१ जनवरी, १९७५ की शाम को गोरखपुर जनपद के उत्तरी भाग नौतनवां विकास क्षेत्र में बड़े जोरों का ओला पड़ा जिसमें गेहूं, मटर, अरहर और लाही की फसलों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ? यदि हां, तो किसानों को राहत पहुंचाने के लिये सरकार ने तुरन्त क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

दिनांक ३१ जनवरी, १९७५-१ फरवरी, १९७५ की रात्रि में विकास क्षेत्र नौतनवां के २५ ग्रामों में ओलावृष्टि हुई जिसमें गेहूं, मटर, अरहर, लाही तथा चना की खड़ी फसलों को रुपये में २० पैसे से लेकर ४० पैसे तक की क्षति हुई। ओलावृष्टि से फसलों को ५० पैसे से ऊपर की क्षति नहीं पहुंची, इस कारण तत्काल कोई सहायता नहीं दी गई।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने बताया कि २० पैसे से लेकर ४० पैसे तक क्षति हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस्टीमेट जो है वह खेतों में जो नुकसान हुआ है तो प्रत्येक खेत के हिसाब से है या फिर गांव की जो पूरी फसल बरबाद हुयी है, रकबे के हिसाब से है, या रबी खरीफ को जोड़ करके जो क्षति हुयी है उसके हिसाब से है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, जो प्रोपोजल आया है, वह पूरी जो क्षति हुयी है उसके हिसाब से है, खेत वार नहीं है। जब पता लग जायगा कि इतनी क्षति हुयी है तो सहायता दी जायगी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मान्यवर, सवाल यह पैदा होता है किसान से लेवी भी ली जायगी और लगान भी वसूला जायगा। जिनके खेत में पत्थर पड़ गया है उनके खेत का सारा अनाज झर गया है और फसल पूरी तरह से बरबाद हो गयी है। नुकसान जो, आपके पास आता है वह पूरे गांव के हिसाब से आता है। पर पत्थर जो पड़ता है वह अगर माना ५० बीघे में पड़ा तो उसी सीध में पड़ता चला जाता है। बाकी सारी जमीन पर नहीं पड़ता है। और बाकी बच जाता है। इस्टीमेट है वह सारे को मिलाकर आता है इसलिये जितनी क्षति होती है और जो उसका अनुमान लगाया जाता है वह कम हो जाता है। इस तरह से मान्यवर, अगर किसान के ऊपर लेवी लगायी जायगी तो वह मर जायगा। क्योंकि खेत में एक पैसे की भी फसल नहीं बची है। तो क्या आप खेत वार सर्वे करायेंगे और जिन लोगों का नुकसान हुआ है अगर उनको लगान से मुक्ति न दिला सके तो कम से कम लेवी से मुक्त करा देगें?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, मैंने पहले ही निवेदन किया है जब फाइनल प्रोपोजल खेतवार का सही आ जायगा तो जो राहत दी जानी चाहिये वह दी जायगी। अभी खेतवार नुकसान का प्रोपोजल नहीं आया है, जब आयेगा तब राहत दी जायगी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मान्यवर, अभी मन्त्री जी ने बताया कि २५ गांव हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से गांव हैं जिनमे ४० पैसे क्षति हुयी है और कौन-कौन से गांव हैं जिनमे २० पैसे क्षति हुयी है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि बचत के लिये १० पैसे कम की क्षति दिखायी गयी है क्योंकि अगर ५० पैसे दिखायी जाती तो सहायता देनी पड़ती। इसीलिये क्या १० पैसे की कटौती कर रहे हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, इसमें ५० प्रतिशत की क्षति पर राहत देने की आवश्यकता होती है, इसके नीचे वालों को कोई राहत की आवश्यकता नहीं है।

श्री गोविंद सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, ओला प्रदेश में सब जगह पड़ा है लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में भयंकर ओलावृष्टि हुयी है। तो मन्त्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश से इस बात के आंकड़े मंगा लेंगे कि किस जिले में ओलावृष्टि से क्षति हुयी है और तब यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने प्रतिशत राहत किसानों को दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो बयान के लिये स्वीकार कर लिया गया है और इस पर फिर जवाब आयेगा।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, पूरे सूबे में जहां-जहां ओले से नुकसान हुआ है उसके लिये जिलाधिकारियों के प्रोपोजल मांगे गये हैं। जहां नुकसान ५० प्रतिशत से ऊपर होगा उस पर राहत देने की बात होगी।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि ३१ जनवरी को मटर और लाही की फसल बिल्कुल पक के तैयार थी और ओले पड़ने से पूरी फसल नष्ट हो गयी ? नौतनवां में लाही और मटर क्रैश क्राप है। क्या इस जानकारी को सही मानकर इस बात पर विचार करेंगे कि लाही और मटर की पूरी फसल नष्ट हो गयी है इसलिये उस पर छूट देने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, माननीय सदस्य इस बात से सहमत नहीं होंगे कि ३१ जनवरी को पूरी फसल तैयार हो जाती है। लेकिन जो नुकसान हुआ है, उसको देखेंगे।

गोरखपुर जिले की तहसील, महराजगंज के फाटक पर श्री गंगा प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनशन

*२—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील के तहसीलदार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध छात्र नेता (श्री गंगा प्रसाद द्विवेदी) दिनांक १७ फरवरी, १९७५ से तहसील मुख्यालय पर अनशन कर रहे हैं जिसकी व्यापक प्रतिक्रिया क्षेत्र में हो रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, एक व्यक्ति श्री गंगा प्रसाद द्विवेदी ने तहसील महराजगंज, जिला गोरखपुर के कार्यालय के फाटक पर दिनांक १७ फरवरी, १९७५ से अनशन आरम्भ किया था तथा उन्होंने उसे अपने आप ही दिनांक २२ फरवरी, १९७५ को समाप्त कर दिया। इस अनशन की उस क्षेत्र में कोई व्यापक प्रतिक्रिया नहीं हुई। अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है वह एक दम सत्यता पर पर्दा डालने वाला है। श्री गंगा प्रसाद द्विवेदी जो छात्र नेता हैं उन्होंने उस क्षेत्र के संसद सदस्य श्री सक्सेना के आश्वासन पर अनशन तोड़ा है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री द्विवेदी कितने मुद्दों को लेकर अनशन कर रहे थे और इन्होंने जांच कराने की क्या कार्यवाही की है और जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, श्री गंगा प्रसाद द्विवेदी जो हैं उनके सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट आ गयी है। जांच से मालूम पड़ा कि श्री गंगा प्रसाद द्विवेदी न तो छात्र नेता हैं और न पढ़ते थे।

एक सदस्य—

क्या मन्त्री जी छात्र नेता की परिभाषा बतायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्री द्विवेदी जी के बारे में जो जांच हुई ....

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। भ्रष्टाचार के आरोप में क्या जांच हुयी यह बतायें ?

श्री अध्यक्ष—

पहले आप सुन लें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

भ्रष्टाचार का आरोप ही है तो जांच कैसे होगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्री द्विवेदी के बारे में जो जांच हुई उसके बारे में है कि वह व्यक्तिगत स्वार्थों के ऊपर अनशन कर रहे थे। उनके चाचा और पिता के ऊपर बकाया था इसलिये वारन्ट गया तो उन्होंने अनशन किया। और जांच से यह मालूम पड़ा कि यह छात्र नहीं हैं, और यह ऐसे व्यक्ति हैं, जो तरह-तरह के भ्रष्टाचार करते हैं। कई संस्थाओं के प्रतिवेदन भी आये हैं कि यह बहुत खराब आदमी हैं, और धुड़की देकर कमाया करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर) प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति के बारे में आपने प्रश्न किया, उसका उत्तर आ गया, और आप क्या चाहते हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

यह तो ऐसे ही हैं कि सवाल दीगर और जवाब दीगर ...

श्री अध्यक्ष—

सत्य क्या है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

श्री गंगा प्रसाद द्विवेदी ने तहसीलदार के खिलाफ अनशन किया तो तहसीलदार के खिलाफ क्या आरोप थे ?

श्री अध्यक्ष—

वह जो अनशन कर रहे हैं वह तो स्वयं अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिये अनशन कर रहे हैं। मैं इस विधान सभा को जुर्म और भ्रष्टाचार से बचने का स्थल नहीं बनने दूंगा। इसके लिये आप कोर्ट में जायें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न पुकारने पर)

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, आप इस पर व्यवस्था दें। किसी भ्रष्ट आदमी को भ्रष्टाचार छिपाने का अवसर नहीं देना चाहते। ठीक है। मैं नहीं जानता वह व्यक्ति कैसा है। आप इस पर व्यवस्था दें कि अगर मान लें कोई आदमी अच्छा है या बुरा है लेकिन उसका अधिकार है या नहीं कि जुर्म की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करे या न करे ?

श्री अध्यक्ष--

अनशन कोई.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अनशन की बात नहीं है। अगर इनकी बात मान लें कि वह ऐसा आदमी है लेकिन उसने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया.....

श्री अध्यक्ष--

किसी एक व्यक्ति के अच्छा या बुरा होने के बारे में बहस स्वीकार नहीं करना चाहता। यह कहें कि अच्छा है और इधर से कहें कि बुरा है तो एक व्यक्ति पर डिस्कशन हो, यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

प्रश्न यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दीजियेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

सवाल यह है कि जो प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं आया। आपकी जानकारी के लिये बतला दूं कि गंगा प्रसाद द्विवेदी कांग्रेस युवक मोर्चे का सदस्य है।

श्री अध्यक्ष--

यह बहस की जगह नहीं होगी। एक कहेगा कि अच्छा है, दूसरा कहेगा कि बुरा है। अगर मैं ऐसा समझता तो मैं इस प्रश्न को स्वीकार ही न करता क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में यह प्रश्न हो गया।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

तहसीलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसका उत्तर तो आने दीजिये। आपने यह प्रश्न स्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष--

यह हमारा अधिकार है कि कौन सवाल स्वीकार करें, कौन सवाल स्वीकार न करें। हमने समझा कि कोई सार्वजनिक मामला है। ऐसा नहीं समझा था कि एक व्यक्ति का मामला है। अगर आप इस पर बहस करना चाहते हैं तो आप बहस कीजिये। इधर से भी बहस करा देंगे और आगे सवाल न हों।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

तहसीलदार ने जो भ्रष्टाचार किया है उससे लाखों लोग प्रभावित हुये होंगे। क्या भ्रष्टाचार का मामला सार्वजनिक नहीं होता ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। आप चाहते हैं तो ठीक है बहस हो जायेगी और हो जाय अब रुक जाइये।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण दे दूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

बहस चाहते हैं, तो ठीक है, बहस कीजिये।

कई सदस्य--

मन्त्री जी जवाब ठीक दें सवाल का....

श्री अध्यक्ष--

जवाब तो दे दिया। मैं उसको नहीं बढ़ाने देना चाहता ...

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

तहसीलदार के भ्रष्टाचार के बारे में सरकार जवाब दे।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बहस चलाना चाहते हैं, तो चलाइये, हमारा क्या लगता है? मैंने तो इसलिये टोक दिया ....

(शोर)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण दे दूं।

श्री द्विवेदी के बारे में उक्त व्यक्तिगत निहित स्वार्थ के अतिरिक्त यह भी ज्ञात हुआ है कि यह किसी कालेज के छात्र नहीं हैं और न महराजगंज कस्बे के निवासी हैं। यह महराजगंज में रहकर छात्र नेता बनकर उत्पात किया करते हैं और यही इनके जीवकोपाजन का साधन है। महराजगंज की कई समाजसेवी संस्थाओं व व्यक्तियों, जैसे किसान मजदूर संघ, पाण्डेय, भूतपूर्व संचालक युवा संघर्ष समिति तथा श्री कमर अहमद अधिनायक, कांग्रेस सेवा दल ने लिखकर श्री द्विवेदी के इस कार्य का खण्डन किया है एवं श्री द्विवेदी को एक गलत प्रकार का व्यक्ति बताते हुये उनके तथाकथित अनशन की बुराई की है।

यह भी ज्ञात हुआ कि श्री द्विवेदी एक हलवाई की दुकान पर बैठकर अनशन कर रहे थे। (हंसी)।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, इस सवाल का जवाब सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि सरकार का रवैया हो गया है कि एक कसूर को दूसरे कसूर से ढांकती है। मेरा सीधा सवाल है जिस पर कृपया मन्त्री जी गौर करेंगे। जिसने शिकायत किया, उसके दोषों का वर्णन कर दिया, लेकिन जिसके खिलाफ शिकायत है, वह अफसर है, जो इलाके के सारे जनसमाज से सम्बन्धित है। अगर मन्त्री जी कहते कि जांच हुयी और शिकायत निराधार है, तो मेरी समझ में बात आती। लेकिन यह कहना कि जिसने शिकायत की है, वह बड़ा खराब आदमी है, यह बात ठीक नहीं। मान्यवर, मान लें, मैं बड़ा खराब आदमी हूं। मैं सवाल करता हूं कि अमुक व्यक्ति डकैती में पकड़ा नहीं गया। इस पर जवाब यह दिया जाय कि मैं खुद डकैत हूं, यह सवाल का जवाब नहीं हुआ और यह बड़ी खराब बात है। मन्त्री जी कृपया बतायें कि तहसीलदार के खिलाफ शिकायतें सही हैं या गलत?

श्री अध्यक्ष--

मुझको ऐसा लगा कि यह व्यक्तिगत मामला है, इसलिये मैंने टोक दिया। अगर आप चाहें ....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

तहसीलदार के बारे में जांच हुई कि नहीं? जांच के क्या परिणाम हुये? मन्त्री जी बता दें तो बात खत्म हो जायेगी।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

अनशन करने का कारण यह था कि . . . .

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माधव प्रसाद त्रिपाठी ने जो बात कही उस पर व्यवस्था चाहता हूं। ऐसा उन्होंने कहा कि जिन्होंने शिकायत की है,उनके बारे में कहा गया कि वह भ्रष्टाचारी हैं और उन्होंने कहा कि शिकायत करने वाले को तो भ्रष्टाचारी कह दिया लेकिन तहसीलदार को कुछ नहीं कहा। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि लगातार मिथ्याचरण करने वाला सत्य पर चलने की बात कहे तो उसका असर माधव प्रसाद त्रिपाठी जी पर क्या पड़ेगा ? (व्यवधान) इस तरह से इस सदन की कोई मर्यादा नहीं रह जायगी। अगर पाकेट मारने वाले, चोर और उठाईगीर दूसरे लोगों की शिकायत करने लगें और सरकार उसका अन्दाजा लेने लगे तो पब्लिक लाइफ की कोई मर्यादा नहीं रहेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अगर मैं काशी नाथ जी की सलाह मान लूं तो इस सरकार को टिकना नहीं चाहिये क्योंकि २४ घंटे में २३ घंटे यह मिथ्यावाद करती है।

श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)--

मेरे पड़ोस का यह रहने वाला लड़का है। वह सब्जी वालों की सब्जी उठा लेता है और किसान जो अनाज ले कर जाता है उनसे अनाज छीन लेता है। महाराजगंज में उसने कई दूकानें लुटवा दीं।

एक सदस्य--

यह व्यक्तिगत छींटाकशी की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)--

भ्रष्टाचारी को आप छिपाना क्यों चाहते हैं ? इतने भ्रष्ट आदमियों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशीनाथ जी ने जो सवाल उठाया था उसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न निहित नहीं है। त्रिपाठी जी ने जो बात कही वह सिद्धान्त रूप से सही बात है। मैं उनसे सहमत हूं। लेकिन जब मुझे लगा कि एक व्यक्ति का मामला है। उसके बारे में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं तो दोनों पक्ष को रोकना कठिन हो जाता। इसलिये मैंने कहा कि आगे चला जाय।

श्री रघुराज सिंह (जिला देवरिया)--

काशीनाथ जी ने जो बात कही वह क्या गलत है ?

श्री अध्यक्ष--

काशीनाथ जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। उसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न निहित नहीं है। माधव प्रसाद जी के बात से मैं सहमत हूं। जो प्रश्न किया जाय उसका ही उत्तर दिया जाना चाहिये और अगर शिकायत करने वाला व्यक्ति दोषी है तो शासक दल को पूरा अधिकार है उसे जेल में बन्द कर दे। अब इस में मैंने देखा कि एक पक्ष किसी व्यक्ति को अच्छा कह रहा है, दूसरा बुरा तो यह मामला विवादास्पद बन जाता है। इसलिये मैंने कहा कि आगे चलना उचित होगा।

श्री काशी नाथ मिश्र--

वह आपकी व्यवस्था का समर्थन कर रहे थे।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

जो अनशनकारी था उसका एक ही पक्ष उद्घाटित हुआ है। दूसरा पहलू उसका नहीं आया है। दूसरे पक्ष के बारे में भी उत्तर आना चाहिये था। जिसके बारे में यह प्रश्न उठा था उसका उत्तर तो सामने आया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—

एक ऐसा ही पूर्व में भी मामला उठा था। यहां पर उस सम्बन्ध में चर्चा हुई और उसके बाद बहुत से लोग जेल में बन्द हो गये। उसमें से एक आदमी जमानत करके मेरे पास आया और उसने मुझसे सवाल किया कि यदि अत्याचार विधान सभा करेगी, तो हम कहां जायेंगे। तो वह गलत हो जाता है। यदि ऐसे मामलों को आप यहां पर लेंगे और उनका ऊहापोह आप करेंगे तो उससे बाहर नुकसान हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि ऐसे मामलों पर कोई राय हम न दें, तो अच्छा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं आपकी बात से बिलकुल सहमत हूं लेकिन एक व्यक्ति के बारे में जो शिकायत की गई जिसके चरित्र के बारे में किसी ने चर्चा नहीं मांगी, हो सकता है कि कोई सम्बन्धित व्यक्ति ही गलत सूचना देता हो अपनी रक्षा में देता हो. . . . . .

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टेहरी गढ़वाल)—

अभी सत्ता कांग्रेस के लोगों को. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

म आपको इजाजत नहीं देता हूं। यह कोई बाजार है ?

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

आप तो ऐसी बात कह देते हैं जो बहुत गलत है और जिससे बहुत दुख होता है . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अच्छा तो आप चलायें सदन को। माननीय मंत्री जी ने शुरू में ही प्रश्नोत्तर में कहा कि जी हां, एक व्यक्ति श्री गंगा प्रसाद द्विवेदी ने तहसील महाराजगंज, जिला गोरखपुर के कार्यालय के फाटक पर दिनांक १७ फरवरी, १९७५ से अनशन आरम्भ किया था तथा उन्होंने इसे अपने आप ही दिनांक २२ फरवरी, १९७५ को समाप्त कर दिया। इस अनशन की उस क्षेत्र में कोई व्यापक प्रतिक्रिया नहीं हुई। अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता। उत्तर में कोई आक्रमण उन्होंने नहीं किया था। फिर अपने जवाब में मंत्री जी ने कहा होता कि वह आदमी भ्रष्टाचारी है तब तो वह उठ सकता है। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, उस व्यक्ति से जनजीवन को और जनता को नुकसान हो सकता हो तो आप भी उसे बचाना नहीं चाहेंगे। मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि जब मेरे पास भी एक बूढ़ा व्यक्ति ऐसे ही मामले में आया और उसने मुझसे पूछा तो मैं निरुत्तर हो गया। इसलिये हम ऐसे मामले में राय न दें। अब हम आगे चलते हैं।

[१४ मार्च, १९७५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

फतेहपुर जिले में टेस्ट वर्क की मांग

*१—श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

विधान सभा के तृतीय सत्र १९७४ के दूसरे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या १ व २ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टेस्ट वर्क में फतेहपुर जिले की कोई धनराशि क्यों नहीं दी गयी जब कि तालिका १ में फतेहपुर का नाम भी उल्लिखित है और क्या यह जिला भी सूखा व बाढ़ से हमीरपुर, इलाहाबाद व बांदा जिले की तरह प्रभावित होने के कारण जिलाधीश, फतेहपुर की रिपोर्ट शासन को बराबर आती रही ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

फतेहपुर जिले से टेस्ट वर्क के लिये शासन को कोई मांग नहीं प्राप्त हुई अतः कोई धन इस जिले को नहीं आबंटित किया गया। यद्यपि यह जिला सूखा और बाढ़ से प्रभावित हुआ था और शासन को जिलाधिकारी से इस आशय की रिपोर्ट मिलती रही किन्तु इस जिले की दशा हमीरपुर, इलाहाबाद और बांदा जिलों की तरह खराब नहीं रही।

श्री प्रेम दत्त--

मान्यवर, मेरा प्रश्न जो है वह इस उत्तर में निहित है। उसको आप देख लें उसमें लिखा हुआ है, "यद्यपि यह जिला सूखा और बाढ़ से प्रभावित हुआ था शासन को जिलाधिकारी से इस आशय की रिपोर्ट मिलती रही है।" तो यह स्वयं उन्होंने कहा है लेकिन उसे धन नहीं दिया गया है। तो मेरा प्रश्न यह है कि किसकी मांग पर आप धन देंगे ? दूसरा यह कि यदि उस बाढ़ग्रस्त जिले से जिलाधिकारी से रिपोर्ट आई थी तो वह क्या थी ? उसे आप बता दें। तीसरा यह कि मैंने स्वयं लिखकर दिया था राजस्व मंत्री जी को तो क्या मेरी मांग उस परिभाषा में आती है या नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, अगर जिलाधिकारी से रिपोर्ट आती है और उसमें यह देखते हैं कि राहत की आवश्यकता है तो उसकी रिपोर्ट एस्टीमेट के साथ आती है। शासन से, विभाग से उसका एस्टीमेट आता है उसमें अगर राहत की आवश्यकता होती है तो रुपया आवंटित किया जाता है। अगर माननीय सदस्य देते हैं तो उसके साथ एस्टीमेट वगैरह नहीं होते हैं जिससे यह मालूम हो कि कितना नुकसान हुआ है। तो यह जिला जो है उस हद में नहीं आया जिसमें राहत कार्य की आवश्यकता पड़े।

श्री प्रेम दत्त--

मैंने कहा कि जिलाधिकारी ने जो मांग की और उसकी जो रिपोर्ट आई जिसे वह बराबर भेजता रहा तो वह क्या मांग थी ? दूसरा यह कि वह कौन सा मापदंड है जिसमें बांदा, हमीरपुर और इलाहाबाद की तरह वहां सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जिलाधिकारी से रुपये की मांग नहीं आई है यह मैं पहले बता चुका हूं। जो सूचना आई उसमें सिर्फ यह सूचना आई कि यहां इस तरह की हालत है लेकिन यह नहीं आया कि इतना प्रभावित हुआ है। जहां तक मेरे जिले का सवाल है आपको शक है कि हमीरपुर का मैं मंत्री हूं इसलिये वहां ज्यादा धन ले गये। तो उसके आंकड़े मैं आपको बता दूं। इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर और फतेहपुर में जो बारिश हुई है वह इस प्रकार से है जो फतेहपुर में ज्यादा है। जुलाई महीने में जो वर्षा हुई वह फतेहपुर में ३३३.५० हमीरपुर में ११८.००, इलाहाबाद में २५४.०० और बांदा में १८७.०० फिर अगस्त महीने में आप देखें जो वास्तव में वर्षा हुई है वह २५६ फतेहपुर, १९६ हमीरपुर, १९२ इलाहाबाद, २९३ बांदा इसके बाद जो सितम्बर में वास्तव में वर्षा हुई २३.८५ फतेहपुर, हमीरपुर ४०, इलाहाबाद ५०, बांदा ५०। तो उस हिसाब से फतेहपुर सूखाग्रस्त नहीं था।

श्री काशी नाथ मिश्र--

माननीय मंत्री जी से प्रेमदत्त तिवारी जी के सवाल के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि किसी जिले को सहायता दें उसमें केवल आब्जेक्टिव फैक्टर ही सामने रखते हैं या सब्जेक्टिव एप्रोच भी रहती है ?

श्री अध्यक्ष--

सब्जेक्टिव एप्रोच (आत्म परक) से आपका क्या मतलब है ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

मेरा कहना यह है कि आप दोनों चीजों को सब्जेक्टिव और आब्जेक्टिव फैक्टर्स को सामने रखते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आत्म-परक एवं तथ्य-परक कहें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

इसका अथ म बता देता हूं कि जहां के मंत्री हैं वहीं रुपया मिलता है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

उपाध्यक्ष जी, आप ऐसा मत कहिये। इसीलिए तो आप उपाध्यक्ष नहीं हो पाये।

श्री प्रेम दत्त--

सूखा के लिये नहीं तो बाढ़ग्रस्त के लिये भी सहायता देते हैं तो उसमें फतेहपुर को कितना धन दिया गया ? इसमें जिन जिलों को रुपया दिया गया है उसमें बाढ़ और सूखे के अनुपात में फतेहपुर की क्या स्थिति थी ? और किस अधिकारी की मांग पर इन जिलों को दी गई, यह आप बता दें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इन जिलों का जहां तक सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने इन जिलों को अपने प्रश्न में लिखा था, इसलिये यह सूचना उपलब्ध है। लेकिन माननीय सदस्य या पब्लिक वाले आदमी के कहने से खेतों का एक्चुवल एस्टीमेट नुकसान का नहीं आता है, जो लेखपाल और डी० एम० वगैरह भेजते हैं। हमारा यह नियम है कि अगर बाढ़ और सूखे से कोई क्षति हो तो वे अधिकारी उसका हिसाब करके भेजें, वास्तव में नियमानुसार क्षति होगी तो राहत दी जाएगी। यदि सदस्य ने दिया, तो हम उससे असली नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं।

श्री शिव कुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)--

जैसा कि मंत्री जी ने बताया फतेहपुर में बाढ़ आई है, लेकिन उसने मांग पैसे की नहीं की है, जब कि बाढ़ और सूखे से लोग परेशान होते हैं और उनके लिये पैसे की बड़ी आवश्यकता होती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब बाढ़ और सूखे की इत्तिला देने के बाद भी उस जिलाधीश ने पैसे की मांग नहीं की तो क्या उससे जवाब तलब किया जाएगा कि उसने धन की मांग क्यों नहीं की या पैसे की जरूरत ही नहीं थी ? जिले का अधिकारी अपने कर्त्तव्य से विमुख हो जाए.....

श्री अध्यक्ष--

जिलाधिकारी विमुख कैसे हो जाए, आप प्रश्न करें ?

श्री शिवकुमार पाण्डेय--

बाढ़, सूखे से ग्रस्त जिले का डी० एम० रिपोर्ट न करे और विधायक रिपोर्ट करें तो क्या मंत्री जी अपना कर्त्तव्य समझते हैं कि उसकी स्थिति में उसकी जांच करके, उसको सहायता दी जाए ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जिलाधीश पर ऐक्शन लेने की बात नहीं, मैं तो स्वयं बड़ा ऐक्शन लेने वाला हूं। लेकिन बाढ़ से नुकसान नहीं हुआ है तो वह रुपया क्यों मांगे ? बाढ़ आई, लेकिन इस हद तक नुकसान नहीं है तो वह कैसे मांगे, इसमें उसका क्या दोष ? उसने राहत कार्यों की आवश्यकता इतने बड़े पैमाने पर नहीं समझी।

वन विभाग के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक वन कर्मचारी संघ के संयुक्त मंत्री (श्री सुदर्शन सिंह) द्वारा १ दिसम्बर, १९७५ अथवा उसके पास लिखा गया कोई इस आशय का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कि उन्होंने वन विभाग में शीर्षस्थ अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण सरकार को प्रतिवर्ष ३५ करोड़ रुपये की क्षति का उल्लेख किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

श्री सुदर्शन सिंह का दिनांक ४ दिसम्बर, १९७४ का शिकायती पत्र मुख्य अरण्यपाल को प्राप्त हुआ था। उसमें ३५ करोड़ रुपये की क्षति का उल्लेख नहीं था किन्तु उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा कर्मचारियों को परेशान करने के आरोप थे। मामले की जांच की जा रही है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिकायती-पत्र पाने के बाद ही शिकायतों का ज्ञान सरकार को हुआ या इसके पहले भी उसे इसका ज्ञान था ? जांच कौन कर रहा है और कब तक समाप्त हो जाएगी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

श्री सुदर्शन सिंह हमारे विभाग में रेंजर हैं। इन्होंने पहले अन्य शिकायती-पत्र भेजे थे। किंतु वे वेग थे अतएव उनसे कहा गया था कि वे स्पेसफिक शिकायतें लिखकर दें। इस पर उन्होंने दिसम्बर में स्पेसफिक चार्जेज दिए हैं। उनकी जांच मुख्य अरण्यपाल के जरिए कराई जा रही है। अब चूंकि मुख्य अरण्यपाल, श्री सिंह रिटायर हो चुके हैं, इसलिये नये मुख्य अरण्यपाल अब उनकी जांच कर रहे हैं।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मैं जानना चाहता हूं कि वन निगम का अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया है, उनके विरुद्ध सतर्कता आयोग द्वारा जांच हो रही है और उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं, उसकी क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम अधार--

इस विभाग में ३५ करोड़ का घोटाला है, उस भ्रष्टाचार से ही यह सम्बन्धित हैं, क्या उनका भी इसमें हाथ था, तो सतर्कता आयोग की जांच में क्या हुआ ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

श्रीमन्, जो मसला अध्यक्ष के बारे में कह रहे हैं, वह इसमें है नहीं। हमारे कारपोरेशन के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत है तो वह अभी सरकार के विचाराधीन है, अभी वह मामला तय नहीं हुआ है।

श्री राम अधार--

मैं नहीं पूछ रहा हूं कि मुख्य अरण्यपाल को अध्यक्ष बनाया या नहीं बनाया। जो रिटायर हो गये मुख्य अरण्यपाल, उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप थे। उनकी जांच सतर्कता आयोग द्वारा करा रहे थे। उनका ३५ करोड़ से सम्बन्ध है, उस जांच में क्या हुआ ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

जो सतर्कता आयोग की जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट में कोई भी आरोप साबित नहीं हुए हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सुदर्शन सिंह साहब ने जो यह पत्र दिया है जिसको आपने स्वीकार किया उस पत्र में किस-किस अधिकारी के खिलाफ क्या-क्या आरोप लगाये थे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

चीफ कंजरवेटर, कंजरवेटर, रेंजर, डी० एफ० ओ०, यही थे। आरोप बड़े लम्बे चौड़े हैं। कुछ जमीनों पर नाजायज कटान कराये गये, कुछ जमीनों के ऊपर इनक्रोचमेंट है, यही दो मुख्य आरोप सारांश में हैं।

श्री गोविंद सिंह नेगी--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच मुख्य अरण्यपाल से करायी जा रही है जब कि माननीय मंत्री ने खुद स्वीकार किया कि मुख्य अरण्यपाल के विरुद्ध भी शिकायत है। ऐसी दशा में क्या माननीय मंत्री जी किसी अन्य अधिकारी को या सतर्कता विभाग को इस जांच को सौंपेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

श्रीमन्, मुख्य अरण्यपाल की रिपोर्ट आ जाय। इसको देखने के बाद अगर आवश्यक समझा जायगा कि विजिलेंस को दिया जाय तो जरूर ऐसा किया जायगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जहां तक मैं माननीय मंत्री को समझा, मुख्य अरण्यपाल के खिलाफ शिकायत है जिसकी जांच सतर्कता आयोग से हो रही है और उन्हीं को यह जांच सुपुर्द की गयी। क्या मैं यह समझूं कि डिपार्टमेंट में उनसे ज्यादा ईमानदार आदमी नहीं था इसलिए उनको जांच सुपुर्द की गयी, बाकी गैर जिम्मेदार अधिकारी थे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मुख्य अरण्यपाल के खिलाफ जो शिकायत दी गयी थी उसका कोई आधार नहीं था। जैसा मैंने पहले कहा था, वह बेग थी। कोई आधार के ऊपर नहीं थी। अगर मुख्य अरण्यपाल के विरुद्ध कोई ऐसी शिकायत होती जिसका कोई आधार होता तो अवश्य जांच के लिये उनको नहीं दिया जाता, किसी और को दे देते।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)--

अभी माननीय मंत्री ने कहा कि मुख्य अरण्यपाल के खिलाफ विजिलेंस की जांच चल रही है, एक ऐसे अधिकारी के खिलाफ जांच चले, और उसी को आपने सुपुर्द कर दिया जांच, इसको कहां तक उचित समझते हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

जैसा मैंने कहा विजिलेंस की इनक्वायरी हुई। कोई भी आरोप जो लगाये गये थे, साबित नहीं हुए।

पनेरगांव चक (आलियागढ़) में बनाया गया रास्ता और बोई गई फसल

*३--श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--

विधान सभा की बैठक दिनांक २७ दिसम्बर, १९७४ को नत्थी (ग) के प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर के क्रम पर क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि चक आलियागढ़ के खेत नं० १३९७ में जो रास्ता बताया गया है रास्ता इसी नम्बर पर है या दूसरे खेत नम्बर पर ? क्या इसकी पुष्टि किसी रिकार्ड आफिसर द्वारा की गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*४--श्री इन्द्र लाल--

क्या मंत्री जी यह भी बतावेंगे कि जिस खेत नं० १३९६ को जल मग्न भूमि व रौली बताया गया है इसमें गेहूं की फसल बोये जाने का आधार क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जालौन जिले के पहूज नदी के किनारे के क्षेत्र में अकाल की स्थिति

*५---डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)--

क्या सिंचाई मंत्री प्रश्नकर्ता की इस सूचना को सही मानकर कि जिला जालौन का पहूज नदी के किनारे का वह भाग जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है अकाल की स्थिति में है वहां समुचित सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जिला जालौन के पहूज नदी के किनारे के उस भाग में जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है अकाल की स्थिति नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

डाक्टर मलखान सिंह--

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने लखनऊ में बैठ कर कैसे महसूस कर लिया है कि वहां पर अकाल की स्थिति या भूख या भूखाग्रस्त क्षेत्र नहीं है, आपने जांच किस अधिकारी द्वारा करायी है ?

श्री अध्यक्ष--

बैठे दोनों लखनऊ में हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, माननीय सदस्य को, मुझे अफसोस है सूचना जो होती है, मंत्री खेत पर नहीं जाता, जिला अधिकारियों से सूचना मंगवायी जाती है।

डाक्टर मलखान सिंह--

जिला अधिकारी की सूचना के आधार पर उत्तर दिया। मैं नहीं समझ पाया। जब जिला अधिकारी को वहां के लोगों ने, हम लोगों ने यह ज्ञापन दिया कि आप मौके पर चल कर देख लें, वहां पर अवर्षण के कारण खाद्यान्न उत्पन्न नहीं हुआ है, खरीफ की फसल पैदा नहीं हुई, गेहूं होता ही नहीं है, खाद्यान्न बहुत कम है, खाद्यान्न की कोई व्यवस्था कराएं। आज तक वहां का जिलाधिकारी उस क्षेत्र में नहीं गया और न एस० डी० ओ० ही गया। जब आपने उत्तर दिया तो बताया कि वहां अकाल की स्थिति नहीं है तथा खाद्यान्न की कमी नहीं है लेकिन मुझको निश्चित जानकारी है कि वहां पर खाद्यान्न की बहुत भारी कमी है और वहां के लोग भूख के संकट में हैं तो क्या आप खाद्यान्न के उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, माननीय सदस्य जिस अधिकारी पर विश्वास करते हों उसकी मुझे सूचना दे दें, मैं उनके द्वारा जांच करा लूंगा। लेकिन अभी वहां कोई ऐसी स्थिति नहीं है।

गोरखपुर जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लगायी गई नावों के मालिकों को भुगतान

*६---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार जांच कर बतानें की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर में इस वर्ष की भयंकर बाढ़ में तहसील सदर व बांसगांव में कुल कितनी नावें बाढ़ग्रस्त जनता की जान-माल एवं पशुओं की रक्षा में लगायी गयीं ? क्या यह सत्य है कि तहसील सदर के एस० के० सर्किल के तीन ऐसे व्यक्तियों से रुपया वापस लिया गया है जिन्होंने नाव न होते हुये भी अपने को नाव मालिक बता कर बाढ़ के समय धन प्राप्त किया था ? यदि हां, तो इसी प्रकार के अन्य लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वर्ष १९७४ की बाढ़ में जिला गोरखपुर की तहसील सदर व बांसगांव में बाढ़ क्षेत्रों में जान-माल की सुरक्षा हेतु क्रमशः ३८२ तथा ३२९ नावें प्रयोग में लायी गई थीं।

यह सही नहीं है कि तहसील सदर के एस० के० सर्किल में किसी ऐसे व्यक्ति को रुपया भुगतान करके पुनः रुपया वापस लिया गया है जिसने नाव न होते हुये भी अपने को नाव का मालिक बताकर बाढ़ के समय धन प्राप्त किया हो। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

बहराइच तहसील के कतिपय ग्रामों के चरागाह की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*७—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें अक्तूबर, १९७४ में कलकलवा दाखिली टैंगपसरी परगना तुलसीपुर, तहसील व जिला बहराइच के निवासियों का कोई प्रार्थना-पत्र चरागाह भूमि पर अनाधिकार कब्जा रोकने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बहराइच जिले के कतिपय विकास खन्डों में सूखा

*८—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जिले के विकास खंड, सिरसिया एवं हरिहरपुर रानी तथा इकौना में इस वर्ष भयंकर सूखे से वर्तमान रबी की फसल की पूर्णतया बोवाई नहीं की जा सकी है और सिरसिया में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है ? यदि हां, तो सूखा एवं भुखमरी से निपटने के लिये सरकार किन-किन उपायों पर विचार कर रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सिरसिया विकास खंड का पूरा भाग तथा हरिहरपुर रानी व इकौना के कुछ भाग सूखे से प्रभावित हुए। इन क्षेत्रों में रबी की बोवाई सामान्यतः हुई है। भुखमरी की स्थिति नहीं पैदा हुई है। प्रभावित व्यक्तियों को काम देने के लिये टैस्ट वर्क के मद में ३,००,००० रु० तक व्यय करने के आदेश भेजे गये हैं। इसके अतिरिक्त ५०० कुन्तल मोटा अनाज सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरण हेतु आवंटित किया गया है।

गोंडा जिले की तरबगंज तहसील में विभिन्न देयों के बकाये की वसूली

*९—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) तथा श्री रामपति (जिला गोंडा)—

क्या माल मंत्री को यह जानकारी है कि तरबगंज तहसील, जिला गोंडा में खाद, बीज, तकावी, विकास कर लगान, सिंचाई आदि का लगभग १४ लाख रुपया वसूल करने को पड़ा है ? यदि हां, तो यह रुपया कब से बकाया है और ५,००० रु० के ऊपर कितने बकायेदार हैं उनके नाम क्या हैं और इसकी वसूलयाबी के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

तहसील, तरबगंज, जिला गोंडा में खाद, बीज, तकावी विकासकर लगान, सिंचाई तथा अन्य प्रकीर्ण देयों का कुल रु० ४४,१९,२४६.४३ खरीफ १३८२ फसली में वसूली हेतु देय था जिसमें से जिलाधिकारी, गोंडा से प्राप्त सूचना के अनुसार ८ फरवरी, १९७५ तक रु० २०,५६,७४८.०४ की धनराशि वसूल हो गई थी और रु० २३,६२,४९८.३९ की धनराशि मार्च, १९७५ के अन्त तक वसूल करने हेतु शेष थी। इस बकाया धनराशि में सन् १९५८ से चला आ रहा बकाया भी सम्मिलित है। ५,००० रुपये से ऊपर के कुल १८ बकायेदार हैं जिनके नामों की सूचना तथा उनसे वसूली के लिये उठाये गये कदमों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९१ पर)

जिला बिजनौर की नगरपालिका, स्योहारा के अन्तर्गत ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*१०—श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका स्योहारा, जिला बिजनौर में जो ग्राम समाज की भूमि पर नाजायज कब्जा करके दुकानात व मकानात बनाये गये हैं उनको बेदखल कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

नाजायज कब्जों के संबंध में वाद न्यायालय में विचाराधीन है। उनमें निर्णय के आधार पर ही आगे बेदखली कराई जा सकती है।

जौनपुर जिले की सदर तहसील के तहसीलदार के विरुद्ध कथित शिकायत

*११—श्री चन्द्र शेखर सिंह (जिला बस्ती)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर सदर तहसील के तहसीलदार के विरुद्ध इस आशय की शिकायत पर कि मुकदमा नं० ११२, धारा ३४/३९, ग्राम रावतपुर, परगना हवेली मानवता देवी बनाम सरकार में उन्होंने निर्णय पक्षपातपूर्ण ढंग से दबाव में आकर किया है? कोई जांच जिलाधिकारी, जौनपुर द्वारा अक्तूबर अथवा नवम्बर, १९७४ में की गयी ? यदि हां, तो शिकायत क्या थी ? जांच के परिणामस्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आये ? तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं ऐसी कोई शिकायत जिलाधिकारी, जौनपुर को प्राप्त नहीं हुई और जांच नहीं की गयी। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

खीरी जिले के परगनाधिकारी, निघासन द्वारा इन्तखाब सम्बन्धी निर्गत आदेश

*१२—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या माल मंत्री को इसकी जानकारी है कि अक्तूबर अथवा नवम्बर, १९७४ में परगना अधिकारी, निघासन, जिला खीरी में इस आशय का कोई आदेश प्रसारित किया कि निघासन तहसील के परगना निघासन पलिया, खैरागढ़ के अन्तर्गत स्थित भूमि के खसरे व खतौनी के इंतखावात जो लेखपाल द्वारा प्राप्त किये जावेंगे किसी भी न्यायालय में सबूत के लिये न लिये जायें ? जब तक उनके ऊपर तहसीलदार निघासन के हस्ताक्षर न हों ? जिससे काश्तकारों को अनावश्यक व्यय करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्यों यह आदेश प्रसारित किया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। दिनांक ४-११-१९७४ को इस प्रकार का आदेश परगनाधिकारी निघासन द्वारा प्रसारित किया गया है।

लेखपालों के फरजी हस्ताक्षर करके गलत इन्तखाब न्यायालयों में प्रस्तुत करके, गलत आदेश प्राप्त करने के संबंध में प्रश्नगत क्षेत्र से शिकायतें प्राप्त हुई थी। अतः परगनाधिकारी द्वारा इस प्रकार का आदेश पारित किया गया।

उन्नाव जिले की तहसील हसनगंज की हवालात में देयों के बकाया के सम्बन्ध में बन्द किये गये किसान

*१३—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के हसनगंज तहसील के अन्तर्गत माह जुलाई से माह दिसम्बर, १९७४ तथा १ जनवरी से ३१ जनवरी, १९७५ तक कितने किसानों

को बकाया वसूली में तहसील की हवालात में बन्द रखा गया ? क्या यह सत्य है कि ऐसे किसानों को अभी हवालात में बन्द किया गया है जिनका तकाबी का अधिकांश धन पहले से तहसीलदार के कोष में जमा है ? जिसका इन्द्राज तहसील के लेखा रजिस्टर में नहीं था ? यदि हां, तो क्या इसकी तुरन्त जांच करा कर इस अनियमितता को दूर करायेंगे ? जिससे किसानों को आर्थिक हानि से छुटकारा मिल सके ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

तहसील हसनगंज में माह जुलाई, १९७४ से माह दिसम्बर, १९७४ तक ४९ किसानों को तथा १ जनवरी, १९७५ से ३१ जनवरी, १९७५ तक १६ किसानों को विभिन्न देयों के बकायें की वसूली हेतु हवालात में बन्द रक्खा गया। ऐसा कोई कृषक नहीं है जिसे तकावी के पूर्ण भुगतान होने पर भी केवल लेखा रजिस्टर में इन्द्राज न होने के कारण बन्द किया गया हो।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

*१४--श्री राम रेखा यादव--

[विस्तीर्ण होने के कारण निरस्त।]

गोरखपुर जिले की तहसील बांसगांव में तकावी वितरण में गोल-माल से सम्बन्धित तहसील के विभिन्न कर्मचारियों का निलम्बन

*१५--श्री अब्दुल रऊफ लारी--

क्या सरकार यह बतायेगी कि गोरखपुर जनपद की बांसगांव तहसील में वर्ष १९७३-७४ तक वितरित होने वाली सहायता धनराशि, तकबी, गृह अनुदान एवं अन्य सहायता धनराशि के गोल-माल के सम्बन्ध में तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार, संग्रह अमीन एवं लेखपाल को निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो उन पर क्या आरोप हैं ? कितने का गोल-माल है ? क्या मंत्री जी इसका पूर्ण विवरण सदन को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

वर्ष १९७३-७४ में तकावी के वितरण में गोलमाल के संबंध में श्री रामदास अमीन तथा सर्वश्री रामसमुझ लाल, रामसुरेश ओझा व राम उजागिर लेखपालों को निलम्बित किया गया और १९७२-७३ में विभिन्न राजस्व धनराशियों के वितरण में गोलमाल के संबंध में दो अमीनों सर्वश्री रघुनाथ सिंह व रामचन्द्र शुक्ला, सुपरवाइजर कानूनगो श्री अनवारुल हसन को निलम्बित किया गया और नायब तहसीलदार, श्री नन्द किशोर तथा बांसगांव तहसील के तत्कालीन तहसीलदार रामबहोर सिंह के विरुद्ध कार्यवाही राजस्व परिषद् के विचाराधीन हैं। उक्त गोलमाल में सम्मिलित लेखपाल सर्वश्री शम्भूनाथ, जयकृष्ण लाल व बांकेलाल को सेवा मुक्त कर दिया गया है।

वर्ष १९७२-७३ के गोलमाल की धनराशि १९,७५० रु० है, और संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप है :--

नाम-कर्मचारी	आरोप का विवरण
१--श्री राम बहोर सिंह, तत्कालीन तहसीलदार।	गलत तकावी वितरण
२--श्री नन्दाकिशोर सिंह, नायब तहसीलदार।	बाण्ड की मालियत आदि की गलत पुष्टि करना।
३--श्री अनवारुल हसन सुपरवाइजर, कानूनगो।	बाण्डों को गलत प्रमाणित करना।

नाम–कर्मचारी	आरोप का विवरण
४––श्री शम्भूनाथ, लेखपाल श्री जय–कृष्णलाल, लेखपाल श्री बांकेलाल, लेखपाल।	गलत इन्तिखाब जारी करना तथा गलत व्यक्तियों की पहचान करना।
५––श्री रघुनाथ सिंह, अमीन श्री राम चन्द्र शुक्ला, अमीन।	तकावी प्राप्त करने वालों के विषय में बाकीदार न रहने की गलत रिपोर्ट करना।

वर्ष १९७३–७४ के गोलमाल की धनराशि २,९०० रु० है और सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप हैं :––

नाम कर्मचारी	आरोप का विवरण
१––श्री रामदास, अमीन २––श्री रामसमुझ लाल, लेखपाल ३––श्री रामसुरेश ओझा, लेखपाल ४––श्री रामउजागिर गुप्ता, लेखपाल	गलत आदमियों की पहचान करना।

अतारांकित प्रश्न

देवरिया जिले की बड़ी गण्डक नहर में ली गयी भूमि का मुआविजा

१––श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)––

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में बड़ी गन्डक नहर में ली गयी भूमि का मुआविजा अब तक कितने किसानों को देना बाकी है तथा उनको कब तक अदा कर दिया जायेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह––

किसी किसान को भूमि का प्रतिकर देना बाकी नहीं है।

बहराइच जिले में सूखा एवं बाढ़ से क्षति

२––श्री कमला प्रसाद वर्मा––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष १९७४ में बहराइच जिले में तहसीलवार बाढ़ एवं सूखा से किन–किन फसलों का कितना–कितना नुकसान हुआ और सरकार ने कौन-कौन राहत तथा सुविधायें प्रदान कीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह––

बाढ़ एवं सूखे से हानि का फसलवार एवं तहसीलवार अनुमानित विवरण निम्नलिखित है :––

विवरण

(पैसों में)

नाम तहसील	धान भदई	धान जड़हन	मक्का	गन्ना	अन्य फसल
बहराइच	६०	६०	६०	२०	६०
नानपारा	६०	६०	७५	२५	५०
कैसरगंज	४०	३०	७०	५	६०

जहां तक राहत का प्रश्न है, बाढ़ तथा सूखा से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में ८७,००० रु० निःशुल्क सहायता मद में तथा ६,०७५ रु० गृह निर्माण अनुदान हेतु आबंटित किया गया है। बाढ़ के समय नमक, दियासलाई, मिट्टी का तेल, तथा नकद निःशुल्क सहायता आवश्यकतानुसार वितरित की गयी। तकावी वितरण के लिये १,१५,००० रु० तथा सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरण के लिये ५०० कुण्टल मोटा अनाज आबंटित किया गया।

प्रभावित क्षेत्र के लोगों को काम देने क लिये टेस्ट वर्क चलाने के हेतु १,००,००० रु० आबंटित किया गया। सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में सभी नलकूपों को अधिकतम समय तक चालू रखने की व्यवस्था की गयी।

भूमि विकास कर की वसूली एवं खर्च

३—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९७४–७५ में दिसम्बर, माह तक विकास कर का कुल कितना पुराना बकाया वसूल हुआ और वह किस-किस विकास कार्य हेतु कितना–कितना खर्च हुआ ? क्या इस विकास कर की राशि विकास के अलावा अन्य कार्य हेतु भी खर्च हुयी ? अगर हां, तो किस कार्य हेतु और कितने–कितने ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

राजस्व वर्ष १९७४–७५ में माह दिसम्बर, १९७४ तक भूमि विकास कर के बकाये की मद में ३० लाख रु० की धनराशि वसूल हुई। इस धनराशि में से कुछ भी खर्च नहीं हुआ। वर्ष १९७४–७५ की विकास कर की प्राप्तियां उ० प्र० भूमि विकास कर अधिनियम (यथा संशोधित) के प्रविधानों के अनुसार वर्ष १९७५–७६ में खर्च की जायेंगी। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

४—श्री बनवारी राम यादव—

[विस्तीर्ण होने के कारण निरस्त।]

बलिया जिले के द्वाबा विधान सभा क्षेत्र में हरिजनों व भूमिहीनों को आवास स्थल का आबंटन

५—श्री बनवारी राम यादव (जिला बलिया)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि द्वाबा विधान सभा क्षेत्र, जनपद बलिया में हरिजनों व अन्य भूमिहीनों को बसने के लिये किन–किन गांव सभाओं में किन–किन लोगों को कितनी–कितनी जमीन दी गयी है और उसमें कितने पर उनको वास्तविक कब्जा मिल चुका है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला बलिया के द्वाबा विधान सभा क्षेत्र के ४२ गांव सभाओं में ७८३ व्यक्तियों को २३–४६ १/२ एकड़ भूमि आवास हेतु आबंटित करके सभी आबंटियों को अपने-अपने आवास स्थलों पर कब्जा दिया जा चुका है—सूची† अध्यक्ष के कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है। अन्य गांव सभाओं में आवास स्थलों के आवंटन के लिये भूमि उपलब्ध नहीं थी–अतः उनमें भूमि अर्जन की कार्यवाही अग्रसर है अथवा न्यायालय में विवाद ग्रस्त है।

६—श्री दया राम भास्कर—

[छठे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २० पर स्थानान्तरित।)

---

†छापी नहीं गई।

७—श्री आशा राम यादव तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

८—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश चकबन्दी विभाग में १५ वर्ष से ऊपर कार्यरत चकबन्दी कर्मचारियों का स्थायीकरण अभी तक पूरा नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

चकबन्दी अधिष्ठान में अब तक १०,२७० पद स्थायी किये जा चुके हैं। इनमें से ८,५६६ पद ऐसे हैं जिनके नियुक्ति अधिकारी बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, जिलाधिकारी अथवा उपसंचालक चकबन्दी हैं। इन नियुक्ति अधिकारियों ने अब तक १,२२० कमचारियों के स्थायीकरण के आदेश दे दिये हैं और शेष के स्थायीकरण के मामलों का परीक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है। इनमें १५ वर्ष पुराने कर्मचारी भी सम्मिलित हो सकते हैं। स्थायीकरण के लिये कोटिक्रम सूची का होना तथा कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन आवश्यक होता है और इसके परीक्षण में समय लगता है।

नैनीताल जिले के ग्राम सिसौना के सरकारी बाग में आम के पेड़

९—श्री इन्द्र लाल—

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७४ के तीसरे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील खटीमा व सितारगंज में क्रमशः ७ बाग आमों की जो सूचना सदन में दी गयी, इनमें तहसील सितारगंज के अन्तर्गत ग्राम सिसौना में ११६ बीघा सरकारी भूमि पर इस वक्त कुल कितने आमों के पेड़ खड़े हैं और कितने आम के पेड़ों के कटे हुये खूंटे मौजूद हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ग्राम सिसौना के सरकारी बाग का क्षेत्रफल ११६ बीघा १२ बिस्वा है जिसमें से ६२ बीघा ४ बिस्वा भूमि काश्त राणा थारू जनजाति के कमेटी के नाम, ३० बीघा ११ बिस्वा काश्तकारों के नाम तथा २३ बीघा १७ बिस्वा सरकार के नाम अंकित है। उक्त बाग में इस वक्त ५३ आम के पेड़ खड़े हैं। जहां तक खूंटों का प्रश्न है, राणा थारू जनजाति कमेटी ने १४ पेड़ काटे हैं परन्तु खूंटों की संख्या देना संभव नहीं है क्योंकि उस स्थान पर जहां पेड़ काटे गए गन्ने की फसल खड़ी है।

शहरी क्षेत्र की गैर कृषि भूमि की जमींदारी समाप्त न होना

१०—श्री राम लखन (जिला इटावा)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरी क्षेत्रों की गैर कृषि भूमि पर अभी भी जमींदारी व्यवस्था कायम रहने का क्या कारण है तथा उसका उन्मूलन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

शहरी क्षेत्रों की गैर कृषि भूमि की जमींदारी समाप्त करने का कानून अभी तक नहीं बना है क्योंकि इससे सम्बद्ध पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है—इस विषय में अंतिम निर्णय की नियत तिथि बताना संभव नहीं है।

भूतपूर्व सदस्य, चौधरी रघुराज सिंह तथा श्री हरिहर बख्श सिंह के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष--

अब माननीय चौधरी रघुराज सिंह तथा श्री हरिहर बख्श सिंह जी के निधन पर सदन में चर्चा आरम्भ होगी।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदन के भूतपूर्व सदस्य, श्री चौधरी रघुराज सिंह, बुलन्दशहर और श्री हरिहरबख्श सिंह, हरदोई के निधन का समाचार कुछ दिन पूर्व मिला था। दोनों सज्जन विधान सभा में अपनी लोकप्रियता के लिये, सौजन्य के लिये, भलमनसाहत तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार के लिये प्रसिद्ध रहे हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि माननीय हरिहरबख्श सिंह जी के और चौधरी रघुराज सिंह जी के साथ परस्पर प्रेम और स्नेह का गहरा संबंध रहा है। श्री हरिहरबख्श सिंह जी के साथ १९५७ से साथ काम करने का बराबर मौका १९६९ तक मिलता रहा है और इस लम्बी अवधि में उनके कार्य कलाप और सौजन्यता से मैं बड़ा प्रभावित रहा हूं।

माननीय चौधरी रघुराज सिंह भी इसी तरह से अपने जिले के माने हुये पुराने जन सेवक थे, विचारों की कई दृष्टियों से विभिन्नता के बावजूद वह एक सज्जन और निर्मल प्रकृति के व्यक्ति थे। इन दोनों महानुभावों के निधन से समाज को जो क्षति हुई है उसका हम सबको अफसोस है। मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से और सदन की ओर से मृतक आत्माओं के लिये भगवान से शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हुये आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी सम्वेदना उनके शोक संतप्त परिवारों को पहुंचाने की कृपा करें।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने जो दोनों सज्जनों के बाबत कहा है मैं उससे अपने आपको और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मुझे दोनों के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोनों जमींदार घराने में पैदा हुये थे और पुरानी वजा के आदमी थे। उनके जाने से कम से कम इन जिलों के सार्वजनिक जीवन को बड़ी भारी क्षति पहुंची है। मैं अधिक न कह कर आप से चाहूंगा कि आप हमारी ओर से, हमारे दल की ओर से उनके संतप्त परिवारों को हमारी सम्वेदना भेजने की कृपा करें। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, चौधरी रघुराज सिंह और श्री हरिहर बख्श सिंह जी के निधन पर जो भावनाएं माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम सब दुःखी हैं। हम लोगों की सम्वेदना उनके संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें। साथ ही हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले।

*श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

अध्यक्ष महोदय, सदन के भूतपूर्व सदस्य माननीय रघुराज सिंह और माननीय हरिहरबख्श सिंह के निधन पर हम सभी को दुःख है। इस संबंध में माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन है कि मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से संदेश उनके संतप्त परिवार को पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, चौधरी रघुराज सिंह और श्री हरिहरबख्श सिंह के निधन पर हम सबको अफसोस है। ये दोनों व्यक्ति अपने-अपने जिलों में और इस प्रान्त के माने जाने लोग थे और जहां तक मेरी जानकारी है वे लोग वजादारी के एक मिशाल थे और इस युग में तो वजादारी खत्म हो रही है। मैं अपनी तरफ से और अपने दल की ओर से उन मृतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने माननीय रघुराज सिंह और माननीय हरिहरबख्श सिंह के प्रति जो अपने विचार व्यक्त किये उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। चौधरी साहब को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला था। अध्यक्ष जी, कृपया हमारी और हमारे दल की ओर से जो कंडोलेंस है वह उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के जो माननीय नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। चौधरी रघुराज सिंह प्रथम बार विधान परिषद् में सन् १९४६ में चुने गये, और इसके बाद पुनः १९५० के चुनाव में। उसके बाद १९५७ से १९६२ तथा १९६९ से १९७४ तक इस माननीय सदन के भी सदस्य रहे। वह कितने हंसमुख थे और कितने वह काव्यप्रिय थे, उसकी सदा याद रहेगी। इसी तरह से ठाकुर हरिहर बख्श सिंह जी एक बहुत अच्छे परिवार के सदस्य थे और उन्होंने इस सम्मानित सदन को सुशोभित किया। उनके मृदुल स्वभाव और उनके व्यक्तिगत गुणों ने बहुतों को प्रभावित किया था और ये दोनों माननीय सदस्य अपने-अपने जिलों के माने जाने नेता थे। उनके निधन से निश्चय ही सार्वजनिक जीवन में रिक्तता आई है। मैं आप सबके द्वारा जो इच्छा प्रकट की गई है कि शोक-संतप्त परिवारों को समवेदना का संदेश इस सदन की ओर से भेज दूं, वह मैं निश्चय ही करूंगा। अब हम २ मिनट मौन खड़े होंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

वित्त एवं विनियोजन लेखे १९७२-७३ तथा भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की १९७२-७३ की रिपोर्ट†

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं विनियोजन लेखे १९७२-७३ को, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की १९७२-७३ की रिपोर्ट एवं राजस्व प्राप्तियों पर उनकी रिपोर्ट (१९७२-७३) सहित, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, १९७४ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, को सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ९४ पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७४ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १६ अगस्त, १९७४ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २२ अगस्त, १९७४ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १४ जनवरी, १९७५ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७५ का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाएं (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाएं (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधेयक, १९७४ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ७ अगस्त, १९७४ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १४ अगस्त, १९७४ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १७ फरवरी, १९७५ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७५ का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया ।

कारागार मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री नियाज हसन जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मैंने एक विशेषाधिकार का उठाया था ।

श्री अध्यक्ष--

अभी नहीं । नियाज हसन खां ने सूचना दी है कि माननीय कारागार मंत्री ने जो वक्तव्य २७ तथा २८ फरवरी, १९७५ को सदन में दिया वह सही नहीं है । जेल मंत्री जीने सदन को गुमराह किया है अतः उन्होंने इस आधार पर माननीय कारागार मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना दी है । माननीय नियाज हसन खां का कहना है कि असलियत तो यह है कि केवल ७ कोठरियों में ही लड़कों को बन्द किया गया । माननीय नियाज हसन खां का यह भी कहना है कि माननीय कारागार मंत्री का यह कहना कि वे २७ फरवरी को जेल गये और उन्होंने जांच की, यह सही नहीं है । इस आरोप के प्रमाण में उन्होंने यह कहा है कि इस सिलसिले में जेल से श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने उसी दिन अध्यक्ष, विधान सभा और नेता विरोधी दल को तार दिया है कि जेल मंत्री का सदन में दिया हुआ वक्तव्य (बयान) गलत है । माननीय श्री नियाज हसन ने सूचना में और भी अन्य बहुत सी बातें कहीं हैं, जिनका विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न से कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता ।

मैंने सम्बन्धित कार्यवाही को देखा । माननीय कारागर मंत्री जी द्वारा २८ फरवरी, १९७५ को सदन में दिए गये लिखित वक्तव्य में इस बात को कि दो से अधिक छात्रों को किसी कोठरी म नहीं रक्खा गया है श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा गलत बताये जाने व उसे चुनौती देने पर माननीय जेल मंत्री ने यह कहा था कि विचाराधीन बन्दियों को कोठरी नं० २ से लेकर कोठरी नं० १४ तक और कोठरी नं० १७ से लेकर कोठरी नं० २१ तक में रक्खा गया था ।

इसी मामले पर मंत्री जी का बयान भी हमारे पास है, जिसे मंत्री जी ने भेजा है। अब माननीय नियाज हसन खां का कहना है कि केवल ७ कोठरियों में ही लड़कों को बन्द किया गया, परन्तु इसके लिये कोई ऐसा आधार या लेख्य उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है, माननीय कारागार मंत्री का पत्र मेरे पास आया है कि आदर्श कारागार, लखनऊ के सम्बन्ध में मैंने अपने वक्तव्य (२८–२–१९७५) में यह निवेदन किया था कि जिन-जिन कोठरियों में विचाराधीन बन्दी रखे गये थे उनका विवरण मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रेषित कर रहा हूं। उसमें है कि प्रत्येक कोठरी में उल्लिखित विचाराधीन बन्दी रहे।

इस सदन में इस आसन से पहले भी यह स्पष्ट निर्णय दिए गये हैं कि :

> ''जब यह कहा जाय कि किसी आदरणीय सदस्य ने जान बूझकर सदन को धोखा देने के लिये असत्य बात कही है तो केवल इतना ही कह देना पर्याप्त नहीं है, उनको वह तथ्य देने पड़ेगें कि इन-इन तथ्यों पर व कारणों से हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि तोड़ मरोड़ कर सदन को धोखा देने के लिये यह असत्य बात कही गई है। जब तक सूचना में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जाता कि किन–किन तथ्यों के आधार पर वह इस परिणाम पर पहुंचे हैं और चाहते हैं कि आप भी पहुंचें, तब तक ऐसी सूचना विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं मानी जायगी। (उत्तर प्रदेश, विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिए गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संहित संकलन, अप्रैल, १९५२ से २२ दिसम्बर, १९६७ तक के पृष्ठ ४८१–८२)।''

अतएव, यह श्री नियाज हसन खां का दायित्व है कि वे उन तथ्यों को दें, जिनके आधार पर वे उक्त निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और यह चाहते हैं कि यह सदन भी पहुंचे कि माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया बयान सत्य नहीं है तथा जानबूझ कर सदन को धोखा देने के लिये कहा गया है। इस प्रकार का कोई तथ्य या आधार माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना में नहीं है।

माननीय कारागर मंत्री ने सदन में यह नहीं कहा कि वे २७ फरवरी को जेल में स्वयं तहकीकात करने गये थे। इसके विपरीत उन्होंने २८ फरवरी को सदन में यह कहा था कि :

"कल जो प्रश्न उठा था और जिसके लिये माननीय नेता विरोधी दल ने मुझे आदेश दिया था कि मैं स्वयं जेल में जाऊं। तो मुझे माननीय सदन को चूंकि ३ बजे तक अवगत कराना था, ढाई बजे तक मैं इन्तजार करता रहा लेकिन कोई सदस्य उधर से मेरे पास नहीं आया।" श्रीओम प्रकाश सिंह द्वारा आपत्ति किये जाने पर माननीय कारागार मंत्री ने पुनः कहा कि — "उन्हीं के दल के श्री शिव सम्पत्ति राम उनके साथ थे और ढाई बजे तक मैं श्री ओम प्रकाश सिंह जी का इन्तजार करता रहा क्योंकि ३ बजे मुझे सदन में वक्तव्य देना था और इस लिये १५ मिनट विलम्ब के लिये सदन से क्षमा भी मांगी थी।"

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि माननीय कागार मंत्री ने सदन में यह नहीं कहा कि उन्होंने स्वयं जेल में जाकर जांच की।

माननीय श्री नियाज हसन खां ने अपनी सूचना में कहा है कि श्री सत्य देव त्रिपाठी ने उसी दिन अध्यक्ष, विधान सभा और नेता विरोधी दल को तार दिया कि जेल मंत्री का सदन में दिया हुआ बयान गलत है। माननीय नियाज हसन खां ने श्री सत्य देव त्रिपाठी द्वारा दिये गये तार की प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न नहीं की है और न ही श्री सत्य देव त्रिपाठी का कोई तार अभी तक मुझे प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ६४ के अनुसार विशेषाधिकर भंग अथवा अवमान की शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो सूचना के साथ मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक है जो नहीं की गई है।

इन तथ्यों के आधार पर ...

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)--

श्रीमन्, जो आपका फैसला है वह तो मानना ही है। एक चीज मैंने उसमें उठाई थी कि २७/२८ की रात को जो लड़के बन्द थे उनकी पिटाई जो हुई, उसके बारे में है।

श्री अध्यक्ष--

इसके बारे में आप अलग से प्रश्न उठा सकते हैं। यह विशेषाधिकार की अवहेलना से सम्बन्धित नहीं है।

श्री नियाज हसन खां --

श्रीमन्, किसी चीज को छिपाना क्या यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--

जब आप उठायेंगे तब तो। वैसे विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में यह नहीं उठता है। आप प्रश्न के जरिए या वक्तव्य की मांग के द्वारा उठा सकते हैं ?

श्री नियाज हसन खां--

श्रीमन्, किसी चीज को जानबूझकर छुपाना क्या यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता है ? एक घटना हुई, मेडिकल एक्जामिनेशन हुआ मौडल जेल में और डिस्ट्रिक्ट जेल में, उसकी चर्चा. . . .

श्री अध्यक्ष--

यह तो पूछा भी नहीं है। यदि यह प्रश्न सही भी हो तो मैं उसमें अभी नहीं जाता। विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न जो आपने दिया है, वह अपने में एक नया विषय हो जाता है। जो बयान उन्होंने यहां पर दिया है, उसमें अगर जानबूझ कर कोई तथ्य छिपाया है, तब हो सकता है। जो बयान नहीं दिया उसके बारे में क्या कहा जाय। जितना बयान उन्होंने देना उचित समझा, वह दिया। अगर आप कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिये अन्य उपचार हैं, इसलिये यह सूचना अग्राह्य है।

राजस्व मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

ऐसे ही माननीय पुरुषोत्तम जी कौशिक ने नियम ६३ के अन्तर्गत दिया है कि विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७४ के पांचवें शुक्रवार के लिये निर्धारित मेरे तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर में माननीय राजस्व मन्त्री ने २५ मार्च, १९७४ तथा ४ अप्रैल, १९७४ को पडरौना तथा विशुनपुरा विकास खंडों में (तहसील पडरौना, जिला देवरिया) हुई भीषण उपलवृष्टि के कारण प्रभावित गांवों में मालगुजारी तथा विकास कर में छूट देने की बात कही किन्तु छूट नहीं दी।

तो छूट को उन्होंने बताया है कि इन-इन हालात में दी जाती है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

कई बार मन्त्री जी ने इस प्रकार तथ्यों को छिपाया है। मैंने सोचा कि आप इसको अस्वीकृत तो करेंगे ही और एक कारण और बतला देंगे कि कई प्रश्न एक ही में लगा दिये। मन्त्री जी का कार्यकलाप हो गया है गलत बयानी करना। तो इस सदन की मर्यादा कहां जायेगी ? ३०,७२३ एकड़ फसल को क्षति हुई बताते हैं जबकि ७० हजार एकड़ फसल बरबाद हुई। उसके बाद कह रहे हैं कि मालगुजारी और विकास कर में छूट दी जायगी लेकिन छूट नहीं दी गयी। तो यह स्पष्ट उन्होंने इस सदन को गुमराह किया। आप

स्वीकार करें या न करें लेकिन मन्त्री जी की झूठ पकड़ में आ गयी है और यह साफ झूठ बोले हैं। उन्होंने उत्तर यह दिया था :—

"२५ मार्च, १९७४ तथा ४ अप्रैल, १९७४ को विकास खंड पडरौना तथा बिशुनपुरा में उपलवृष्टि हुई थी जिसके कारण ३०,७२३ एकड़ फसल को ५० प्रतिशत या उससे अधिक क्षति हुई। प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने के लिये मालगुजारी तथा विकास कर में छूट का प्रस्ताव विचार किया जा रहा है और नियमानुसार छूट की स्वीकृति दी जायगी। इन क्षेत्रों में मालगुजारी तथा विकास कर की वसूली फिलहाल स्थगित है।"

इस शिवरात्रि पर दोबारा फिर ओले पड़ गये हैं और अभी पिछली फसल के आंकड़े तैयार हो रहे हैं। कम से कम इन्हें निर्देश दीजिये कि इस प्रकार की गलतबयानी सदन में न करें।

श्री अध्यक्ष—

यह कहने के लिये विशेषाधिकार के अस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता। यह कहने के लिये तो आप प्रश्न कर सकते हैं, ५१ में कर सकते हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मन्त्री जी ने यह गलतबयानी की या नहीं, या सदन को गुमराह किया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आपने जो लिख कर दिया है उसी पर कैसे स्वीकार कर दें हम ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

न विकास कर में छूट हुई है न मालगुजारी में छूट हुई है।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की अन्य सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आश्वासन समिति के जितने मामले हैं उनको मैंने अभी पढ़ा भी नहीं है। मैं पढ़ लूंगा तब आपके समक्ष रखूंगा। त्रिवेणी सहाय जी का है, सत्य प्रकाश मालवीय जी का है, मधुकर दिघे जी का है। इसको हमें पढ़ने दीजिये। यह अगले दिन लिया जायगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

एक विशेषाधिकार का प्रश्न मैंने कल उठाया था और कल ही उसकी सूचना आपको दे दी थी।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

हम अपनी बात कह देते हैं....

श्री अध्यक्ष—

आपने इतना कागज इस्तेमाल किया है। अभी मैंने उसको पढ़ा ही नहीं है। आपको मौका दूंगा।

श्री मधुकर दिघे—

कागज क्या, केवल अखबार लगा दिया है।

श्री अध्यक्ष--

अभी हमने देखा भी नहीं है।

एक शून्य प्रहर हेतु माननीय मोती लाल जी का है। आपकी मांग है कि शून्य प्रहर, यानी जीरो आवर दिया जाय। तो वह लिया जाता है दिया नहीं जाता है। आप ले लेते हैं लेकिन यह कोई नियमानुकूल समय दिया नहीं जाता है।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

आप हमेशा हमें डाट देते हैं। लिख कर देने के लिये कहते हैं, आपके डर से हमने लिख कर भी दे दिया....

श्री अध्यक्ष--

मैं डाटता नहीं हूं। विशेषाधिकार का प्रश्न अगर है तो वह उसके अन्तर्गत ही आना चाहिये कार्य-स्थगन का है तो वह भी जब उसका समय हो आना चाहिये। नियमों के अनुसार जब होता है तो मैं इजाजत देता हूं...

श्री मोती लाल देहलवी--

हमको जो तकलीफ है हम उसे बयान करना चाहते हैं, हमें आपसे तकलीफ है।

श्री अध्यक्ष--

तकलीफ हमारी आपकी दोनों की है, सभी को तकलीफ है, मानवता को तकलीफ है। आप भी उससे बरी नहीं हैं।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

कार्य-मन्त्रणा समिति ने आज १४ मार्च, १९७५ को अपनी बैठक में विधान सभा के १८ मार्च, १९७५ तथा २२ मार्च, १९७५ के उपवेशनों में लिये जाने वाले वित्तीय एवं विधायी-कार्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिश की है --

(१) १८-३-७५ को वित्तीय वर्ष १९७५-७६ के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के स्थान पर निम्नलिखित विधायी कार्य हो :--

(१) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि विधेयक, १९७५ पर विचार एवं उसका पारण हो--(डेढ़ घंटे)

(२) उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९७५ पर विचार एवं उसका पारण हों--(शेष समय, यदि आवश्यक हुआ तो सायंकाल ५ बजे के बाद सदन का समय बढ़ा कर।)

(२) २२-३-७५ (शनिवार) को विधान सभा का उपवेशन १० बजे से हो और १० बजे से १२ बजे तक उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, १९७४ (जैसा विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) पर विचार एवं उसका पारण हो।

(३) १९-४-७५ (शनिवार) को सदन का उपवेशन हो और १८ मार्च, १९७५ से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को एक-एक दिन आगे बढ़ा कर १८ अप्रैल, १९७५ तक के कार्यों को १९ अप्रैल, १९७५ तक पूरा कर लिया जाय। इसके आगे का कार्यक्रम यथावत् रहेगा।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा, आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन, कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना मेरे द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कतिपय विषय

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मेरा एक प्रश्न था व्यवस्था का .....

श्री अध्यक्ष--

उसे अभी पढ़ा नहीं है। पढ़ लें।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

हमको दो मिनट आप सुन लें। बहुत गम्भीर बात है। जो प्रश्न हम लोग देते हैं .....

श्री अध्यक्ष--

हम लोग न कह कर आप केवल अपने लिये ही कहें। प्रश्न तो डिप्टी स्पीकर साहब देखते हैं, वे हैं नहीं इस समय .....

श्री मोतीलाल देहलवी--

जो नियम ५१ वगैरह के प्रश्न हम देते हैं उस पर आप कह देते हैं कि अल्पसूचित प्रश्न कर लें। जब वह देते हैं तो अस्वीकार हो जाता है ....

श्री अध्यक्ष--

वह आप हमको बतायें, उसे हम देख लेंगे, अगर स्वीकार नहीं हुआ है तो कर देंगे।

श्री मोती लाल देहलवी--

एक दूसरा गम्भीर प्रश्न है। माननीय सत्यपाल मलिक ने बताया है कि पूंजीपतियों के विरुद्ध जब कोई प्रश्न किया जाता है तो ये लोग धमकी देते हैं कि तुम्हारे प्रश्न एजेन्डे पर नहीं आने देंगे ....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, वे कह नहीं पा रहे हैं, उनका मतलब यह है कि पूंजीपति और सरकार एक हैं।

श्री मोती लाल देहलवी---

मान्यवर, यह तो बहुत गम्भीर बात है और ऐसा हो भी रहा है। मेरा निवेदन है कि कम से कम इस गम्भीर बात पर जरा ध्यान दें और इसको देखने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

चौधरी साहब से पूछ लीजिये। आपने जो सवाल उठाया है उस पर अपनी राय दे दी है। अब आप एक अनिश्चित सवाल उठा रहे हैं कि पूंजीपतियों से मिल कर न मालूम क्या चीज हो रही है। लिख कर दीजिये तो मैं देख सकता हूं। ऐसे मैं क्या कहूं?

श्री अध्यक्ष द्वारा सदन के बाहर दिये गये एक भाषण पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष--

माननीय गर्ग जी ने एक प्रश्न मेरे सम्बन्ध में उठाया है। वे कहां हैं। उनका कहना है--नेशनल हेराल्ड अखबार में कुछ छपा है कि मैंने विरोधियों की तारीफ कर दी। (व्यवधान)। वे हैं नहीं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि उन्होंने प्रश्न उठाया है कि---कहीं नेशनल हेराल्ड में छपा है कि मैंने विरोधियों की तारीफ की और प्रदर्शनकारियों की तारीफ की।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

विरोधी अगर कोई प्रशंसा का कार्य करते हैं तो वह प्रशंसनीय तो है ही।

श्री अध्यक्ष--

मेरा कहना यह है कि अखबार के आधार पर कोई राय बताना उचित नहीं है। जो मैंने कहा ही नहीं था वह छपा है तो वह भ्रामक है। जनतन्त्र में अगर कोई शान्त और अहिंसात्मक प्रदर्शन करता है तो सार्वजनिक रूप से उसकी प्रशंसा और समर्थन तो करना ही पड़ेगा। जो उसमें छपा है वह मैंने नहीं कहा था। मैंने तो कहा था कि वित्तीय वर्ष और राजस्व वर्ष एक होना चाहिये, राजनीतिक यूनिट विकास और प्रशासनिक यूनिट एक होनी चाहिये। मैंने यह भी कहा था कि क्रान्तिकारी परिवर्तन ऐसा होना चाहिये कि हर जिले में पार्लियामेंट क्षेत्र और जिला क्षेत्र को एक कर दिया जाय और पार्लियामेंन्ट का मेम्बर चाहे जिस भी दल का हो उसका अध्यक्ष हो और जिला मैजिस्ट्रेट तथा एस० पी० उसके अधीन कर दिये जायं। (व्यवधान)।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा कि अखबारों से राय नहीं बनानी चाहिये। तो जहां तक मैं समझता हूं, प्रजातन्त्र में राय बनाने के लिये ही अखबार निकाले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस पृष्ठ भूमि में कह रहा था कि तथ्य क्या है और वक्तव्य क्या छपा है। मुझसे मिल कर बात कर लेना चाहिये था। अखबार पर क्यों चले गये। मेरा यह कहना है।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

इसीलिये मैं आपसे स्पष्ट कर लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

हर चीज को उसके प्रसंग में ही देखने से उसकी प्रमाणिकता होती है कि सत्य क्या है और उसने क्या कहा है।

खाण्डसारी शकर के मूल्य में बढ़ोत्तरी तथा लेवी मात्रा में कमी के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब आइटम नं० ९ पर जो इटावा के सम्बन्ध में है और खांडसारी के बारे में वक्तव्य होगा।

*वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

२१ फरवरी, १९७५ को मैंने विधान सभा में माननीय सदस्यों को उत्तर प्रदेश खाण्डसारी शक्कर (उद्ग्रहण) आदेश, १९७५ के मुख्य पहलुओं से अवगत कराया था। उस समय मैंने यह सूचित किया था कि कतिपय उत्पादकों ने उच्च न्यायालय में इस आदेश के विरुद्ध रिट–याचिकायें दायर की हैं जो कि न्यायालय के विचाराधीन थीं।

उच्च न्यायालय ने उपरोक्त याचिकायें खारिज कर दी हैं और इस प्रकार सरकार का पक्ष कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया गया है। किन्तु इसी बीच एक नई स्थिति यह उत्पन्न हुयी है कि एक मार्च, १९७५ से केन्द्रीय सरकार ने खाण्डसारी इकाइयों पर केन्द्रीय आबकारी शुल्क बढ़ा दिया है जिसके कारण खाण्डसारी उत्पादन पर व्यय बढ़ गया है।

इस प्रकार परिवर्तित स्थिति में इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि खाण्डसरी इकाइयों पर अनुचित भार न पड़े, और एक ओर, गन्ने के उत्पादकों तथा खाण्डसारी इकाइयों में कार्यरत मजदूरों के हित सुरक्षित रहें और दूसरी ओर, खाण्डसारी इकाइयां निर्विघ्न रूप से उत्पादन करती रहें जिससे कि अधिकाधिक मात्रा में लेवी भाग की खाण्डसारी प्राप्त हो सके, राज्य सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिये हैं;

श्री अध्यक्ष—

इसकी कापी हमारे पास नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मान्यवर, यह एजेन्डे में नहीं है आपने इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है, इसके अलावा इसकी कापी भी नहीं दी गयी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मुझे यह सूचना देने में देर हुयी, चूंकि यह महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, इसलिये इसको मुझे सूचित करना है।

श्री अध्यक्ष—

इसकी कापी मेरे पास भी नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं भिजवा दूंगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

अध्यक्ष महोदय, यह इत्तला अब दे रहे हैं अखबार में यह पहले छप गयी है। इसके बारे में पहले घोषणा करनी थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

(क) लेवी भाग का मूल्य रु० २०० से बढ़ाकर रु० २३५ प्रति कुन्टल कर दिया गया है।

(ख) लेवी भाग की मात्रा प्रथम प्रक्रिया से तैयार सफेद दानेदार खाण्डसारी चीनी की ३३ प्रतिशत से घटाकर २५ प्रतिशत कर दी गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

(ग) हाईड्रालिक क्रशर द्वारा पेरे गये गन्ने पर प्रथम प्रक्रिया में विनिर्मित खाण्ड-सारी शकर का परिमाण पूर्ववत् पेरे गये गन्ने का ४ १/२ प्रतिशत आंका जायगा, किन्तु नान-हाईड्रालिक क्रशर द्वारा पेरे गये गन्ने पर यह प्रतिशत घटाकर ४ प्रतिशत कर दिया जायगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिस विषय पर माननीय तिवारी जी बोल रहे हैं, एक तो वह आज की कार्य-सूची में नहीं है और दूसरे इसी सम्बन्ध में आज के स्वतन्त्र भारत और अंग्रेजी का अखबार जो 'पायनियर' है उसमे इस विषय पर घोषणा की गयी है, इसलिये मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

वह बयान दे सकते हैं। उन्होंने मुझसे बयान देने के लिये कहा। मैंने उनको इजाजत दे दी है। तब वह कह रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, ऐसा विषय जिसको कार्य-सूची में नहीं दिया गया है क्या सदन के अन्दर उस पर वक्तव्य दे सकते हैं, क्या ऐसा नियम है ?

श्री अध्यक्ष--

ऐसा हो सकता है। यह मन्त्री महोदय का अधिकार होता है कि वह वक्तव्य दे सकते हैं। यह भी कार्य-सूची का एक अंश होता है। मैंने इसकी उनको इजाजत भी दे दी है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, आप नियम ५० में देखें....

श्री अध्यक्ष--

वह ठीक है, आखिर अभी वक्तव्य आयेगा, आप उसके बाद उठा सकते हैं। आप कहते हैं कि स्वतन्त्र भारत में छप गया है। तो अभी तो वह वक्तव्य देंगे। आप उस पर अपनी राय दे सकते हैं।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, हमको पढ़ने के बाद, इस पर बोलने का मौका तो रहेगा।

श्री अध्यक्ष--

पढ़ लेने दीजिये। बाद को मौका मिलेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जो खाण्डसारी उत्पादक अपने लेवी भाग की चीनी समय से दे चुके हैं उन्हें इन निर्णयों के लाभ से वंचित करना सरकार न्यायोचित नहीं समझती अतएव उन्हें भी इन निर्णयों का पूरा लाभ आवश्यक समायोजन द्वारा दिया जायगा।

इस प्रकार माननीय सदस्य देखेंगे कि सरकार का इस कुटीर उद्योग के प्रति रुख उदार व न्यायपूर्ण है और सरकार आशा करती है कि इस उद्योग में लगे सभी उत्पादक सरकार को इस जनहित में चालू की गयी योजना को सफल बनाने में पूर्ण व हार्दिक योगदान देंगे।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)---

मान्यवर, अभी माननीय तिवारी जी ने बताया कि खाण्डसारी का मूल्य २०० से बढ़ाकर २३५ रु० कर दिया गया है। आपने बताया कि ३३ प्रतिशत के बजाय लेवी २५ प्रतिशत कर दी गयी है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि खाण्ड सारी का एक किलो का लागत मूल्य क्या है और एक किलो चीनी का लागत मूल्य क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही यह निर्णय लिया गया है।

श्री बाबू लाल वर्मा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष--

इनको क्या मालूम है। आप प्रश्न कर सकते हैं और तब सूचना दे देंगे।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, एक क्विन्टल गन्ने में कितनी खाण्डसारी तैयार होती है और कितनी चीनी तैयार होती है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, हाईड्रोलिक और नान-हाईड्रोलिक का अलग-अलग होता है और तीसरे प्रकार में भी अलग होता है।

श्री बाबू लाल वर्मा--

मान्यवर, पूरे प्रदेश में चीनी से रिकवरी खाण्डसारी की क्या है ? एक क्विन्टल गन्ने में कितनी चीनी बनती है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इसमें अलग-अलग परसेन्टेज आता है। कहीं अच्छे क्रशर लगे हैं तो ८ प्रतिशत तक होता है और जहां क्रशर ठीक नहीं लगे हैं तो उसका २ प्रतिशत आ सकता है।

श्री बाबू लाल वर्मा--

इस समय पूरे प्रदेश में जो रिकवरी चीनी की है वह औसत कितनी है ?

श्री अध्यक्ष--

इस पर अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

औसत रिकवरी जो है वह अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग है। पश्चिमी क्षेत्र में साढ़े ९ और पौने दस आ रही है, पूर्वी क्षेत्र में पौने ९ और ९ आ रही है। लेकिन रिकवरी जब सीजन खत्म हो जायेगा तब पूरे तौर से बतायी जा सकेगी।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)--

क्या माननीय मन्त्री जी जो गन्ने की कीमत है उसका कोई आधार निर्धारित करने की कृपा करेंगे ? आज स्थिति यह है कि काश्तकारों का गन्ना ६-७ रु० क्विन्टल पर लिया जा रहा है। गन्ना मिलों को १४ १/२ रु० क्विन्टल पर सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन क्रशर वाले गन्ना ६-७ रु० पर ले रहे हैं। तो आपने इसका कोई आधार बनाया है कि उनकी लूट को रोका जा सके ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, अधिकांश खाण्डसारी क्रेशर वाले सहमत नहीं हैं कि उनके लिये गन्ने का न्यूनतम मूल्य रख दिया जाय। जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है उसमें काफी बल है। इसलिये अगले सीजन में इस पर विचार किया जायेगा।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, ऐसा मालूम होता है कि हमारी खान्डसारी की इन्डस्ट्री को गवर्नमेंट खत्म कर देना चाहती है क्योंकि इस साल जो सरकार ने लेवी लगायी है वह सीजन के दौरान में लगायी है जिससे किसानों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा है। किसानों का हजारों-लाखों मन गन्ना खराब हो रहा है क्योंकि जो मिलें हैं उनकी कैपिसिटी उतनी नहीं है कि सारे गन्ने को पेर सकें। सरकार की नीति है कि जितने सल्फर प्लान्ट हैं वे बन्द रहें। क्रशर वालों को लाइसेन्स दिया जाय लेकिन उनको भी सरकार लाइसेन्स नहीं दे रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि किस वजह से सरकार खान्ड सारी की इन्डस्ट्री को खत्म कर देना चाहती है। आज प्रदेश के अन्दर इस खाण्डसारी इन्डस्ट्री पर जितना असर पड़ा है उससे मजदूर और किसान परेशान हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से मालूम करना चाहता हूं कि आपने इस सीजन के दौरान जो लेवी लगाकर किसानों पर यह भार डाला है। तो क्या मन्त्री जी इस बात को पसन्द करेंगे कि जो कुछ भी इस वक्त लेवी लगायी गयी है उसे खत्म कर दें और आइन्दा सीजन में इस सिलसिले में सोचा जाय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य की इस भावना का आदर करता हूं कि खांडसारी उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिये और उसकी सहायता की जानी चाहिये। उसका वास्तव में हमारे प्रदेश के लिये बड़ा महत्व है। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो लेवी लगायी गयी वह केवल इसलिये लगायी गयी कि हम चीनी का ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट देश और प्रदेश के हित में कर सकें और ज्यादा फारेन एक्सचेन्ज कमा सकें। जो डीजल, खाद, मिट्टी के तेल की किसानों को आवश्यकता है और जो पैदावार बढ़ाने के लिये आवश्यक चीजें हैं। उनके लिये विदेशी मुद्रा आवश्यक है। इस बीच में उन्हें यह जानकर खुशी होगी कि खान्डसारी के अनेक लोगों से बातचीत हुई। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि सभी राजी हैं लेकिन अधिकांश खाण्डसारी पैदा करने वाले यूनिट्स राजी हैं और इसके बाद ही यह निर्णय लिया गया यानी ३३ परसेंट से घटा कर लेवी २५ परसेंट की गयी। कीमत भी २३५ रुपया रखी है। खंडसारी के तीन प्रोसेस हैं। पहले बारी कढ़ाई में जब उबालते हैं उस पर लवी है। दूसरी और तीसरी बार जब उबालते हैं उस पर लेवी नहीं है। इसके साथ ही यह भी है कि जो डेढ़ महीने बीत चुके हैं इस बीच में उन पर भी यही

बात लागू होगी। खाण्डसारी यूनिट्स वालों ने भी इस बात को माना है और मैं माननीय सदस्यों से सहयोग चाहूंगा कि वह भी कृपया इसको स्वीकार करें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मैं एक प्रश्न मन्त्री जी से पूंछना चाहता हूं। औद्योगिक दृष्टि से जो जनपद पिछड़े हुए हैं और जहां कामर्शियल क्राप गन्ना ही है और दूसरी वाणिज्य फसलें नहीं होतीं वहां इस वर्ष ही खांडसारी उद्योग लगे हैं। वह अभी पनप नहीं पाये कि आप उनकी कमर तोड़ रहे हैं। तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप उन्हें कोई छूट देंगे ? जैसे देवरिया जनपद है। वहां १४ चीनी मिलें हैं। वाटर लागिंग के कारण वहां गन्ना उद्योग को बड़ा नुकसान हुआ है। आपको स्वयं भी जानकारी होगी कि गन्ना उद्योग को वहां १० करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो वहां आप कोई छूट देने पर विचार करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

ऐसी कोई मांग वहां की यूनिट्स की नहीं आयी अगर माननीय सदस्य कोई ऐसी सूचना अग्रसारित करेंगे तो अवश्य कार्यवाही की जायगी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तो आपने निर्णय दिया कि बाद में उठाऊं।

श्री अध्यक्ष--

अभी अगला वक्तव्य होने दें। अभी कार्य स्थगन वाला नहीं आया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जिस सम्बन्ध में मन्त्री जी का वक्तव्य है उसी सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

इसको लिखकर समय से दीजियेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मैं नियम ५० की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर दीजियेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, नियम ५० में दिया है कि --

"प्रश्न, जिनकी सदस्यों ने सूचना दी हो, और उनके उत्तर, जो मन्त्री सदन में देना चाहते हों, तब तक प्रकाशनार्थ नहीं दिये जायेंगे, जब तक कि सदन में प्रश्न न ले लिये जायं और उनके उत्तर न दे दिये जायं, या पटल पर न रखे जायं।"

इस तरह से, मान्यवर, यह प्रश्न खाण्डसारी के सम्बन्ध में किसी माननीय सदस्य ने सूचना दी होगी, जिस पर आज मन्त्री जी का वक्तव्य हुआ। मेरा निवेदन है कि सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं हुआ और यह समाचारपत्रों में कैसे छप गया ? इसको प्रकाशनार्थ नहीं भेजा जाना चाहिये था।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की बात से सम्पूर्ण रूप से सहमत हूं कि कोई भी ऐसे वक्तव्य का विषय, जबकि वह विधान सभा में चल रहा हो, प्रकाशनार्थ नहीं भेजा जाना चाहिये था। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शासन ने कोई ऐसा वक्तव्य प्रकाशनार्थ समाचार-पत्रों में नहीं भेजा। अगर किसी समाचार-पत्र ने अपनी जानकारी से कोई ऐसा समाचार छाप दिया हो, तो वह दूसरी बात है जिसके लिये न हम सम्बन्धित हैं, और न उत्तरदायी हैं। लेकिन इसमें दो-चार सन्दर्भ ऐसे हैं, जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं हुये। मैंने भी २-४ अखबार ऐसे देखे हैं। लेकिन यह परिपाटी ठीक नहीं है। कई बार इस तरह की बात उठ चुकी है कि बाहर वक्तव्य किसी अधिकारी ने या मन्त्री ने दे दिया ; यह बात ठीक नहीं है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि समाचार पत्रों में जो बात छपी है वह अधिकारिक नहीं है, शासन उसके लिये उत्तरदायी नहीं है। अगर हमारे माननीय सदस्य की बात सही होती, तो मैं स्वयं उसको स्वीकार कर लेता।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, नियम का मतलब है कि सही गोपनीयता रहे। समाचार-पत्रों में वह बात आ गयी, इसका मतलब हुआ कि गोपनीयता भंग हुयी है और इसके कागजात सरकार के पास थे। तो क्या सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष--

उनके कहने का मतलब है कि समाचार-पत्रों के लोग ब होशियार होते हैं, जिसके बारे में आप स्वयं समझ सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

पता नहीं उनकी चालाकी है, या इनकी।

श्री अध्यक्ष--

अब यह तो आपका कर्त्तव्य है कि पता लगायें।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, फैक्ट्स और फीगर्स के साथ वह छपा है। इसलिये मालूम होता है कि राज आउट हुआ। चाहे मन्त्री जी के आफिस से हुआ हो, या चाहे जिस तरह से हुआ हो। बहरहाल राज आउट हुआ।

श्री बाबू लाल वर्मा—

प्रश्न यह है कि गवर्नमेंट खरीदने और बेचने के लिये परचेज ऐक्ट बनाया है। उसकी तहत में केन्द्रीय सरकार जब गन्ने का मूल्य तय करती है, उसके मुताबिक गन्ना सहकारी समितियां गन्ना खरीदती हैं और मिलों को सप्लाई करती हैं और उसी हिसाब से काम होता है। उत्तर प्रदेश सरकार न्यूनतम मूल्य तय करती है उसके आधार पर किसान गन्ना देते हैं। रु० ८.५० पैसा केन्द्रीय सरकार ने न्यूनतम मूल्य तय किया है। उसके आधार पर सल्फर प्लान्ट और खाण्डसारी प्लान्ट गन्ना खरीद रही है। तो क्या यह नियम परचेज ऐक्ट का वहां लागू नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आप गन्ने के मूल्य के बारे में कह रहे हैं, वह तो खाण्डसारी के बारे में है।

श्री बाबू लाल वर्मा--

मैं जानना चाहता हूं कि क्या परचेज ऐक्ट वहां पर लागू नहीं होता। यह ऐक्ट वहां क्यों नहीं लागू किया जाता ?

श्री अध्यक्ष --

वह प्रश्न अलग है। गन्ने के मूल्य की बात दूसरी है और खाण्डसारी की बात अलग है।

श्री बाबू लाल वर्मा--

खाण्डसारी प्लान्ट जो लगे हैं उनको पूरा मूल्य नहीं मिल पाता है इसलिये वह बन्द हो गये और किसानों का गन्ना बरबाद हो रहा है। कानून यह बना हुआ है कि ८ रु० ५० पैसे से कम मूल्य पर कोई गन्ना नहीं खरीद सकता तो फिर कानून के तहत जो कम मूल्य पर गन्ना खरीद रहे हैं उन पर यह कानून मन्त्री जी लागू करेंगे या नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

विद्वान् सदस्य जानते हैं कि यह कानून वेकुअम पैन फैक्टरीज के लिये है, ओपिन पैन फैक्टरीज के लिये नहीं है। चूंकि उनकी बात में काफी बल है इसलिये भविष्य में अगले साल इस पर विचार किया जा सकता है।

इटावा जिले के ए० सी० सी० सीमेन्ट विक्रेताओं द्वारा जिला पूर्ति कार्यालय, इटावा से सांठ-गांठ करने के फलस्वरूप सीमेन्ट की कीमत में वृद्धि के सम्बन्ध में वक्तव्य

*वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

माननीय सदस्यों की सूचना का आशय यह है कि इटावा जनपद के ए० सी० सी० सीमेन्ट स्टाकिस्टों द्वारा सैयां चौकी, आगरा के माध्यम से सीमेन्ट आयात किया गया किन्तु उन्होंने लम्बे रास्ते अर्थात् झांसी-इटावा से उसे आयातित दिखा कर जिला पूर्ति कार्यालय, इटावा के सांठ-गांठ करके नाजायज यातायात खर्च सीमेन्ट की कीमत में सम्मिलित कराकर अनुचित लाभ उठाया है।

२--इस मामले की जांच खाद्य विभाग के मुख्यालय से एक वरिष्ठ अधिकारी (श्री एस० के० सिन्हा, सहायक आयुक्त) भेजकर कराई गयी। इस जांच से जो तथ्य सामने आये हैं वह निम्न प्रकार हैं :

ए० सी० सी० ग्रुप का बनमोर सीमेन्ट वर्क्स, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है जहां से सड़क द्वारा सीमेन्ट लाने के लिये तीन मार्ग हैं :--

(१) बनमोर से इटावा वाया अम्बाह चेक पोस्ट, झांसी, कालपी, पुखरांया और औरैया--इस मार्ग की दूरी ४३९ किलो मीटर है।

(२) बनमोर से इटावा वाया मुरैना, चम्बल नदी, धौलपुर, सैयां चेक पोस्ट आगरा--इस मार्ग की दूरी २२० किलो मीटर है।

(३) बनमोर से इटावा वाया भिंड--इस मार्ग की दूरी १४७ किलो मीटर है।

३--लगभग दो वर्ष पूर्व चम्बल नदी का पुल टूट जाने के फलस्वरूप इटावा जिले में बनमोर सीमेन्ट वर्क्स से सीमेन्ट लाने का केवल अम्बाह चेक पोस्ट, झांसी, कालपी, पुखरांया इत्यादि से गुजरने वाला लम्बा मार्ग ही, जिसकी दूरी ४३९ किलो मीटर है, उपलब्ध था। सैयां चेक पोस्ट पर ट्रक वालों से जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

कि नवम्बर, १९७४ के प्रथम सप्ताह में एक बड़ा स्टीमर नदी में चलने लगा जिस पर ३ ट्रक एक साथ ही पार होते रहे हैं। चम्बल नदी पर एक नया पुल बन गया है जो जनवरी, १९७५ से ट्रकों के लिये खुल गया है। इसके कारण बनमोर से इटावा की दूरी केवल १४७ किलो मीटर रह गयी है। ८ जनवरी, १९७५ के पश्चात् सीमेन्ट का आयात इसी मार्ग द्वारा किया जा रहा है और जिला पूर्ति अधिकारी ने इसी मार्ग से मार्ग व्यय स्वीकार किया है।

४—३ फरवरी, १९७५ को इटावा के दैनिक समाचार-पत्र "दिन रात" तथा दैनिक "देश धर्म" क्रमश: "सीमेन्ट डीलरों व पूर्ति विभाग की सांठ-गांठ से हजारों की लूट, पूर्ति विभाग से जवाब तलब" "६ हजार सीमेन्ट बोरियों की बिक्री रोकी गयी ; ठेले वालों ने स्टाकिस्टों को मूर्ख बनाकर ठगा" शीर्षकों के अन्तर्गत समाचार प्रकाशित हुए। इस पर जिला पूर्ति अधिकारी ने समस्त ए० सी० सी० के सीमेन्ट स्टाकिस्टों को ४ फरवरी, १९७५ को नोटिस भेज कर स्पष्टीकरण मांगा और उनसे यह अपेक्षा की कि व नोटिस प्राप्ति के २ दिन के अन्दर समस्त कागजात (आयात को ट्रान्सपोर्ट रसीद, बहती रसीद एवं सेल्स टैक्स का फार्म नम्बर ३१ आदि) कार्यालय में प्रस्तुत करें और यह स्पष्ट करें कि उनके विरुद्ध क्यों न कठोर कार्यवाही की जाय ? इसके पश्चात् ७ फरवरी, तथा २१ फरवरी, १९७५ को स्टाकिस्टों को अनुस्मारक भी भेजे गये।

५—इस नोटिस के अनुपालन में २ स्टाकिस्ट अर्थात् मेसर्स कन्हैया लाल प्यारे लाल तथा अग्रवाल ट्रेडर्स ने बिक्री-कर कार्यालय का फार्म नम्बर ३१ प्रस्तुत किया जिसे देखने पर यह ज्ञात हुआ कि मेसर्स कन्हैया लाल प्यारे लाल का फार्म ८ सितम्बर, १९७४ को तथा मेसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स, जसवन्त नगर का फार्म दिनांक ३० सितम्बर, १९७४ को सैयां चेक पोस्ट पर सत्यापित हुआ है जिसकी दूरी २०० किलो मीटर है किन्तु सीमेन्ट की कीमत निर्धारित करने में यह दूरी ४३९ किलो मीटर की रखी गयी है जो कि कम्पनी के डिस्पैच इन्वाइस में भी प्रदर्शित है। परिणामस्वरूप जिलाधिकारी के आदेश दिनांक ३ मार्च, १९७५ द्वारा इन दोनों स्टाकिस्टों के सीमेन्ट की सप्लाई निलम्बित करने के ये आदेश पारित किये गये। इसके अतिरिक्त ए० सी० सी० कम्पनी के जिन अन्य स्टाकिस्टों को नोटिस दिया गया है, और जिन्होंने अभी तक फार्म नम्बर ३१, प्रस्तुत नहीं किया है वे निम्न हैं :

(१) मेसर्स जमुना प्रसाद एण्ड सन्स, इटावा,
(२) मेसर्स गोविंद बल्लभ आनन्द बल्लभ, बरालोकपुर,
(३) मेसर्स गुरु नारायन ईश्वर दयाल, लखना,
(४) मेसर्स जय नारायन जगत नारायन द्विवेदी, मुरादगंज,
(५) मेसर्स रामतुले लाल गुलजारी लाल, दिबियापुर,
(६) मेसर्स छेदी लाल, मूलचन्द, भरथना,
(७) मेसर्स कृष्ण स्वरूप प्रेम स्वरूप, भरथना,
(८) मेसर्स तारा चन्द कृष्ण कुमार, औरैया,
(९) मेसर्स गुलजारी लाल राम रतन लाल, औरैया,
(१०) मेसर्स लक्ष्मी एण्ड कम्पनी, औरैया,

६—सैयां चेक पोस्ट के अभिलेखों से जो सूचना अभी तक प्राप्त हुयी है, उसके अनुसार कुल १७,८०० बोरी सीमेन्ट इस चेक पोस्ट के रास्ते से लाई गई जिसकी दूरी २२० किलो मीटर है जबकि लम्बे मार्ग से, जिसकी दूरी ४३९ किलो मीटर है, परिवहन व्यय सम्मिलित करके सीमेन्ट का मूल्य निर्धारित किया गया था। स्टाकिस्टों को इस कारण से लगभग ४६,००० रु० से कुछ अधिक का लाभ अनुमानित है। जांच से यह ज्ञात हुआ है कि

यह कहना गलत है कि सेल्स टैक्स विभाग ने जब इस मामले को पकड़ा, तब जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा कार्यवाही की गयी। सेल्स टैक्स आफिसर ने कोई रिपोर्ट इस सम्बन्ध में नहीं दी। ३ फरवरी को स्थानीय दैनिक अखबारों ने जब यह खबर छापी तो उसके तुरन्त बाद जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा कार्यवाही की गयी। जांच से यह ज्ञात हुआ कि जिला पूर्ति अधिकारी अथवा उनके कार्यालय के किसी कर्मचारी का इस मामले में कोई हाथ नहीं है। ए० सी० सी० के स्टाकिस्टों ने सही तथ्यों को नहीं बतलाया। जैसे ही जिला पूर्ति अधिकारी को जानकारी प्राप्त हुयी उन्होंने स्टाकिस्टों के विरुद्ध कार्यवाही करने में कोई विलम्ब नहीं किया। यह भी कहना सही नहीं है कि जिला स्तर पर मामला दबा दिया गया है। ए० सी० सी० के १२ स्टाकिस्टों के विरुद्ध भारतीय दन्ड विधान की धारा ४१७, ४१८, तथा ४२३ और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा ३/७ के अन्तर्गत अभियोग कायम कर दिया गया है और ए० सी० सी० कम्पनी को यह आदेश भी भेज दिये गये हैं कि सभी स्टाकिस्टों की सप्लाई निलम्बित कर दें। विधिवत् अग्रिम कार्यवाही की जायगी जिससे कि अपराधी व्यक्तियों को समुचित दण्ड मिल सके।

उपरोक्त मामले के प्रकाश में आने के पश्चात् शासन द्वारा सभी जिलाधिकरियों को उचित आदेश जारी किये गये हैं ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने ३ पेज का बयान पढ़ दिया। इसमें सच्ची बात और तथ्यों को छिपाने की कोशिश की गई है? इससे यह साफ जाहिर होता है कि मन्त्री जी का इससे कोई मतलब नहीं है और जो रिपोर्ट वहां के अधिकारियों ने दी उसी को उन्होंने यहां पर पढ़कर सुना दिया। मान्यवर, मेरा स्पष्ट आरोप था कि डी० एस० ओ० के दफ्तर वालों ने और सेल्स टैक्स के अधिकारियों ने डीलर्स से मिलकर यह सारा घोटाला किया है। मुझे यह पता चला है कि जितने भी ये डीलर्स हैं उनके साथ मन्त्री जी ने एक बन्द कमरे में बातचीत की है। उस स्थिति को इस बयान में नहीं लाया गया है और यह कोशिश की गई है कि अधिकारियों का कोई दोष नहीं है। ३ फरवरी को वहां के दैनिक पत्र "देश-धर्म" और "दिन-रात" में खबर छापी गई और उसके तुरन्त बाद डी० एस० ओ० ने डीलर्स के विरुद्ध कार्यवाही करनी प्रारम्भ कर दी। इससे पहले "अमर उजाला" के प्रतिनिधि श्री विद्याधर तिवारी ने मौखिक रूप से डी० एस० ओ० के दफ्तर में यह जानकारी दे दी थी। ४ फरवरी को डी० एस० ओ०, इटावा ने इन डीलर्स को बुलाया और बन्द कमरे में इस तरह की योजना बनाई कि कैसे इससे बचा जाय। उनको मालूम नहीं था कि आगे चलकर और मसला खड़ा हो सकता है। इस तरह से जब डी० एस० ओ० ने समझा कि हमारे ऊपर इस घोटाले की बात आ सकती है तो यह कहा कि ऊपर जाकर ऐसी सांठ-गांठ कर लो जिससे हम लोग बच सकें और इस तरह से ३ फरवरी से २६ फरवरी तक इन डीलर्स के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई और कहा गया कि डी० एस० ओ० ने इनके विरुद्ध कार्यवाही की है। जो यह बताया गया है कि १७,८०० बोरी सीमेन्ट बनमोर से आयी है, उसके तीन रास्ते बताये हैं एक रास्ता तो बन्द ही है। बनमोर से सैंया चौकी होकर आगरा। उसकी दूरी २२० किलो मीटर बताई है। लेकिन औरय्या में रहने वाले के लिए वह ३ सौ किलो मीटर है। तो डी० एस० ओ० की रिपोर्ट गलत आई है। जो सेल्स टैक्स का ३१ नम्बर फार्म होता है उसमें सीमेन्ट का रेट जो तय होता है उसमें चेक पोस्ट की चिट, गेट पास और डीलर्स के पत्र जब इकट्ठा होते हैं तब तय होता है। तो उसमें डी० एस० ओ० महोदय ने उन कागजों को नहीं देखा और जिलाधिकारी ने भी नहीं देखा। वहां पर जो सामान आता है वह दो रास्तों से आता है झांसी और आगरा से। तो मेरा कहना है कि जानबूझ कर डी० एस० ओ० के दफ्तर वालों ने और सेल्स टैक्स

[श्री मुलायम सिंह यादव]

कार्यालय के अधिकारियों ने और डीलर्स ने मिलकर घोटाला किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें जो उन्होंने कहा है उसमें ४६ हजार रुपये का अनुमानित लाभ होने की बात कही है। लेकिन घोटाले शब्द का प्रोयोग नहीं किया है। तो यह बयान मन्त्री जी का लिखा हुआ नहीं है अगर उन्होंने लिखा होता तो निश्चित रूप से घोटाला लिखा होता लेकिन यह उन अधिकारियों का लिखा है जिन्होंने अनुमानित लाभ लिखा है। तो यह जानबूझ कर डीलर्स डी० एस० ओ० और सेल्स टैक्स आफिस के अधिकारियों ने मिलकर घोटाला किया है। यह मामला कोई जनवरी में नहीं हुआ यह नवम्बर और दिसम्बर दो महीनो में हुआ है जिसमें १७,८०० बोरियां आईं.....

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष--

यह सही है। उन्होंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह ठीक है। जो सूचना आपको मिली है उस पर आप प्रश्न करें। अगर आप समझते हैं कि गलत रिपोर्ट आई है तो आप अपनी रिपोर्ट दे दें उसको हम भेज देंगे। एक तो यह तरीका हो सकता है। या आप लिख कर दे दें कि यह बयान जो दिया गया है यह ठीक नहीं है या आप अपना बयान दे दें और उसकी जांच करवा ली जायगी। दूसरा तरीका यह हो सकता है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैं प्रश्न ही करूंगा। यह जो ६० हजार बोरियां आईं इसमें से कुछ आगरा हो कर आईं और कुछ झांसी होकर आईं। तब भी डी० एस० ओ० महोदय नहीं जान पाये। तो क्या आप डी० एस० ओ०, इटावा के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, जो वक्तव्य मैंने प्रस्तुत किया है उसमें केवल एक सैयां चेक पोस्ट से बोरियां आई हैं। माननीय सदस्य उसमें झांसी की बात भी जोड़ रहे हैं। तो इसका मैं पता लगाऊंगा कि झांसी के मार्फत कितनी आईं। चूंकि उन्होंने कुछ और भी प्रमाण दिये हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कोई और सूचना रह गई है जो उनको मालूम है वह भी मुझे दे दें। अवश्य उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डी० एस० ओ० ने जो बगैर देखे ही रेट फिक्स कर दिये तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही अभी तक की गई, या नहीं?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जैसा मैंने वक्तव्य में कहा है और जैसी मुझे सूचना है दी गई है, उन्होंने जो कागजात उनके सामने आये, उससे रेट फिक्स किया। लेकिन बाद में जब सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ स्टाकिस्ट्स ने दूरी कम दिखाई तो उसके आधार पर उनके खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा ४१७, ४१८ व ४२३ के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है और वे स्टाकिस्ट्स निलम्बित भी हुए हैं। अधिकारियों पर भी कार्यवाही होने का जो सवाल है, मैंने माननीय सदस्य से कहा है, वह हमें अपनी पूरी जानकारी दें, उसकी जांच होगी और आवश्यक होने पर कार्यवाही उनके खिलाफ होगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से कागजात थे, जिनके आधार पर रेट फिक्स हुये थे ? बिना रसीद के हो नहीं सकता है और रसीद थी नहीं, तो क्या जाली रसीद उस समय पेश की गई थी ? यदि ऐसा है तो इसका मतलब है कि अफसरों की उनसे मिलीभगत थी ? यदि माननीय सदस्य यह सवाल न उठाते तो यह घोटाला चलता रहता, इसकी रोक-थाम के लिये उन्होंने क्या आदेश दिए हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस बारे में तो स्वयं विद्वान् सदस्य, इटावा ने बताया कि फार्म ३१ होता है और जो स्टाक इश्यू होता है, ट्रान्सपोर्ट और चुंगी का वही खाता होता है। मैं उनकी चारों चीजों को मानकर चलता हूं, ऐसा होगा तो कार्यवाही होगी।

श्री मुलायम सिंह यादव—

चारों कागज देखकर रेट बनता है, उस समय उन अधिकारियों ने कागजात नहीं देखे हैं तो मेरे लिखने की क्या जरूरत है। मंत्री जी स्वयं दोषी अधिकारियों के खिलाफ उन्हें देखकर कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं ? ३१ नम्बर फार्म है, जो चेक पोस्ट फार्म होता है, जो बिल्टी फार्म होता है और चुंगी फार्म होता है और डीलर्स का पत्र होता है, इन चार या पांच को देखकर ही रेट बनता है। जिस समय रेट ३ रुपया प्रति बोरा बढ़ाया गया है, तो क्या उस समय वहां के जिलाधिकारी और डी० एस० ओ० ने उनको नहीं पढ़ा ? इस वजह से साफ हो गया कि उनकी मिलीभगत थी, तो क्या इसको ही देखकर उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो सकती है ?

श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला लखीमपुर खीरी)—

(डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के माननीय मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठने पर)

एक व्यवस्था का प्रश्न है, आपके समक्ष तय हुआ था कि कोई सदस्य या मंत्री मुख्य मन्त्री अर्थात् नेता सदन की कुर्सी पर नहीं बैठेगा, तो क्या इस समय उसमें तब्दीली हो गई है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

उस कुर्सी के कितने क्लैमेंट हैं कहा नहीं जा सकता।

श्री राज ब्रजराज सिंह—

मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वह मुख्य मन्त्री हो गई हैं।

*खाद्य एवं रसद मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

चूंकि मैं अपर हाउस में थी वहां से आने पर यहां बैठ गई, क्योंकि मेरे से सम्बंधित प्रश्नों का उत्तर तिवारी जी दे रहे थे। यह सोचकर कि मैं उनके साथ इनका जवाब दे सकती हूं, मैं उनके पास बैठ गई। माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया था, उसमें यह बता देना जरूरी है कि किस तरह से रेट फिक्स होते हैं। सीमेंट के बारे में बराबर स्टाकिस्ट्स की तरफ से सरकार को यह प्रतिवेदन दिया गया कि जब रेलवे वैगन्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो हमें रोड से भी लाना एलाउ किया जाय। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने विचार किया कि लोगों को ज्यादा सीमेंट मिल सकें तो रूट्स की दूरी के हिसाब से यहां से निश्चित करके भेज दिया गया कि किस तरह से रेट निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार के आदेश हर जिले को भेजे गये,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

हमारे प्रदेश में अलग-अलग फैक्टरियों से सीमेंट आती है जिनकी अलग-अलग दूरी है, तो उस वजह से ट्रान्सपोर्ट चार्जेज को उसमें जोड़ने के लिये यह आदेश हमारी तरफ से गये कि इसको किस तरह से डी० एस० ओ० जोड़ेंगे। वह फारमूला तय कर दिया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह प्रश्न ही नहीं है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

तो इसे डी० एस० ओ० द्वारा तय किया गया। इटावा से उस समय दो रूट्स थे। एक रूट जो ४३९ किलोमीटर का था उसी रूट से उस वक्त आ सकता था। दूसरा रूट था २२० किलोमीटर का। उस रूट में चूंकि दिक्कत थी इसलिये नहीं आ रहा था। एक तो कानपुर में आफिस है जो लिख देता है इस-इस फैक्टरी से स्टाकिट्स को लाने की इजाजत दी जाती है। उस पर, रूट की दूरी इनवाइस में लिखी होती है उस इनवायस के आधार पर डी० एस० ओ० आफिस में मूल्य निर्धारित होता है। वह मूल्य निर्धारित कर दिया गया। फिर बाद में, जब निर्धारित हो चुका था--ट्रान्सपोर्टर्स को वही मूल्य जो डी० एस० ओ० आफिस से तय होता है, देते हैं। लेकिन बीच में जैसा आपने प्रश्न उठाया, अखबारों में निकला, जब यह सूचना आयी उसके आधार पर डी० एस० ओ० आफिस में जाकर मालूम किया गया कि क्या सचमुच में स्टाकिस्ट्स ने ऐसा किया है और हमारे यहां से आपके प्रश्न उठाने के बाद यहां से उच्चाधिकारी को भेज कर जांच करायी गयी तो समझ में आया कि ट्रान्सपोर्टर्स ने, स्टाकिस्ट्स ने इन लोगों ने कार्यवाही की है। इसलिये ऐक्शन लिया गया है। डी० एस० ओ० आफिस की तरफ से, जिलाधीश की तरफ से बड़ी तत्परता से काम किया गया, जैसे यह बात नोटिस में आयी।

श्री अध्यक्ष--

हो गया।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

जो प्रमुख सीमेंट उत्पादन केन्द्र हैं, जैसे ऐसोशिएटेड सीमेंट कम्पनी, डल्ला सीमेंट कम्पनी, डालमिया नगर-सतना सीमेंट कम्पनी हैं प्रत्येक वैगन पर चार-पांच सौ रुपये ले लेते हैं। उसका भार उपभोक्ता पर पड़ता है, इसलिये क्या इस पर भी अंकुश है ?

विभिन्न समितियों के चुनावों के स्थगन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, अनुसूचित जातियों आदि सम्बन्धी संयुक्त समिति, २७ स्थायी समितियों तथा महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड में इस सदन के सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम जो १९ मार्च, १९७५ से नियत किया गया था, उसे सभी दलों के नेताओं के अनुरोध पर स्थगित कर दिया है। परिवर्तित कार्य-क्रम की बाद में सूचना दूंगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम ५६ के अन्तर्गत कई सूचनायें मिली हैं। माननीय दयाराम भास्कर, माननीय रामवचन यादव, और माननीय विश्राम राय ने आजमगढ़ में ओला वृष्टि तथा आंधी-तूफान से रबी की फसल को क्षति के सम्बन्ध में दिया है। तथा माननीय बाबूलाल वर्मा, और माननीय दशरथ सिंह ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में ओला वृष्टि तथा आंधी-तूफान से रबी की फसल को क्षति के सम्बन्ध में दिया है। यह जो शासन की ओर से २० मार्च को वक्तव्य होने वाला है उसमें शामिल कर दिया जायगा। ये नाम जोड़ दिये जायेंगे।

माननीय हिम्मत सिंह, माननीय हरीश चन्द्र खांडेलवाल, माननीय मोहन लाल कपूर, माननीय राजेन्द्र प्रसाद चौधरी और माननीय ओम प्रकाश सिंह ने गेहूं के वर्तमान खरीद मूल्य से कृषकों में असन्तोष के सम्बन्ध में दिया है। इस पर उस दिन चर्चा हुई थी, गेहूं का दाम तय करने के सम्बन्ध में यहां पर कुछ बातें प्रकाश में आयीं हैं। वह बजट भाषण में भी कह सकते हैं। शायद माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, मैंने कीमत के विषय में नहीं दिया है। मैंने लेवी किसानों से न ले कर सीधे मार्केट से खरीदें इसके लिये दिया है। क्योंकि प्रदेश में फिक्स्ड इकानामी चल रही है। सारे प्रदेश में ओला से खेत मारे गये हैं। खेत बोये नहीं गये थे। इन कारणों से किसानों से लेवी न लेकर व्यापारिक रूप में खुले बाजार से गल्ला खरीदें।

श्री अध्यक्ष--

आपने लिखा है--"१५० रुपये प्रति क्विन्टल मूल्य न करने से बड़ा असन्तोष है। प्रदेश सरकार द्वारा १०५ रुपये पर सहमति दे देने से किसान का बड़ा अहित हो रहा है।" उस दिन चर्चा हुई थी। इस कारण से कि बजट में रखने का आपको अवसर मिलेगा, यह कार्य-स्थगन नहीं बनता है।

एक माननीय मोतीलाल देहलवी का है कि बिजली का किराया १५ रुपये प्रति हार्स पावर प्रतिमाह की दर से वसूला जाना। बिजली के अनुदान पर और बजट की सामान्य चर्चा पर आप कह सकते हैं।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रदेश में किसानों से प्रति हार्स पावर १५ रुपये प्रति माह किराया लिया जाता है और बिजली मिलती नहीं है जिससे किसानों की फसल सूखती है। इस तरह से किसान के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है।

श्री अध्यक्ष--

आज बजट पर सामान्य चर्चा है उसमें सारी बात आ सकती है।

श्री मोती लाल देहलवी--

आप कह देते हैं कि यह एक जिले का प्रश्न है लेकिन यह तो सारे प्रदेश का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

इस चीज के महत्व को आप रोशन कर सकते हैं। आपको बजट की सामान्य चर्चा के समय अवसर है। तय तो ऊपर से बात होगी, आप तय नहीं करेंगे। आपको सवाल उठाने का अवसर उपलब्ध है।

माननीय सत्य प्रकाश मालवीय, श्री अठईराम, श्री मधुकर दिघे, श्री मुहम्मद मसूद खां तथा श्री शफीकुर्रहमान बर्क का है। रबी की फसल की लेवी व्यापारियों के बजाय सीधे किसानों से लिये जाने से उत्पन्न संकट के बारे में है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, इसमें मेरा निवेदन यह है कि जो रबी की फसल है उसमें व्यापारियों के बजाय किसानों से गेहूं, चना और सरसों पर लेवी ली जायेगी और मुझे जानकारी हुई है कि कोई शासनादेश भेजा गया है जिसमें है कि २० प्रतिशत से लेकर ६० प्रतिशत तक लेवी ली जायेगी लेकिन सिंचित और असिंचित भूमि के सम्बन्ध में एक ही मापदन्ड रखा गया है। आप तथा सारे सदन को जानकारी है कि प्रदेश में ओला पड़ गया है। इसमें ऐसे किसान भी आ जायेंगे जो केवल बीज बोते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इसके लिये आपको बजट की सामान्य चर्चा पर अवसर है। आप कहिये और शासन से जवाब लीजिये। अगर जवाब नहीं मिलता है तो आप कह सकते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या शासनादेश खाद्य कमिश्नर, श्री टंडन की ओर से जो प्रदेश के अधिकारियों को गया है उसकी भी जानकारी उनको नहीं है? सामान्य चर्चा में विलम्ब होगा।

श्री अध्यक्ष--

जब बजट पर सामान्य चर्चा चलती है तो उसमें आप रख सकते हैं। अगर आप चौधरी साहब को दे देंगे तो बेहतर रख सकते हैं।

एक श्री रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री गोविन्द सिंह नेगी तथा श्री ऊदल का है।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, पहले दो मिनट आप सुन लें फिर निर्णय देने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)---

सवाल यह है कि एक जी० ओ० सरकार की तरफ से गया है।

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दे दीजिये या चौधरी साहब से कह दीजिये वह उठा देंगे। अभी उनका भाषण होने वाला है। बजट की सामान्य चर्चा पर आपको अवसर है। (व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे--

लेकिन हम अपनी पोजीशन तो स्टेट कर देंगे। आज अगर यह चर्चा होगी तो सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आ जायगा।

श्री अध्यक्ष--

विरोधी दल के जो नेता चाहते हैं जवाब आ ही जाता है।

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष--

माननीय रामचन्द्र बक्श जी, जब चर्चा का अवसर आपको है, तो आप क्यों खड़े हैं?

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, दिनांक २६ फरवरी, १९७५ से क्रमिक भूख हड़ताल हो रही है। उनके ऊपर बम्ब तक डाले गये। एक बार तो वे लोग बच गये परन्तु दूसरी बार जब बम्ब फेंकवाया गया तो उनका खेमा जल गया। मान्यवर, आपने कहा था कि अहिंसात्मक ढंग से हर आदमी को अनशन करने का अख्तियार है। आज हमारे नेता माननीय भीखा लाल जी ने माननीय मुख्य मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में एक पत्र दिया है। मान्यवर, यह मामला आज का नहीं है, इसके पहले मोदी परिवार ने बहुत जुल्म ढाया था। उस वक्त माननीय बहुगुणा जी केन्द्र में थे और ये ही आकर इन्टरवीन किये थे। मान्यवर, यह जो मोदी परिवार का जुल्म चल रहा है, इससे बहुत बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो गई है।

श्री अध्यक्ष--

इसमें आपको बोलने का अवसर मिलेगा। इसमें सरकार का जवाब आ जायगा। अगर नहीं आयेगा तो मैं देखूंगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

अध्यक्ष जी, सरकार का जवाब ही नहीं आता है। अभी आपने देखा था कि एक मन्त्री ने कहा कि इन्क्वायरी करवायेंगे तो दूसरे मन्त्री ने कहा कि सब ठीक है।

श्री अध्यक्ष--

आपको कहने का अख्तियार है।

माननीय गिरिजा शंकर पाठक ने और श्री राम रति बिन्द ने जो सवाल उठाया है। यह चूंकि एक मन्त्री के सम्बन्ध में एक आरोप है, इसलिये मैं चाहूंगा कि वह स्वयं बयान दे दें और वह अपना एक स्पष्टीकरण दे देंगे।

श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, सेबरही शुगर मिल देवरिया सपहा फार्म पर लाखों रुपये की बनी हुई बिल्डिग तथा ५० एकड़ जमीन श्रीमती मालती पांडेय के नाम बैनामा ३१ हजार रुपये में करवाया गया है। यह बैनामा सब-रजिस्ट्रार पड़रौना के रजिस्टर नं० २, जिल्द नं० ७३२, पृष्ठ ९६ पर, क्रम सं० ५४५, दिनांक २३ नवम्बर, १९७३ दर्ज है, जब कि ये मिल की सैकड़ों मील जमीन सीलिंग में है। सीलिंग ऐक्ट, १९७२ में पास हो गया है। इसके बाद इन्होंने अनियमित बैनामा कराया है। १२ हजार रुपये में इस बिल्डिग का बैनामा किया गया है जिसका भुगतान कुल ३१ हजार रुपया किया गया था। सेन्ट्रल बैंक ड्राफ्ट नम्बर १७७७६६ है। यह पैसा किस खाता से आया है, इसकी जांच की जाय। माननीय मंत्री जी ने कोर्टफीस बचा कर पूरे उत्तर प्रदेश का शोषण किया है।

श्री अध्यक्ष--

बयान जब आयेगा तब पूछियेगा। वह जब स्पष्टीकरण देंगे तब आप पूछ लेंगे।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैंने एक निवेदन किया था। एक प्रस्ताव दिया था नियम १०३ के अधीन। उसमें मैंने यह निवेदन किया था कि हमारा दल सिद्धान्तत: लेवी का विरोधी है। लेवी नहीं होनी चाहिये। सरकार को लेवी विदड्रा करना चाहिए जिसके बारे में हिम्मत सिंह ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उसकी जो प्रक्रिया है उससे सारी जनता दुखी है। मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो जाये और सरकार यह आश्वासन दे कि वह इसको विदड्रा कर लेगी। मुझे याद है कि पिछली मर्तबा और अनेकों मर्तबा इस विषय पर प्रश्न उठाये गये। माननीय मुख्य मंत्री जी या सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इतना गम्भीर विषय है लेवी का जो प्रभावित कर रहा है सारे प्रदेश को। सारे प्रदेश को ही नहीं बल्कि ८५ प्रतिशत जनता को लेवी प्रभावित कर रही है। परसाल का घाव पूरा नहीं हुआ। अलग चर्चा होगी तो माननीय सदस्य इस पर अलग-अलग विचार रख सकेंगे। मान्यवर, अगर आप यह कहेंगे कि बजट के दौरान इस पर चर्चा हो जायगी तो उससे मेरा सन्तोष नहीं होगा। जैसा मैंने कहा कि कुछ भी कीमत लगावें, हम लेवी नहीं लगाने देंगे। अगर आप चाहते हैं तो जैसे ओपन मार्केट में व्यापारी आता है उसी तरह से आप भी आवें। तो हमारी सरकार इस प्रकार से क्यों नहीं खरीदती है। वह उन्हें खाद दे नहीं पाती है, पानी दे नहीं पाती है और बीज दे नहीं पाती है। आप इस पर चर्चा करने का अवसर दें ताकि जनता समझ सके इनकी नीति को।

श्री अध्यक्ष--

अभी मैंने इसको देखा नहीं है। माननीय त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं उसको मैंने देखा नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अगर चर्चा नहीं होगी तो हमको सन्तोष नहीं होगा और जनता के साथ न्याय भी नहीं होगा। आप इस पर शासन का ध्यान केन्द्रित करें।

श्री अध्यक्ष--

इसको देख लूंगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

सरकार लेवी लेवी कह कर चिल्लाती है।.....

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

मैंने राशन का दिया है। राशन बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैंने एक संवैधानिक आपत्ति उठायी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बाबू लाल वर्मा--
मेरा राशन का है ।

श्री अध्यक्ष--
मैंने कह दिया कि देखा नहीं है ।

श्री मधुकर दिघे--
अगर बजट पर चर्चा शुरू हो जायेगी तो मेरी आपत्ति जो है वह बजट की गोपनीयता और मंत्रि परिषद् की गोपनीयता को रक्षित नहीं करेगी। इस सम्बन्ध में आपत्ति है। कहीं ऐसा न हो कि चर्चा हो जाये और. . . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--
जो आपने दिया है उसको देख लेंगे। बजट चलेगा उससे कोई अन्तर थोड़े होता है। एक दिन का मामला नहीं है। अगले दिन आयेगा।

श्री मधुकर दिघे--
सोमवार को ?

श्री अध्यक्ष--
हां ।

श्री बाबू लाल वर्मा--
नियम ५६ के अन्तर्गत नियम ५६ का दिया है।

श्री अध्यक्ष--
मैंने कह दिया कि आप ने जो दिया है उसको ओले वाले के साथ जोड़ दिया जायेगा।

श्री बाबू लाल वर्मा--
मान्यवर, राशन की दुकान खोलने के बारे में कहना है।

श्री अध्यक्ष--
उसका आप सुझाव दे सकते हैं।

श्री बाबू लाल वर्मा--
यह बड़ा गंभीर मामला है। आप विचार नहीं कर रहे हैं, इस तरह से काम नहीं चलेगा। सुझाव से काम नहीं चलेगा। राशन की समस्या है, इस पर भाषण से काम नहीं चलगा।

श्री अध्यक्ष--
आपने जो सूचना दी है, उसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों में आई आंधी व ओले के गिरने से क्षति के बारे में कहा गया है।

श्री बाबू लाल वर्मा--
श्रीमन्, आप अन्त में देखें, मैंने राशन की दुकानों के बारे में भी दिया है।

श्री अध्यक्ष--
दूसरे को हम अस्वीकार करते हैं।

श्री बाबू लाल वर्मा--
श्रीमन्, मैंने इसी में राशन की दुकानों के खोलने के बारे में दिया।

श्री अध्यक्ष--
अब तो आप ज्यादती करते हैं, यदि आप कोई सुझाव देना चाहें तो आपको इसके लिये मौका मिलगा ।

श्री बाबू लाल वर्मा--
श्रीमन्, आप पूरी बात पढ़ते नहीं हैं ।

१९७५-७६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं जो बजट १९७५-७६ का. . . . . .

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री बाबू लाल वर्मा सदन त्याग कर चले गये।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, उनका कहना था कि राशन का काम भाषण से नहीं चलेगा। जनता राशन चाहती है ।

चौधरी चरण सिंह--

श्रीमन्, पेश्तर इसके कि मैं इस बजट में जो प्रस्ताव रखे गये हैं, उनके सिलसिले में कुछ अर्ज करूं, मैं माननीय मुख्य मंत्री को एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि बजट इतना बड़ा और पेचीदा है कि, मैं तस्लीम करता हूं कि इतने दिन गवर्नमेंट में रहने के बावजूद भी इसको पूरी तरह से नहीं समझता हूं। मेरा सुझाव यह है कि इसके लिये एक दिन का वक्त पढ़ने का जो मिलता है, वह नाकाफी है। मेरी प्रार्थना है कि जिस दिन बजट पेश हों, उस दिन से २ दिन का मौका माननीय सदस्यों को इसका अध्ययन करने के लिये अवश्य मिले ताकि इस पर एक अच्छी बहस हो सके।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि १९७२-७३ तक गवर्नमेंट आफ इंडिया में " एकोनोमिक रैव्यु" नामक पुस्तक निकलती थी जिसमें बहुत ही लाभदायक सूचना होती थी। वह हमारे यहां भी निकला करती थी, लेकिन वह अब बन्द हो गई है। हमारे माननीय वित्त मंत्री को एक शब्द बहुत पसन्द है और हर बार जब वे बजट पेश करते हैं कहते हैं "परफोर्मेंस बजट"। इसे मैं नहीं समझ सका क्योंकि इसमें परफोर्मेंस का लफ्ज कहीं दिखाई नहीं देता है कि क्या आपकी स्कीम्स हैं। जो बजट भाषण है उसमें कहीं यह जिक्र नहीं है कि अबकी बार इतने हौस्पिटल बना दिए, इतने रोगियों की शय्याओं का इन्तजाम करा दिया। १९७३-७४ में इतनी किलोमीटर सड़कें थीं, वर्ष १९७४-७५ में इतनी बनीं। १९७३-७४ में इतने मैगावाट बिजली पैदा होती थी, वर्ष १९७४-७५ में इतनी पैदा हुई और वर्ष १९७५-७६ में इतनी पैदा होने वाली है। हो सकता है इसमें कहीं जिक्र हो लेकिन मुझको कहीं नहीं मिला। तो १९७२ तक जिस तरह से अलाहिदा एक डाक्युमेंट निकलता था वह निकलना चाहिये। इस पर विचार कर लें, बाकी तो उनको अधिकार है ही सब कुछ।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

आप अपनी बात कहिये। मैं तो यकीन करता ही हूं चौधरी साहब का, बराबर करता था, जब आप नहीं करते थे तब भी और अब भी।

चौधरी चरण सिंह--

मैं यह कहने जा रहा था कि मैं भाषण देना कोई जरूरी नहीं समझता था क्योंकि यहां भाषण देना या वाद-विवाद करना वास्तविकता से बिलकुल दूर की चीज होगी। कोई आलोचना करना, कोई प्रशासन को त्रुटि बताना, कोई रचनात्मक सुझाव देना बेकार हो गया है। आपका बल है, आप रूलिंग पार्टी में हैं, आपके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है इसलिये आप अवहेलना करते हैं जो भी सुझाव माननीय सदस्य देते हैं उनका। आपका दोष तो है ही, मैं मानता हूं, क्योंकि मैं सन् ३७ से देख रहा हूं कि गवर्नमेंट अपोजीशन के सजेशन्स और क्रिटिसिज्म को रेस्पांड करती थी, कोई मजबूरी की बात हो तो दूसरी बात है, लेकिन आमतौर से रेस्पांड करती थी। वह खत्म

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी चरण सिंह]

होता जाता है। अब एक रिजिड वाल है जिसके सामने हम अपनी बात कहते हैं जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो ऐसी बहस से क्या फायदा ? इसीलिये सब जगह पार्लियामेंटरी सिस्टम के खिलाफ एक आवाज उठ रही है और अगर यह आवाज हमारे यहां प्रबल हो गयी, जैसी कि होती जा रही है तो डेमोक्रैसी खत्म और जैसाकि प्लेटो ने कहा है कि डेमोक्रेसी के बाद डिक्टेटरशिप आती है, वह आयेगी। क्योंकि हमारे जितने दोस्त इधर बैठे हुये हैं वह अपने आपको बेकार पाते हैं क्योंकि वह चाहे जितनी सही बात कहें उसका कोई एफेक्ट नहीं होता। आज एक मेरे साथी बिजनौर के मेरे पास आये और कहा कि आप यह कह दीजियेगा अपने बजट भाषण में। मैंने कहा कि आप खुद कहें, आप एम० एल० ए० हैं। उन्होंने कहा कि आपके कहने का ज्यादा असर होगा। मैंने कहा कि मैं महसूस करता हूं कि मैं जो बात कहता हूं उसका कोई असर नहीं होता। उन्होंने कहा कि आपका नहीं होता और हमारा भी नहीं होता। तो मैंने कहा कि न कहना फिर। मैं आपको बतला रहा हूं कि जिस बात का पालिटिक्स से कोई वास्ता नहीं, केवल एडमिनिस्ट्रेशन से वास्ता है, उसकी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इत्तफाक से एक जिम्मेदारी की पोजीशन मेरे पास है इसलिये मैं केवल फर्ज को अन्जाम देने के लिये खड़ा हुआ हूं चन्द बातें कहने के लिये।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी गवर्नमेंट का ऐटीट्यूड गवर्नर होता है चीफ मिनिस्टर के ऐटीट्यूड से। मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी माफ करेंगे अगर मैं यह अर्ज करूं कि उनका कोई उसूल नहीं है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त (जिला देवरिया)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब नेता विरोधी दल जिस दिन वित्त मंत्री जी बजट प्रस्तुत कर रहे थे उस दिन बायकाट कर के सदन का चले गये तो आज इनको क्या हक है बजट पर बोलने का ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

आज आप वाक आउट कर जाइये।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इन्होंने उनकी बात की पुष्टि कर दी कि कोई बोलने की जरूरत नहीं है।

चौधरी चरण सिंह—

ऐसा भी कर सकता हूं मैं क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं दो दिन भी बोलूं, कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

त्रिपाठी जी की बात मान लीजिये।

चौधरी चरण सिंह—

(व्यवधान) असरार साहब की बात ही मान कर आप बाहर चले जाइये।

मैं यह कह रहा था कि मैंने बजट भाषण के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया, मेरा कहना था कि उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय और मैंने सुना है कि विधान परिषद् में यह हुआ भी है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी यही होता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, बातें तो हजार हैं जिनसे माननीय मुख्य मंत्री के काम करने का ढंग जाहिर होता है, मगर मैं एक दो बातें ही विशेषकर कहना चाहूंगा। पिछला बजट ११ जून, १९७४ को पेश हुआ था। उस बजट में चन्द चीजें मानी गयीं। वह बजट स्पीच में मौजूद है। उसके बाद आपने बजट प्रोपोजल्स में कटौती कर दी जब कि सदन बैठा हुआ था और बजट पर विचार कर

रहा था। उसी समय कैबिनेट ने फैसला करके कटौती कर दी और जब मैंने आपत्ति उठाई कि आप कटौती कर रहे हैं तो कहा कि यह कटौती नहीं है। चीफ सेक्रेटरी के यहां से जो आरडर्स गये हैं, उसमें शब्द कटौती लिखा है। मगर सरकार ने उसको कटौती नहीं माना। मैं कहता हूं कि जब हाऊस चल रहा था तो उसकी इत्तिला आपने हाऊस को क्यों नहीं दी कि हम फलां आइटम में ५ करोड़ के स्थान पर ३ करोड़ ८० लाख कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम इमेजीनरी प्रोपोजल्स पर ही विचार कर रहे हैं। . . . (व्यवधान). . . . गौरीशंकर जी, केवल गाली देने से ही अच्छे पब्लिक मैन नहीं बन जाते, अभी आपको कुछ सीखना है। उधर (कांग्रेस) कुछ नहीं सीख पाओगे, सीखना है तो इधर आ जाओ, दो दिन हमारे साथ बैठ जाओ. . . .

(हंसी)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि ८ दिसम्बर, १९७४ को माननीय मुख्य मंत्री ने "धर्मयुग" को एक इन्टरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा है कि—"हमारे १९७४–७५ सत्र के बजट में पूंजीगत व राजस्व व्ययों में कुल १८ करोड़ रुपये का अंतर दर्शाया गया था, परन्तु स्पष्ट था कि वास्तव मे बजट घाटा शुरू में ही इससे काफी ज्यादा था। जुलाई में जाकर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वास्तव में बजट का घाटा शरू में ही १८ करोड़ नहीं, १११ करोड़ रुपये का था।. बजट में हमने बिजली व सिंचाई परियोजनाओं के लिये समुचित राशि का प्राविधान नहीं किया था. . . . "।

आपने ११ जून को जो बजट पेश किया उसमें आपने इस बात को माना कि बिजली के लिये फलां चीज के लिये इतने रुपये की जरूरत थी। बजट भाषण में तो आ गया लेकिन जो बजट प्रपोजल है उसमें वह परिणत नहीं हो सका। उसमें उसका कोई जिक्र नहीं आया। तो जुलाई में जिस वक्त कहा जाता है कि वह हमारे नोटिस में आया, यह नहीं है। जून ११ के बजट भाषण से जाहिर होता है कि उस रोज आपके नोटिस में यह बात थी, फिर आप गलत बयानी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यह फाल्स बजट है, इस तरह से डेमोक्रेसी दुनिया में कैसे चल पायेगी कि जान बूझ कर गलत बजट पेश करें। और फिर जब हाउस चल रहा हो उस समय तरह-तरह के डिसीजन लें और हाउस को इत्तिला न दें। एक तो गलत बजट पेश किये और जब कारेस्पांडेंट ने पूछा तो चीफ मिनिस्टर बहुगुणा जी का कहना है—उन्होंने अलग ही रंग अपनाया है और गवर्नमेंट को ठीक तरहसे न चलने की हर चीज की जिम्मेदारी विरोधियों के मत्थे। अन्य तथ्यों का जिक्र करते हुए माननीय मुख्य मंत्री ने आगे कहा—" १८ करोड़ के अलावा इन चार मदों की कुल राशि जो कि ९३ करोड़ रुपये होती है, को भी घाट के रूप में बजट में दिखाया जाना चाहिये और कुल मिला कर घाटा १११ करोड़ रुपये का दर्शाया जाना चाहिये था। परन्तु भूल हमसे तो हुई ही, विरोध पक्ष के नेता भी चूक गये और उन्होंने सरकार से इन भूलों के बारे में पूछताछ नहीं की। उन विरोधी नेताओं ने भी हमारी इस भूल की ओर ध्यान नहीं दिया, जो २७ वर्षों में २५ वर्ष सरकार में रहे हैं।" इसके लिये कौन रिस्पांसिबिल है, क्यों नहीं दर्शाया गया ? फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं हुई होगी। वह तो आपके नोटिस में इस घाटे को लाये लेकिन आपने उस घाटे को छिपाने की कोशिश की। इससे क्या बना ? संजीदगी की बात है कि आप सबसे बड़े स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। आप यह कह ही नहीं सकते कि आपको मालूम न था कि १११ करोड़ रुपये का घाटा है और १८ करोड़ का घाटा दिखला दिया जाय। अगर आपको नहीं मालूम था तो इसका मतलब है कि आपकी नाकाबलियत है, आप नाकाबिल हैं और दुनिया के सामने जाहिर करना चाहते हैं कि लीडर आफ दि अपोजीशन, मुझसे मतलब है– कि विरोधी पक्ष के नेता इसके लिये जिम्मेदार हैं। मैं किस तरह से जिम्मेदार था ? मैं तो जिम्मेदार हो नहीं सकता। इसके अलावा इस हाउस को भी अधिकार नहीं है, अपोजीशन को भी अधिकार नहीं है कि जो टैक्स या खर्चा आपने रखा है उसमें अमेंडमेंट लाकर उसे बढ़ा सकें। घटा तो सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते। फिर अगर मान भी लें इस बात को तो क्या आप हमारी राय से चलते ? सारी दुनिया के सामने यह आना चाहिये था कि गलती हो गयी और पूरे फैक्ट्स आपके नोटिस में

[चौधरी चरण सिंह]

नहीं लाये जा सके इसलिये १११ करोड़ का घाटा न दिखला कर १८ करोड़ का घाटा दिखलाया गया है। ऐसा न करके आप लोगों को मिसलीड या गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

आखिर यह क्या है कि जो आदमी २५ वर्ष तक शासन में रहे वह इसके लिये जिम्मेदार रहे? कहने के लिये यह बात छोटी लगती हो लेकिन सारा दृष्टिकोण जो था आपका उसका रंग उसमें है। गोली चली थी, सन् ७० में या ६७ में और आपके सामने भी गोलियां चलीं। गिन लो भाई, कितने रायट्स हुए और आपके सामने कितनी गोलियां चलीं, इसी से तय हो जाय लेकिन यह कोई तरीका नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का। मैं संजीदगी के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी स्टेट है, जनसंख्या के हिसाब से १३० देशों में ७वें नंबर पर है। इस प्रदेश का मुख्य मंत्री होना मामूली चीज नहीं है। फिर मैं कहना चाहता हूं कि हर एक चीज का असर जनता पर पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ता है। इसलिये बहुत ज्यादा संजीदगी की आवश्यकता है, मैं बहुगुणा जी आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बुरा न मानें।

दूसरी बात इसी सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि डिप्टी स्पीकर का आपने चुनाव कराया। मुझको शिवनाथ सिंह कुशवाहा जी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जिस तरह से २–३ दफा बराबर इस चुनाव को टालने का इंतजाम हुआ वह नहीं होना चाहिये था। आप कहते हैं कि विरोधी पक्ष राजी हो गया ऐसे कहीं विरोधी पक्ष राजी हो सकता है? अगर मान लें कि राजी हो जाता है तो सोशलिस्ट पार्टी के और ४–५ दोस्त जो एक–एक की ही पार्टी में हैं उनके राजी होने से क्या होता है। यह ठीक नहीं है। कहने के लिये आप चाहे जो कुछ कह सकते हैं लेकिन इस तरह से विरोधी पक्ष का उपाध्यक्ष, जैसा आपने बनाया है, विरोधी पक्ष का नहीं हुआ है। असल में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नीयत एक ऐसी चीज है जो वर्डस में ट्रांसलेट नहीं की जा सकती है। कांस्टीट्यूशन में बहुत सी चीजें आतीं हैं लेकिन जो कन्वेंशन आप डेवलप कर रहे हैं.....

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

माननीय गैरोला जी, आप बार–बार इस तरह से न उठें। एक बात कही जा रही है उसको सुनें।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

स्पष्टीकरण आप न पूछें, वह बोल रहें हैं। आप बैठें।

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा हूं कि अभी इनको बहुत कुछ सीखना चाहिये। मैं बोल रहा हूं जब तक कोई प्वाइंट आफ आर्डर रेंज न करें तब तक मुझे हक है कि मैं न बैठूं। मैं बोल रहा हूं। अभी आपकी तरह मेरे दोस्त खड़े होकर बोलने लगे तो ठीक नहीं होगा।

मुझे कहना तो बहुत कुछ है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष उसको होना चाहिये था जिसके पीछे विरोधी पक्ष के ज्यादा आदमी हों, इसमें दो राय नहीं हो सकती। इसके अलावा मैंने उस वक्त, मैं इशारतन कहना चाहता हूं, मैंने मुहम्मद असरार साहब का नाम बहुत सोच समझ

[**] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

कर पेश किया था और उधर के एक मित्र ने मुझको सजेस्ट भी किया था। लेकिन चूंकि यह हाउस के बाहर की बात है, मैं इसको आउट नहीं करना चाहता। और यह बात भी है कि वह मुख्य मंत्री जानते न हों, ऐसी भी कोई बात नहीं है लेकिन छोड़िये मैं इसमें जाना नहीं चाहता। सवाल अब यह नहीं है कि, कैसे हो गया ? क्यों हो गया ?

बात तो पावर की है, चूंकि रूलिंग पार्टी में है, जिसको चाहा जिताया गया। मैं कहां तक कहूं २१५ कैसे आये १४ इंडिपेंडेंट किये, ९ को आपने तोड़ा। मैं कहना नहीं चाहता। आपकी मैजोरिटी है, लेकिन मैजोरिटी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिये है, मैजोरिटी हर चीज में नहीं देखी जाती है, हर एक चीज में दखल नहीं दिया जाता है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में अपोजीशन के लिये जितना लिहाज हो सकता है, जितनी मान्यता हो सकती है, वह सब किया जाता है। लेकिन आज यह है कि ये कांग्रेस मैन हैं और यह नान-कांग्रेस मैन हैं। सारी चीज यहीं आकर खत्म हो जाती है। कांग्रेस मैन का और नान-कांग्रेस मैन का हक बराबर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, केवल २ बातें कहनी हैं। बजट पेश किया गया है, यह जरूर किया गया है कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। मान्यवर, अखबार में लिखा है टैक्स फ्री बजट। आज कानपुर के दैनिक जागरण में एडीटोरियल में लिखा है और उसमें जितने शब्द इस गवर्नमेन्ट की तारीफ में लिख सकते हैं वह लिखें हैं कि टैक्स फ्री बजट, बिना टैक्स लगाये बजट। वाक्या यह है कि पिछला बजट आप का अगस्त के शुरू में और जुलाई के आखिर में एप्रूव हुआ। उसके बाद ९५ करोड़ का आपने टैक्स लगाया है। इसलिये टैक्स लगाने की जरूरत नहीं थी। अभी दिसम्बर में ९५ करोड़ का टैक्स लगाया है तो इसको क्या टैक्स फ्री कहा जायेगा। पिछले बजट मे जिक्र नहीं आया और अबकी बजट में भी जिक्र नहीं है। यह इसलिये ऐसा बजट पेश किया गया है कि लोगों को मालूम हो सके कि बिना टैक्स लगाये बजट पेश किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, पहले मैं बता देना चाहता हूं कि टैक्स आपने कितने बढ़ाये हैं। आय-व्ययक अनुमानों पर स्मरण-पत्र के अनुसार अध्यक्ष महोदय, भू-राजस्व में जो आपका पिछले साल अनुमान था २२करोड़ ९० लाख रु० और अबकी बार ४४ करोड़ ५२ लाख रु० का है। यानी २१ करोड़ ६२ लाख रु० का रेवेन्यू बढ़ाया है। इसके बाद आपने राज्य आबकारी शुल्क ३२ करोड़ ३५ लाख रु० पिछले साल का अनुमान था और अबकी बार ५२ करोड़ ७४ लाख रु० का है। कोशिश यह की गयी थी कि शराब पीना बन्द हो इसलिये एक्साइज टैक्स लगाया गया था न कि एक्साइज टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिये लगाया गया। गांव-गांव में शराब की दुकानें खुलती जा रही हैं। पहले से आपके जमाने में दुकानें बढ़ रही हैं। शराब पिलाना लोगों को सिखाया जा रहा है। इसलिये २० करोड़ रु० शराब पीने से इसमें बढ़ गया है। यदि दुकानें खुलेंगी तो बच्चे शराब पीयेंगे जबकि उनके माता पिता यह नहीं चाहते हैं क्योंकि इससे भ्रष्टाचार, लड़ाई-झगड़ा बढ़ेगा। इसलिये प्रोहीबीशन के बजाय उल्टा शराब की दुकान खोली जा रही है। कांग्रेस पार्टी के कोई माननीय सदस्य मालूम नहीं इस सवाल को उठायेंगे कि नहीं।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात कोर्ट फीस और स्टाम्प में पिछले साल अनुमान था १८ करोड़ ५० लाख रु० का और इस साल २६ करोड़ १२ लाख रु० का अनुमान है। सैल्स टैक्स से पिछले साल ११० करोड़ रु० रखा था और इस बार १४८ करोड़ रु० रखा है। जो सहूलियतें दी हैं वह एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। इससे २-३ करोड़ रुपये का फर्क हो सकता है। लेकिन जो बढ़ोतरी है वह ३८ करोड़ रु० की है इसमें। विहिकिल टैक्स में २ करोड़ ६० लाख रु० की बढ़ोत्तरी है क्योंकि इसमें पिछले साल ११ करोड़ ९ लाख था और १३ करोड़ ६९ लाख इस बार है। तो २ करोड़ ६० लाख की इसमें हुई। अब एन्टरटेनमेंट एन्ड बेटिंग टैक्स को देखें, इसमें ४ करोड़ ३३ लाख। गुड्स एन्ड पैसेन्जर टैक्स में १ करोड़ १२ लाख। यह कुल होता है ९५ करोड़ ३२ लाख। और अध्यक्ष महोदय, यह टैक्स लगा है उस २८ करोड़ के अलावा जो पिछले साल आपने बजट के साथ लगा दिया था। ४५ करोड़ का घाटा था उस

[चौधरी चरण सिंह]

वक्त। २८ करोड़ कवर कर लिया था और १७ करोड़ अनकवर्ड था। मतलब यह हुआ कि २८ करोड़ वह और ९५ करोड़ यह यानी लगभग सवा अरब के १२ महीने के अन्दर टैक्स लगा दिये और इंप्रेशन यह कि हमने टैक्स नहीं लगाया। ठीक है आपने अपने भाषण में जिक्र किया कि लोग बहुत अच्छे हैं। यू० पी० का जो विधान मंडल है वह बहुत अच्छा है। किस बहादुरी और किस फोरसाइट का सबूत दिया है कि पिछले साल टैक्स बढ़ा दिया था, सब मंजूर कर लिया। इसमें न कोई बहादुरी है, न कोई फोरसाइट है। पार्टी से लोग बंधे हैं, आपसे कोई पूछता नहीं। जब मैं अपने जमाने में ३४/३५ साल का आया था तब यह था कि पार्टी में बहस होती थी और पार्टी जो चाहती थी वह होता था। अब वह सब बातें खत्म हो गयीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि ९५ करोड़ और २८ करोड़ हो गया १२३ या १२४ करोड़। अगर आप ढाई अरब का भी टैक्स ले आये होते तो भी उधर से कोई उफ होने वाली नहीं थी और न आपके खिलाफ नो कांफीडेंस आने वाला था। अब जो टैक्स बढ़े हैं और जो कुल टैक्स है उसे पेज ३८ पर देखें। जो टैक्स हैं वह ३१९ करोड़ के हैं। ३१९ करोड़ में ९५ करोड़ अब का बढ़ा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि २२४ करोड़ टैक्स पिछले साल था। उसमें से २८ करोड़ निकाल दें तो १९६ करोड़ था। साल भर के अन्दर आपने ११९ और ४ यानी १२३ या इसको राउन्ड कर दें तो १२४ करोड़ का टैक्स लगा दिया। १९६ करोड़ का जो टैक्स का भार था फरवरी/मार्च, १९७४ में आज वह है ३१९ या ३१९ की जगह ३२० मान लें। जो पहले टैक्स था तो मेरे ख्याल से उस पर साढ़े ४२ फीसदी बढ़ गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से बड़े अदब के साथ वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक इस स्टेट में एक ही साल के अन्दर पिछले साल जो रकम थी उसका साढ़े ४२ परसेंट एक ही साल में नहीं बढ़ा है और कहीं बढ़ भी नहीं सकता था जहां सजग डेमोक्रेसी होती है। साढ़े ४२ परसेंट एक साल में बढ़ा जबकि लोगों की इकनोमिक कंडीशन का ऐसा हाल हो। जो नेशनल सैम्पलिंग सर्वे है उसी के आंकड़े मिलते हैं और वह आथेन्टिक है।

सन् ५३ में उन्होंने तीन क्लास में पावर्टी, डेस्टीट्यूट्स एन्ड पुअर में तकसीम किया और लाखों करोड़ों लोगों से पूछकर जिस नतीजे पर पहुंचे उसमें यह था कि जो गांव में रहते थे वह ११ रुपया माहवार और जो शहर में रहते थे वह १५ रुपया माहवार तक खर्च कर सकते थे वह सीवियर डेस्टीट्यूट्स थे यानी निपट गरीब। उनकी तादाद यहां साढ़े १७ परसेंट और सारे हिन्दुस्तान में १३ परसेंट थी। केवल केरल और उड़ीसा में हमसे ज्यादा थी। हमारा सूबा सबसे गरीब सूबा है। अब एक नौजवान चीफ मिनिस्टर आता है। जोश और सोशलिज्म की विचारधारा से भरा हुआ और ४२ १/२ परसेंट और १२४ करोड़ का टैक्स बढ़ा देता है. . . और यह टैक्स सब इनडाइरेक्ट। सिवाय रेवेन्यू को छोड़कर, बाकी सारा इनडाइरेक्ट टैक्स। टैक्स की बाबत यह कहा गया है कि टैक्स वही अच्छा माना जाता है, जिसमें इनडाइरेक्ट टैक्स कम हों। सीधा टैक्स जो लगेगा वह डाइरेक्ट है और वह २२ करोड़ है और वह किसानों पर है। इनडाइरेक्ट टैक्स सब गरीब आदमियों पर है। लेकिन अमीरों पर टैक्स ज्यादा होना चाहिये, गरीबों के मुकाबिले। इनडाइरेक्ट टैक्स हमेशा गरीबों पर पड़ता है, अमीरों पर नहीं पड़ता। इसलिये सभी सरकारों की यह कोशिश होती है कि इनडाइरेक्ट टैक्स न हों, डाइरेक्ट टैक्स हों। यही नहीं, अंग्रेजों के जमाने में भी इनडाइरेक्ट टैक्स कम था। जब बजट का हिसाब लगाया तो देखा कि पहले यह ७७ प्रतिशत था। उसके बाद देखा तो वह ८१ प्रतिशत हो गया। आपने जो सेल्स टैक्स लगाया, वह किस पर लगेगा? सेल्स टैक्स मासेस पर पड़ेगा। उससे इनकम में तो अंतर नहीं आता। वह तो शिफ्ट कर देता है; गुड्स की कीमत् में इजाफा हो जाता है। वेहीकिल्स पर जो टैक्स लगाया है, वह पैसेन्जर्स पर पड़ेगा। एक्साइज टैक्स भी जो दूकानदारों से लेंगे, वह शराबी से लिया जायेगा। हम तो नहीं चाहते कि शराबी पर भी टैक्स ज्यादा हो।

जहां तक कर्ज का ताल्लुक है, पहले १४ अरब ७७ करोड़ यह था, ३१ मार्च, १९७५ तक आपके बजट प्रपोजल के अनुसार वह १६ अरब १७ करोड़ हो जायेगा। पिछले साल ८६ करोड़ कर्ज बेबाक हुआ। अबकी बार १०४ करोड़ इसके सर्विसिंग चार्जेज में आता है।

जो इनकम हुई, वह ८ अरब १७ करोड़ है, रेवेन्यू रिसीट से। इसमें से ३ अरब २६ करोड़ गवर्नमेंट आफ इन्डिया से आता है और २ अरब ४२ करोड़ हमारा शेयर है। १ अरब ११ करोड़ ग्रान्ट-इन-एड है। ४ अरब ९० करोड़ हम इकट्ठा करते हैं। इसमें से ३१९ करोड़ तो है टैक्स से और १ अरब ७१ करोड़ है फारेस्ट, इरीगेशन वगैरह से। इरीगेशन किसी जमाने में प्राफिटेबिल चीज थी, लेकिन आज इससे नुकसान है। लेकिन इसमें इनकम दिखाई गयी है। तो यह इरीगेशन माइनस में हो जायेगा। लेकिन वह रेवेन्यू रिसीट में आयेगा। कुल मिलाकर इनकम ४ अरब ९१ करोड़ हुई। उसमें १०४ करोड़ चला गया कर्ज की बेबाकी में। ओवर कहां खर्च हुआ ? २ अरब ७८ करोड़ हुआ गवर्नमेन्ट आफिसर्स की तनख्वाहों में तनख्वाह, डी० ए० तथा सी० सी० ए० में खर्च हुआ यह। १ अरब ८५ करोड़ रुपया खर्च हो गया सरकारी स्कूलों के टीचर्स तथा लोकल बाडीज के कर्मचारियों की पे तथा महंगाई भत्ता में जिसे सरकार कांट्रिब्यूशन के रूप में देती है। यह हो गया ४ अरब ६३ करोड़ और ६०६ करोड़ रुपया हो गया पेंशन में। ४ अरब ७० करोड़ का हम टैक्स लगाते हैं और सिंचाई तथा वन आदि से ४ अरब ९१ करोड़ की आय होती है। खर्चा इस तरह हुआ ४७० करोड़ और आय हुई ५७४ करोड़ यानी १०४ करोड़ रुपये का कर्जा स्टेट पर हो गया। यह जो सब चल रहा है वह भारत सरकार की ग्रान्ट-इन-एड के कारण है और हमारा हिस्सा जो है सेंट्रल टैक्सेज में उसके बल पर यह सब चलता है।

मैं इसके लिये सारा दोष माननीय बहुगुणा जी को नहीं देना चाहता। यह पहले से चल रहा है। लेकिन आपने उस ओर तेजी से एक्सिलिरेट किया और आपके इमिडियेट प्रिडिसर्स से जो हो गया वह हो गया इट इज नो यूज क्रांइग ओवर स्पिल्ट मिल्क। वोट के लिये सब किया गया लेकिन यह गलत निर्णय था।

अब माननीय मुख्य मंत्री तथा अन्य दोस्तों को मालूम है कि अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेज के कारण दिल्ली में धीरे-धीरे आंख खुल रही है। वे इस बात पर आये हैं कि कृषि को प्रथम स्थान दिया जाय और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेज को न बढ़ाया जाय। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय वित्त मंत्री का बजट भाषण जो २८ फरवरी, १९७५ को हुआ था और टाइम्स आफ इंडिया में १ मार्च, ७५ को छपा है पढ़ कर अंग्रेजी में सुनाये देता हूं और उसका हिन्दी रूपान्तर भी बाद में कर दूंगा, वह इस प्रकार है :—

"It is widely recognised that evolving effective measures for remedying the causes of inflation though unpleasant and hard, should be preferred to frequent adjustment of prices, incomes and wages, which greatly hampers the process of planned growth. In a country here there is considerable unemployment and underemployment, an excessive pre-occupation with the current consumption of those who are fully employed erodes investible resources and seriously affects the pace at which new employment opportunities can be created to alleviate the sufferings of those who are unemployed."

इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो कीमतें बढ़ रही हैं उनका इलाज अगर कुछ अनप्लेजेन्ट है, अगर वह कठोर व कड़वा है तो ऐसे इलाजों को पसन्द करना चाहिये। बमुकाबले कीमतों को बढ़ाने के, वेतन तथा तनख्वाहें बढ़ाने के, जिनके कारण इंफलेशन बढ़ता है। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेज तथा इनकम बढ़ा कर प्राइस एडजस्टमेंट को रोकने से यह समस्या हल हो सकेगी। आप चाहे जितना वेतन बढ़ा दीजिये उससे चीजों की कीमत बढ़ जाती है और कंज्यूमर पर उसका असर पड़ना वाजिब है और उसको अदा करना कंज्यूमर की ताकत से बाहर हो जाता है। होना

[चौधरी चरण सिंह]

यह चाहिये कि जो सामान फैक्टरीज में पैदा होता है वह चीप हों, बहुत ज्यादा उसका प्रोडक्शन हो बजाय इसके कि आप लेबर के वेतन बढ़ावें तथा इंफ्लेशन को प्रोत्साहन दें। तो चाहे जितना ही कठोर व कड़वा इलाज हो उस पर इस सरकार को सोचना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि गवर्नमेंट आफ इंडिया कृषि के बाबत नीति बदल रही है। टाइम्स आफ इंडिया का एक एक्सट्रैक्ट मेरे पास है उसमें सुब्रमैनियम साहब की स्पीच का एक कैप्शन मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है--फर्स्ट प्रायोरिटी फार एग्रीकल्चर और दूसरे नम्बर पर इनर्जी। यही तो हम बहुत दिनों से कह रहे थे, हमारी पार्टी यही कह रही थी। मैं उनकी स्पीच का केवल लेन्डेन्स पढ़ देना चाहता हूं।

"Our ability to meet the minimum basic need of our people depends crucially on the trend in agricultural production. It is in this light that I reagard the scheme of agricultural growth is first charge on our developmental resources."

यानी लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिये सामान पैदा करने की क्षमता निर्भर करती है खेती की पैदावार पर। यह वे कहते हैं। अभी मैं भी कह रहा हूं कि कृषि के विकास को हमारे जितने भी डेवलपमेंट के रिसोर्सेज हैं, रुपया है, आदमी हैं, टेक्निकल लोग हैं, फर्स्ट प्रोयोरिटी देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है। इस पर स्टिक किया जाना चाहिये। बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है। तब तक देश का विकास नहीं हो सकता, जब तक आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक जिक्र कर दूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे एक खत लिखा कि चौधरी साहब आप तो कहते हैं कि नेहरू जी एग्रीकल्चर को पहला स्थान देने के खिलाफ थे, यह बात सही नहीं है। आपने उसमें नेहरू जी के ८ नवम्बर, १९६३ का व्याख्यान का जिक्र कर दिया। मेरे पास लिखकर भेज दिया। मैंने उनको लिखा कि यह मैं जानता हूं। मेरी फाइल में १०, नवम्बर १९६३ की उनकी स्पीच अभी भी पड़ी होगी। लेकिन मैं फिर भी कहता था और इसलिये कहता था कि आज देश बरबाद हो गया है। कितना रुपया बाहर चला गया। खुश्चेव ने और माओत्सेतुंग ने सन् ६२ में एग्रीकल्चर को पहला स्थान दिया। पंडित जी ने कहा है कि एग्रिकल्चर इज मोर इम्पोर्टेन्ट दैन इन्डस्ट्रीज। लेकिन यह पोजीशन शुरू में होनी चाहिये थी, नहीं हुई। पंडित जी के देहान्त से ६ महीने पहले ही उन्होंने यह कहा था। वह आज होते तो पूरी पालिसी बदल देते। पहली योजना में यानी सन् ५१ से ५६ तक ३७ प्रतिशत रुपया कृषि के लिये रखा गया और ५ प्रतिशत हैवी इंडस्ट्रीज के लिये रखा गया। इसके बारे में मैं बार-बार कहता रहा। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि ५४ में नवम्बर में पंडित जी चीन गये थे, ५ नवम्बर को यहां आये और ९ नवम्बर को उन्होंने भाषण दिया.....

श्री शिव कुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)--

[* * * *]

चौधरी चरण सिंह--

मैं तैयार नहीं हूं, आपको अभी बहुत कुछ सीखना है।

श्री शिव कुमार पाण्डेय--

[* * * *]

(व्यवधान)

[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको इजाजत नहीं देता।

श्री शिव कुमार पाण्डेय--

[* * * *]

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठें।

चौधरी चरण सिंह--

मुझे उनके प्वाइन्ट आफ आर्डर में बैठ जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन माननीय मित्र अक्सर ऐसी बातें करते हैं। इस लिये मैं नहीं बैठा। शुरू में वे प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज किये होते तो मैं बैठ जाता। खैर वह चले गये, मैं सुझाव दूंगा कि मेरे सार्वजनिक जीवन का एक्सपीरियंस उनसे कहीं लम्बा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, जहां एंजिल जाने से घबराते हैं वह वहां पहुंचे.....

श्री गौरी शंकर (जिला इटावा)--

चौधरी साहब बुढ़ापे में जिद अच्छी नहीं होती है।

चौधरी चरण सिंह--

अभी तुम बच्चे हो, कुछ सीखो। उमर में मैं ज्यादा हो गया हूं लेकिन अपने को बूढ़ा नहीं मानता हूं।

श्री गौरी शंकर--

हम चाहते हैं कि नौजवानों की उमर आपको लग जाय लेकिन जिद नहीं होनी चाहिये।

चौधरी चरण सिंह--

आप बैठिये, आपकी अभी लम्बी उमर है, पोलिटिकल लाइफ में आपको लम्बा रहना है, आप सुनिये। तो मैं पंडित जी की बात कह रहा था मैं पत्र व्यवहार में नहीं जाना चाहता हूं। वहां से आने के बाद पंडित जी के सारे व्यू बदल गये। और अवाड़ी में कांग्रेस सम्मेलन हुआ उसमें सोशलिस्टिक पैटर्न की बात आई। तो उसके दो महीने बाद जनवरी में सेकेंड योजना बनी और उसमें खेती के लिये ३७ से रह गया २१ और कारखानों का ५ से २३ और यही पैटर्न आज भी चलता रहा है। अगर खेती को पहला स्थान दिया होता तो आज यह हालत नहीं होती।

जहां तक पावर की बात है शहर के लोग और बड़े-बड़े लोग यही समझते हैं कि सारी बिजली गांव में खर्च होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। १५ फीसदी जो बिजली के लिये रखा हुआ है उसमें से १/८ या १/७ गांव में खर्च होती है। तो उसमें भी इंडस्ट्री में ज्यादा खर्च किया जा रहा है। इंडस्ट्री के लिये जो एलोकेशन है वह २३ से हो जायेगा ३३, और एग्रीकल्चर का हो जायगा २१ से साढ़े २२ या २३। २९ अगस्त, ५६ में तय हुआ कि अमेरिका से गेहूं मंगायेंगे। खैर गलती होती है बड़े-बड़े लोगों से होती है। उन्होंने महात्मा जी की बात नहीं मानी। एग्रीकल्चर पर ध्यान देने की बहुत जरूरत थी। अध्यक्ष महोदय, मैं बजट ज्यादा देख नहीं पाया क्योंकि मेरी तबियत अच्छी नहीं थी। यहां पर बिजली का जिक्र आया। यू० पी० के अंदर ट्यूबवेल पर ९.४४ परसेंट खर्च हो रही है। सारे हिन्दुस्तान में वह १२ परसेंट है। तो यह किसानों की तरफ ध्यान है। तो यह पंडित जी के जमाने से चला आ रहा है और हमारी बहिन जी और हमारे दोस्त का भी यही प्रयास है। १९७०-७१ में यह

[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

[चौधरी चरण सिंह]

१०.१२ था और लेटेस्ट ७३–७४ में यह ९.४४ है। फिर आपने अभी हाल ही में १५ हार्स पावर या कुछ पर १८० रुपया मिनिमम चार्ज लगाया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

टोटल चारजेज।

चौधरी चरण सिंह––

अच्छा टोटल ही सही। तो इसके बाद वह अब जो है १२ करोड़ १३ लाख के बजाय २७ करोड़ टैक्स हो जायगा। बिजली का टैक्स आपके इस मिनिमम लगाने की वजह से किसान जो १२ करोड़ पहले दे रहा था, २७ करोड़ हो जाएगा। यह मुझको एक बहुत जानकार आदमी ने बताया है और पहले पढ़ा भी था। मुख्य मंत्री जी को बहुत तकलीफ हो रही है, जो मैं आंकड़े सुना रहा हूं और यही आंकड़े मैंने प्रेसीडन्ट के ऐड्रेस पर भी सुनाए थे। अच्छा होता, यह मुझे लिख देते कि यह आंकड़े गलत हैं और उन्हें मेरे पास भेज दे मैं उन्हें दिखवा लूंगा। यह मुझे भानुप्रताप सिंह जी ने बताया है जो इस मामले में ज्यादा वेलवर्स्ड हैं। इंडस्ट्री पर तो आप १४ पैसा प्रति यूनिट लेते हैं, किसान से लेते हैं पौने ३० पैसा प्रति यूनिट, क्यों? क्योंकि उसका कोई कहने वाला नहीं है, क्यों कि जिनके हाथ में पावर है, उनमें मे बहुत कम से उनका रिश्ता है। तो उनकी तकलीफ कौन सुने, कौन गांव में जाए। हेलीकाप्टर से तो मालूम नहीं होते। इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। हंसने, मुस्कराने से जबाव देने का जो तरीका बहुगुणा जी को मालूम है, उससे वे इसका भी जवाब देंगे, लेकिन जो सालिड फैक्ट्स हैं, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इस डिस्पैरिटी को दूर करने की आप कोशिश कीजिए। बिजली मालदार आदमी को सस्ती दी जायगी, गरीब आदमी को ढाई-तीन गुने ज्यादा पर दी जायगी . . .

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)––

अध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण मैं चाहता था, जो हिन्डालको को बिजली का रेट दो पैसे से बढ़ाकर १० पैसे किया गया है, उसके बारे में उनका क्या कहना है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

आपके जमाने में जो था, वही रहना चाहिये था?

चौधरी चरण सिंह––

२४ अप्रैल का बयान पढ़ा, मैंने उसी पर इस्तीफा दे दिया था। लीडर हमारे भी थे, लेकिन आपके खास लीडर थे, जो मानते थे, जिन्होंने जिद्द की थी इसमें। मेरा प्रोग्राम जब

(इस समय २ बजकर ३५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए)

लखीमपुर का था और मेरी गैरहाजिरी में इसे तय कर लिया गया था। मैंने इसी में इस्तीफा दे दिया था। मेरे जमाने की सी सब बात करो तो सब ठीक हो जाए। मैं जब चीफ मिनिस्टर था, तो शायद कोई गलत काम हुआ हो, लेकिन उसी ढंग से कोई काम करो तो प्रदेश की बड़ी सेवा हो जाएगी। मैं कांग्रेस में भी तो था, लेकिन पंडित जी जो कहते थे, करते थे, उसके आगे किसी की चलती नहीं थी। मैंने तो अपने विचारों के बारे में उन्हें किताब भी लिखकर दे दी थी। ये हार्ड फैक्ट्स हैं। ८–७ स्कीमें दोहराऊंगा, जिन्हें मैंने अपोज किया था, उनको नहीं कर पाए। जब स्टेट ट्रेडिंग करने जा रहे थे, तो मैंने कहा था कि यह नहीं चलेगी। यह सन् ५९ में लाए

थे, मैंने इसको अपोज किया था। कोआपरेटिव फार्मिंग का भी मैंने विरोध किया था, ६३ में इसका विरोध किया था। सारे दूकानदारों को पावर देने की बात थी, वह भी फेल हुई। अब जो लेवी लाए हो, वह ठीक है, लेकिन २-३ शर्तों पर। लेकिन आप कौन सी मेरी बात मानोगे। मैंने एक किताब लिखी थी, लीडरों के पास भेज दी। पावर सेन्टर के पास या मुख्य मंत्री के पास होती है, अन्य लोगों के पास नहीं। अन्य मंत्री विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और अन्त में मजबूर होकर पार्टी छोड़ देते हैं। तो यह कोई बात नहीं है कि आप भी थे उसमें। उसमें एक और बात आगे के लिए लिखा है। कोई शिकायत होगी तो कह देंगे कि हमने लिख दिया था। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कराया है। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। हिन्दी में पढ़ना पड़ेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अंग्रेजी में पढ़ दें। आपके सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी।

चौधरी चरण सिंह--

अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने फरमाया है--

"Even at the risk of repetation' I would like to make a reference to some notable items here :

(1) The house will be happy to learn that after long efforts State Electricity Board have been able to revise the rates of supply of power to Hindustan Aluminium Corporation. According to the new rate, power will be supplied to HINDALCO at 10.5 paise per unit against the rate of about 2 paise per unit at which HINDALCO was making payment till now. These rates of supply of power to HINDALCO are based on the cost of production at the Obra Thermal Power Station and the Rihand Hydel Complex, In this connection I would like to express my gratitute to the Government of India whose evaluation of the cost of productien"

बड़ी खूबसूरती से लफ्ज रखे गये हैं। अगर गलती है तो उनकी।

"after prolonged discussions and deliberations has brought us success in our efforts to implement the new rates".

गवर्नमेंट आफ इंडिया को बधाई देता हूं कि उन्होंने पैदावार का खर्चा निकाल कर उसके आधार पर हमको एक मशविरा दिया है। या हमने माना और उन्होंने बतलाया है। साढ़े दस पैसा हमने कर दिया है, दो पैसे के मुकाबले में जो पहले था। दो पैसे से ज्यादा हुआ। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन और इंडस्ट्रीज से १४ पैसे लिये जा रहे हैं, किसानों से तीन पैसे लिये जा रहे हैं। दे दें मेरे मित्र जवाब ? नहीं है जवाब।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

है, है। जवाब देंगे।

चौधरी चरण सिंह --

मैं जानता हूं, जो जवाब देंगे। आप यह कहेंगे--उस का भी जवाब दे देता हूं। शायद उस वक्त मैं हूं न हूं। जो अल्म्युनियम है इसमें बिजली उस तरीके से इस्तेमाल नहीं होती है जैसे एक इंडस्ट्री में होती है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

यह आप कहते थे।

चौधरी चरण सिंह --

मैं बता रहा हूं कि आप क्या कहने वाले हैं। वह उसमें एक तरह से फैक्टर आफ प्रोडक्शन है इसलिए सस्ती होनी चाहिये। इसलिये केरल में यह है, उड़ीसा में यह है। यह आप बतलाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि ३० मेगावाट आपने दिया है, हिंडालको को। यह ट्यूबवेल्स केलिये क्यों नहीं दिया, अगर आपके पास बिजली है। यही है कि अल्म्युनियम नहीं पैदा होगा। तो गेहूं ज्यादा महत्व पूर्ण है या अल्म्युनियम ? अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और दोनों चीजें जरूरी हैं, तो दोनों पैदा करें। लेकिन अगर साबन एक ही के लिये है तो सवाल है कि कौन चीज पैदा कर ली जाय और कौन चीज बाहर से मंगायी जाय। कौन सा रास्ता पसन्द करेंगे ? अल्म्युनियम यहां पैदा करें और गेहूं बाहर से मंगाएं या गेहूं यहां पैदा करें अल्म्युनियम बाहर से मंगाएं ? दुनिया में जितनी समझदार गवर्नमेंट्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका, भी अपनी जरूरत भर का स्टील पैदा नहीं कर पाता, बाहर से मंगाता है, गेहूं बाहर भेजता है। अपने यहां जरूरत के लिए ही नहीं पैदा करेंगे बल्कि स्टील इतनी इम्पार्टेन्ट चीज हो गयी है वर्ल्ड डिप्लोमेसी में कि उसे बाहर भेजना पसन्द करेंगे बजाय पूरा स्टील पैदा करने के। सारी अंडरस्टेंडिंग का दोष है, नीयत का दोष नहीं बताता हूं। हेवी इंडस्ट्रीज पर जोर उसमें अल्म्युनियम भी है। ३० मेगावाट से कितने ट्यूबवेल चलते मुझे नहीं मालूम। अब आप बता दीजिये। सैकड़ों चलते, हजारों चलते, लाखों एकड़ में आबपाशी होती, करोड़ों टन गल्ला पैदा होता, करोड़ों रुपये बाहर जाने से बच जाते, लाखों बच्चों की आंखों में रोशनी आती लेकिन यह तो विदेशी शराब के कारखाने खुलवायेंगे। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने तय किया है कि वोडका के कारखाने पब्लिक सैक्टर में शिमला आदि स्थानों में हमारे यहां खोले जायं। यह आपकी प्रायोरिटीज है। (आवाजें-- विदेश भेजी जायेगी।)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

वोडका तो अमरीकन तक नहीं पी सकते हैं। वोडका यहां कोई नहीं पी पाता।

चौधरी चरण सिंह--

जिस मुल्क में लोग भूखे मरते हों, लोगों को दूध तथा मट्ठा न मिलता हो वहां शराब के कारखाने लगाये जायं। आपको मंजूर है तो आपको मुबारक है। बड़े-बड़े होटल लगा रहे हैं। क्या यह भी विदेशों में जायेंगे। जो यह होटल बना है इसमें ८० परसेंट गवर्नमेंट आफ इंडिया का कर्जा है। जो होटल बना है जिसमें माननीय फखरुद्दीन अहमद साहब ठहरे थे। मेरा कहना यह है कि इतना बड़ा होटल और मुख्य मंत्री को न मालूम हो।

(श्री बालकृष्ण सनवाल के कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह लिखा नहीं जायेगा।

चौधरी चरण सिंह--

मैंने बहुत पाप किये। मैंने कई होटल खुलवाये। मैं तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की बात बता रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का संबंध है वह लिखा नहीं जायेगा। उसका उत्तर देने की आपको आवश्यकता नहीं है।

चौधरी चरण सिंह--

आप चुपचाप सुनिये। अपना जोश साबित मत कीजिये। मैं कह रहा था कि ये इनकी प्रायोरिटीज रही हैं। १०-२० करोड़ के अगर पैसा हो तो बड़े-बड़े होटल खोलिये लेकिन अपने

मुल्क में फूड का ध्यान रखिये। लेकिन इधर, कोई ध्यान नहीं है। दो अरब ८० करोड़ रुपये का बड़े बड़े अफसरों को मोटर खरीदने के लिये फिफ्थ प्लान में प्रावीजन किया गया। अगर आपके पास रुपया है तो उससे ट्यूबवेल लगाइये जिससे करोड़ों मन गल्ला पैदा होगा एक दाना बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। हर आदमी समझता है कि यह कह दें, वह कह दें। जो मैंने कहा था कि एग्रीकल्चर शुड बी गिवेन फर्स्ट प्लेस, आप घूम-फिरकर उसी पर आये उसके बाद फिर ठीक है उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है दखल देने की, अपनी काब्लियत साबित करने की अधिष्ठाता महोदय, अब कारपोरेशन्स इस्टेब्लिश हो गये। मैं पहले भी कह चुका हूं इसको दुबारा यों दोहरा रहा हूं कि बहुत स्टेट की हानि होने वाली है, न यहां पर १०-२० वर्ष के बाद हेमवती नन्दन बहुगुणा रहेंगे और न श्री नारायण दत्त तिवारी रहेंगे। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था, मैंने कब यह कहा कि हम रहेंगे, तो सवाल यह है कि मैं एक बात कह रहा था कि इस पर विचार करें। अब मैं दुबारा इस बात को इसलिये कह रहा हूं कि स्टेट की हानि होने वाली है, लेजिस्लेचर का कंट्रोल तो उस पर हो ही जायगा। दूसरी बात खर्च बढ़ेगा तीसरी बात यह है कि जो कर्जा लेंगे, कर्जे की गारंटी स्टेट की होगी। वह आज तो इनर्जी नहीं है आपके पास, वह रुपया पड़ा है, कर्जा बढ़ा दिया जाता है, कैपिटल ब्लाक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन अब वह बिग इंडस्ट्रीज को कर्जा देता है लेकिन बिजली के कारण काम उनका नहीं बन रहा है। तो यह सब कर्जा लेने की तरकीब हुई, एक रास्ता निकला। मैं यह कह रहा था कि अल्टीमेटली आपकी जिम्मेदारी है। प्राइवेट लोग इक्सपीरियंस्ड लोग बिजनेसमैन उसको इन्सेंटिव मिले, एक आदमी जो मैनेजमेंट अपने बिजनेस का करता है, वह मैनेजमेंट करे। तो ये सब वर्कर्स ये ही आफिसर्स उसमें काम कर रहे हैं। बजाय इसके कि सीधे जवाब तलब होता, अब कारपोरेशन के जरिये जवाब तलब होगा।

मैं तो ३-४ महीने पावर का मिनिस्टर रहा, मेरे सामने कैबिनेट से मंजूर हुआ, मेरे सारे साथियों की राय थी, अब तजुर्बा ने यह बतलाया है कि इसमें कोई फायदा नहीं है। अगर गवर्नमेंट के हाथ में पावर होता तो स्टेट की ज्यादा सर्विस होती बजाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एक ह्वाइट एलीफेंट बांध लिया है जिसका कोई जवाब नहीं है। परसनल बात हो जायगी इसलिये कहना नहीं चाहता हूं। अधिष्ठाता महोदय, अब ये पेंशनर्स के लिये इसमें कहा है, एक छोटी सी बात है, लेकिन जरूरी है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो किया है या उसी लाइन्स पर आपने सहूलियत दी है, लेकिन गवर्नमैंट आफ इंडिया ने इन पेंशनर्स को १ जनवरी, १९७३ से दे रही है लेकिन आपने इरादा किया है १ अप्रैल, १९७५ से। मेरा सुझाव यह है कि जब आप दे रहे हैं, तो सही काम आप कर रहे हैं। जो पहले से पेंशन पा चुके हैं, उनको भी देना चाहिये।

अधिष्ठाता महोदय, अब शुरू में जितने काम थे डेवलपमेंट वर्क्स परसाल सब रोक दिए गये। सड़क की ईंट जहां पर थी वहीं पर पड़ी है या कंकड़ जहां पर है वहीं पर पड़ा है और जो सामान जहां पर पड़ा है वहीं पर पड़ा रहेगा। नहर की पटरी टूट गयी। यहां से मनाही हो गयी। गांव वालों से बंधवाओ यहां पैसा नहीं है। सब काम बन्द। क्योंकि श्रीमान, जी ने सब रुपया बांट दिया तो रुपया रह ही नहीं गया। डेवलपमेंट वर्क हो या न हो, कुछ लोग खुश होना चाहिये। ताली बजाने वाले, स्टेशन पर रिसीव करने वाले खुश होने चाहिये।

अब आर्डर चले गये कि दैट स्कीम एज एप्रूव्ड। बजट में जो स्कीमें रखी गयी थीं उनका भी एप्रूवल नहीं गया। फाइनेन्स से फरवरी के अन्त में या मार्च के शुरू में एप्रूवल गया। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनकी अक्लमन्दी है और जनता का पैसा वेस्ट हो। मैं फाइनेन्स मिनिस्टर रहा हूं। मार्च के महीने में सब खर्च होता है। ११ महीने में कोई खर्च नहीं होता है। मैंने आर्डर कर दिया कि १५ मार्च के बाद एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। आप मार्च के महीने में फाइनेन्शियल एप्रूवल दे रहे हैं। वह सामान जल्दी से खरीद लेगा जो वेस्ट हो जायेगा। बजाय यह कहने के कि १५ मार्च के बाद खर्च न हो आप २७-२८ फरवरी को एप्रूवल

[चौधरी चरण सिंह]

भेज रहे हैं। हम छठी क्लास में पढ़ते थे अकबर इलाहाबादी थे उनका एक शेर मुझे अब तक याद है—

फतह होती है जर्मन की।
फौजे लड़ती हैं लन्दन की ॥

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आप तो शायर भी हो गये।

चौधरी चरण सिंह—

आप जो बना दें? (हंसी) सन् ७२ में इस्टीमेट्स कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो बोर्ड आफ रेवेन्यू है उसको एबोलिश कर दिया जाये। उसका जो जुडीशियल कार्य है उसको हाई कोर्ट की एक बेन्च को दे दिया जाये। लेकिन वह आज तक एबालिश नहीं हुआ। क्यों बड़ी-बड़ी तनख्वाहे हैं। एक और उनका है कि जो अफसर नाकाम हो उसको वहां भेज दो। यह पुरानी प्रैक्टिस रही है। कोई आई० ए० एस० अफसर का वहां एपाइन्टमेंट हो जाये तो वह समझता है कि गवर्नमेंट का डिसप्लीजर है। तो जो इस्टीमेटस कमेटी की रिकमेन्डेशन है उनको कर देना चाहिये। जब आप को ओबलाइज करना हो तो उसे इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल में कर दीजिये। एक महीने में २-३ मीटिंग हुई। ३-४ घंटे काम होता है और जो वकील वहां पर प्रैक्टिस करते हैं, मुझे मालूम हुआ है, उनसे जजमेंट लिखवाये जाते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वकील तो वहां जाते ही नहीं हैं। लेबर ट्राइब्युनल्स में वकील का जाना ला से रोका हुआ है।

चौधरी चरण सिंह—

तो ठीक है, आपका सम्बन्ध चूंकि लेबर से बहुत रहा है आप जानते होंगे। मेरी प्रार्थना है कि शब्द "जो प्रैक्टिस करते हैं," वे निकाल दिए जायं। मेरी इत्तिला यह है कि वकीलों से जजमेंट लिखाये जाते हैं। तो यह सब वेस्टेज आफ फंड्स है, यह सरकार का प्रेट्रोनेज का एक तरीका है। २ वर्ष पूर्व एस्टीमेट्स कमेटी ने सिफारिश की थी कि बोर्ड आफ रेवेन्यू को एबोलिश किया जाय, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक इसे एबोलिश क्यों नहीं किया गया है?

रिटायर्ड लोगों को कमीशन्स और कमेटीज का चेयरमैन बना दिया जाता है। २-२ वर्ष रिपोर्ट नहीं आती है। मुझे याद है कि पिथौरागढ़ में फायरिंग हुआ था, उसकी जांच करने के लिये एक साहब मुकर्रर हो गये। उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी और जब यहां से लिख कर गया तो एक बहुत ही सिम्पिल सी रिपोर्ट भेज दी। आज कोई देखने वाला नहीं है कि इतने दिन तक उन्होंने क्यों रिपोर्ट नहीं दी। मैं चाहूंगा कि जितने भी फिजूलखर्ची के काम हो रहे हैं, उनकी ओर सरकार तुरन्त ध्यान दे और उनको रोके।

तीसरी मिसाल करप्शन की और दूंगा। वास्तव में यह करप्शन और इनएफिशिएन्सी बेस्ड गवर्नमेंट है एंड नथिंग एल्स। हर विभाग में, हर जिले में, हर लेविल पर करप्शन है। करप्शन में बिल्कुल कम्पीटिशन है। आजमगढ़ में एक सैटिलमेंट औफिसर कन्सौलिडेशन है, वह खुली रिश्वत ले रहा है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लिखता है कि इसको ट्रान्सफर कर दिया जाय और उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाय, रेवेन्यू सैक्रेट्री लिखता है कि इसे वहां से हटाया जाय, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने इसी सदन में एक बार जवाब देते हुए कहा था लेकिन उसके विरुद्ध आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। उन्होंने यहीं पर कहा था कि हम देख रहे हैं। हमने कहा था कि चीफ मिनिस्टर के यहां पर फाइल पड़ी हुई है, वे रोक रहे हैं। क्या कारण है कि ३ बार ट्रान्सफर होता है और फिर तीनों बार रोका गया? तो क्या इस

तरह से प्रदेश से करप्शन दूर होगा ? स्थिति यह है कि उसमें एक कांग्रेसी सज्जन इन्टेरेस्टेड हैं, इसलिये उसके विरुद्ध कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या इस तरह से आप सूबे का शासन चलायेंगे ? चल तो रहा है लेकिन यह सेवा नहीं होगी। आज सरकारी कर्मचारियों की इतनी बड़ी तादाद हो गई है। आज इनकी संख्या ७ लाख के लगभग हो गई है। अंग्रेजों के जमाने में कुल १ १/२ लाख की संख्या थी। उससे आज ३–४ गुनी हो गई है। हमारा देश और प्रदेश गरीब हैं। देश में अगर ब्युरोक्रेसी बढ़ती है तो करप्शन बढ़ता है क्योंकि हम उन्हें एडिक्वेट पैमेंट नहीं कर पाते हैं। इस करप्शन को मिटाने के लिये आप ऊपर से सख्ती करें। क्या कारण है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लिखे, रेवेन्यु सेक्रेट्री, जो इतना एक्सपीरियन्सड अधिकारी होता है, लिखे लेकिन आपने उसे क्यों रोक रखा है ?

एक और मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह मैं पिछली बार ही कहना चाहता था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इतनी शिकायतें आती हैं कि अनगिनत। एक दो तो मेरी नोटिस में भी आईं। कहने से नतीजा तो कुछ होगा नहीं लेकिन फिर भी २–३ बातें मैं अवश्य बता देना चाहता हूं। एक लखीमपुर खीरी के डाक्टर हैं, वहां पर एक आदमी का मर्डर हो जाता है। लाश पोस्टमार्टम के लिये उनके पास जाती है, लखीमपुर खीरी में या किसी और कस्बे में। उसके सम्बन्ध में मुझे एक बहुत लम्बी एप्लीकेशन मिली है। उसको पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिला है, मैं उसको आपके पास भेजने वाला था लेकिन आपकी नोटिस में उसके बारे में फैक्टस लाये जा चुके हैं। मुझे मालूम हुआ कि श्री छविनाथ सिंह, जिनका भाई मरा था, वे डाक्टर के पास गये और बैठ गये और कहा कि साहब, कर लीजिये पोस्ट–मार्टम। नहीं किया। उनका कहना है कि दो आदमी फिर आये डाक्टर साहब के पास। एक आदमी पहले गया। रात के साढ़े ३ बजे पोस्ट–मार्टेम किया और १ बजे का वक्त लिख दिया गया। और पोस्ट–मार्टेम रिपोर्ट में यह कहा कि मर्डर नहीं है जबकि उसके हथौड़ा लगा और खून बहा। इंस्पेक्टर पुलिस ईमानदार आदमी था। वह एस० पी० के पास जाता है और कहता है कि बेईमानी की रिपोर्ट है, रिश्वत लेकर डाक्टर लिख रहा है। एस० पी०, डी० एम० को लिखता है। डी० एम० आर्डर देता है कि दूसरे डाक्टर से एस० डी० एम० की मौजूदगी में करा लिया जाय। उस डाक्टर को भी एप्रोच कर लिया गया क्रिमिनल की ओर से। उसने रिपोर्ट करीब–करीब उसको सपोर्ट करते हुये लिखी। लेकिन एक सेन्टेन्स ऐसा था जिससे मालूम होता था कि उसको शुबहा है मर्डर का। एस० पी० फिर एप्रोच करता है डी० एम० को। डी० एम० लखनऊ में पोस्ट–मार्टेम के लिये भेजता है। यहां सही रिपोर्ट होती है। अब होता क्या है। उस डाक्टर की तरक्की कर के लखनऊ भेज दिया गया असिस्टेंट मेडिको लीगल डाक्टर बना कर उस जगह जहां कि सारे सूबे के कैसेज आते हैं। जिन साहब ने सारा वाक्या बतलाया पूरे डिटेल में बताया कि जब आप मुख्य मंत्री थे सन् ७० में फलां आदमी का मर्डर हुआ, इस डाक्टर के चार्ज में था, वह एक्यूज्ड के घर या उसके रिश्तेदारों के यहां आते हैं। मेरे पास जबानी इत्तला आती है। मैं आर्डर दे देता हूं आफिसर कन्सर्न्ड को कि यह पोस्ट–मार्टेम नहीं करेगा। पोस्ट–मार्टेम हुआ, वह केस चला। जो कुछ हुआ, यह कहा जाता है कि मैंने इन्क्वायरी का आर्डर कर दिया। इन्क्वायरी से तो कुछ हुआ नहीं होगा। बड़ी से बड़ी इन्क्वायरी को बन्द कर दिया गया था मेरे जाने के बाद। डिसमिस्ड लोगों का रिएप्वाइन्टमेंट हुआ। ऐज ए मैटर आफ प्रिन्सिपल जितने इन्क्वायरी आर्डर किये गये थे और इन्क्वायरी आर्डर तब किये गये थे जबकि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी थी आल क्लोज्ड। जिस डाक्टर की जगह उस डाक्टर को असिस्टेंट मेडिको लीगल डाक्टर बना कर भेजा वह क्वालिफाइड था। मुझको पता चला है कि यह डाक्टर क्वालिफाइड भी नहीं है और कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।

मेरे पास सैकड़ों ऐसे केसेज आते हैं। एक और साहब ने मुझे बतलाया कि छविनाथ सिंह मेरे दरवाजे पर बैठे रहे, १० ही तारीख को आये। मैंने कहा, मैं नहीं मिलूंगा। मेरी उनसे बात नहीं हुई। मुझे मालूम हुआ कि मुख्य मंत्री जी को एप्लीकेशन दे दी गयी है। शायद अब आप ऐक्शन लें। शायद ही कहता हूं। मोस्ट सीरियस कैसेज में भी, कम से कम

[चौधरी चरण सिंह]

जहां कांग्रेस मैन इंटरेस्टेड है फिर आपको परवाह नहीं। इसमें पता नहीं है कि कोई कांग्रेस मैन इंटरेस्टेड है या नहीं, लेकिन प्वाइंट सारा यह है कि यह मुमकिन क्यों हुआ। मुख्य मंत्री जी, आप सारे कैसेज को नहीं देख सकेंगे, ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐसे चलता ही नहीं है। न आई० जी० सारे डी० एस० पीज० के कैसेज को देख सकता है। ऐडमिनिस्ट्रेशन के माने यह हैं कि जिन्होंने गलती की है उनको सजा मिले। आपका दृष्टिकोण यह हो कि नो सिफारिश विल प्रिवेल तब आप देखेंगे कि इतने कैसेज होंगे ही नहीं।

तीसरी बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एम० डी० एम० रुड़की की। श्री चन्दर सिंह, रुड़की, के काले कारनामें, यह छपा हुआ कागज है मेरे पास। ऐसे करीब २५० मामले मेरे पास आ चुके हैं जिन्हें मैं वैस्टपेपर बास्केट में डाल चुका हूं, यह इत्तफाक से रह गया। इसमें उनकी बदचलनी का किस्सा पूरी तरह से दिया हुआ है और जो बातें इसमें लिखी हैं उसे पढ़ने में मुझे शर्म आती है। यह चूंकि छपा हुआ बटा है, इसलिये मुख्य मंत्री की नोटिस में यह आया होगा। अगर नहीं आया है तो यह अफसोस की बात है, और अगर आया है और उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो और भी अधिक अफसोस की बात है। यह पर्चा प्यारे लाल के नाम से, उनका पूरा पता छपा है, बटा है, कोई एनानीमस नहीं है। इसमें एक हरिजन औरत का लेटर भी है कि किस तरह से उसकी अस्मत लूटी गयी। ऐसे ही अनेकों लीफलेट्स आपके एडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में निकलते रहते हैं? मगर कानून कांग्रेस मैन के लिये तो है ही नहीं।

अधिष्ठाता महोदय, पता नहीं गलत है या सही है, मैंने हरदोई में, फूड कन्ट्रोल आर्डर की अवहेलना करते हुये जो एक दावत दी गयी थी, पिछली बार उसका विस्तार से जिक्र किया था। एक आदमी ने मुझे पत्र लिखा था जिसके आधार पर मैंने उसका जिक्र किया था। आपको उसकी तहकीकात करानी चाहिये थी। मालूम नहीं आपने तहकीकात करायी या नहीं। नहीं करायी है तो अफसोस की बात है, करायी है तो मुझे बताया जाय, यह खुशी की बात होगी। वह दीक्षित साहब के आनर में दावत दी गयी थी। पहले मैं जिक्र कर चुका हूं।

अधिष्ठाता महोदय, कांग्रेस के कैन्डीडेट को जिताने के लिये आफिसर्स के द्वारा किस तरह से काम कराया जाता है उसके एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस को जिताना ही उनका फर्ज हो गया है। मैं जिले का नाम नहीं लूंगा, एक जिला परिषद् के चुनाव में एक या दो वोट से विरोध पक्ष का आदमी जीत गया। कांग्रेस का कैन्डीडेट जो चाहता था उसे ए० डी० एम० ने नहीं माना, वह निहायत ईमानदार आदमी था, सभी लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं और अपने कैरेक्टर के लिये वह मशहूर है। उसने चूंकि कांग्रेस कैन्डीडेट की बात नहीं मानी, इसलिये उसका ट्रान्सफर सेन्टर के एक मिनिस्टर ने करा दिया और उसको एक छोटी जगह पर रख दिया गया, एक जूनियर को उसकी जगह भेज दिया गया। दूसरी जगह का किस्सा एक यह है कि एक अन्धा आदमी आता है, वह हमारे कैन्डीडेट के पक्ष में वोट डालने के लिये कहता है। वह यह कहता है कि हम मिस्टर 'एक्स' को वोट देना चाहते हैं। अब रिटर्निंग आफिसर मत-पत्र में मिस्टर "एक्स" ही लिख कर देता है। निशान नहीं लगाता। अब इसी बेसिस पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है कि निशान की जगह नाम क्यों लिखा है। इसी तरह का एक दूसरा बैलट पेपर होता है जिस पर एक वर्टीकल लाइन होती है, एक होरीजेन्टल लाइन होती है, मगर चूंकि वह मत कांग्रेस कैन्डीडेट के पक्ष में जाता है अत: उसे रिजेक्ट नहीं किया जाता। जिलाधीश को बुलाया जाता है, वह कहता है इसमें तो कोई बात नहीं है बैलेट पेपर को यूं पलट पर देखिये तो यही वर्टीकल हो जाती है, इसलिये यह वोट वैलिड है। यह वैलिड करार देकर एक वोट से कांग्रेस कैन्डीडेट को जिता दिया जाता है। इस तरह की चर्चा दोनों जिलों में है। अब यह क्यों किया गया?

अधिष्ठाता महोदय, सन् १९५७ का इलेक्शन जब हो रहा था, मैं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर था। उसके बाद ट्रान्सपोर्ट का मुहकमा मेरे पास नहीं रहा। मैंने खुद ही डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी से कहा कि इस मुहकमें को नहीं चाहता। मई के आखिर में जाकर यह तय हो पाया। फरवरी के आखिर में एलेक्शन हुआ और अलीगढ़ से मेरे पास एक अप्लीकेशन आयी कि फलां ट्रान्सपोर्ट का अधिकारी ठाकुर मलखान सिंह की मदद एलेक्शन में कर रहा है। मैं कांग्रेस का मिनिस्टर था और ठाकुर मलखान सिंह को बहुत अच्छी तरह से जानता था? बुजुर्ग थे। मैंने उस ट्रान्सपोर्ट आफिसर से एक्सप्लेनेशन पूछा कि तुमने एलेक्शन में उनकी क्यों मदद की। मेरे पास से वह मुहकमा चला गया, पता नहीं बाद में क्या हुआ। तो अधिष्ठाता महोदय, इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा। अगर आपकी सर्विस में सब लोग हैं तो कहा जायेगा कि इसको साबित करो। कैसे साबित करें, किसके सामने साबित करें।

अब मैं दो एक्जाम्पिल इन एफिशिएंसी का देना चाहता हूं। ५ फरवरी, १९७५ की नेशनल हेराल्ड की खबर है:—

"Nearly 12,000 of a total of 27,000 small scale industrial units in U. P. registered with the Directorate of Industries here, have been found closed of dormant.

This came to light following an official census of the units ordered by the directorate to locate bogus or non-existent units, according to official sources.

Assuming that not all closed units were bogus, a special survey is in progress for the last four months and so far more than 5,000 units have been found bogus. A clear picture will, however, emerge only on the completion of the survey by the month-end."

फरवरी के आखिर तक सर्वे हो गया होगा। यह ठीक है कि यह पुराने जमाने से चला आ रहा है लेकिन आपके जरिये मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहता हूं कि वे इसी पर ध्यान देंगे और जो गिल्टी पाया जाय उसे सजा देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वे किसी कांग्रेस मैन को सजा नहीं दे पायेंगे। परन्तु मेरा जो सुझाव है उस पर वे अवश्य ध्यान दें क्योंकि कोई अमर नहीं रहता और न चीफ मिनिस्टर ही अमर रहेगा।

एक है "कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी, लखनऊ में करीब ५० लाख रुपये का घोटाला तथा बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार।" यह श्री बहुगुणा जी के नाम खुला पत्र है। पता नहीं आपके पास रेकार्ड रहता है या नहीं। मेरे पास डेढ़ हजार ऐसे खत आये होंगे। आप इस बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को देखने की कृपा करें।

अब मैं ला एन्ड आर्डर की कुछ बात कहना चाहता हूं। यह १० मार्च, १९७५ का टाइम्स आफ इंडिया की न्यूज है।

"ABDUCTED EVERY SECOND DAY"

"One young girl every alternate day is the rate of abduction in the Banda District of Uttar Pradesh. One hundred and forty-five girls have been reported abducted in this District in the past nine months according to Mr. M. L. Khare, Deputy Inspector General of Police, Jhansi Range."

झांसी डिवीजन का डी० आई० जी० स्वयं कहता है कि ९ महीने अर्थात् २७० दिनों में १४५ लड़कियों का ऐबडक्शन किया गया। अनुमान है कि अधिकतर ये गरीब लोगों की ही लड़कियां हैं। क्यों? किसी भी अच्छे मुल्क की गवर्नमेंट के लोगों का सिर इससे झुक जाना चाहिये। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अखबारों में खबर निकल गयी, मैं आपके जरिये माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके नोटिस में यह न्यूज आइटम आया है या नहीं? अगर आया है तो उन्होंने क्या कार्यवाही की और अगर नहीं आया है तो आपका ऐडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है? फिर कल इत्तिफाक से

[चौधरी चरण सिंह]

भोपाल, मध्य प्रदेश की असेम्बली में भी यह सवाल उठा। मैं उदाहरण देता हूं। हिन्दुस्तान टाइम्स में है :—

"Bhopal, March 12--Banda 'the heaven' of traffickers in women, figured in Madhya Pradesh Assembly to day when the Opposition members pointed out through a call-attention notice, how some gangs had been decoying girls from the drought---stricken area of Chattisgarh and selling them in this town of Uttar Pradesh.

लड़कियों की खरीद और फरोख्त दोनों होती हैं। आगे है :

"The Deputy Home Minister, Mr. C. P. Shekhar, admitted in the House how an 18 year old girl Phagumi, of Naraingunj village (District Mandla), wandered from place to place and ultimately found herself in the 'girls market' in Banda town last month."

अधिष्ठाता महोदय, मैं इसको यहीं छोड़ता हूं, यह लम्बा है। देखने की बात है, 'गर्ल्स मारकेट" कामा में दिया हुआ है। मान्यवर, यह स्वाराज्य से २७ वर्षों के बाद की हालत है। मैं कहना नहीं चाहता हूं कि आज इस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है। इस तरह से १४६ संख्या हो जाती है।

(इस समय ३ बजकर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे पास एक पत्र आया है। एक हरिजन महिला रज्जी है। बांदा में रहती है। उसने एक बड़ा लम्बा सा पत्र मुझ को लिखा है। आपको लिखा है, कापी मेरे पास भेजी है। लिखा है कि प्रार्थिनी एक हरिजन जाति की चमार है उसके साथ सामाजिक अत्याचार हो रहा है और सुरक्षा से वंचित किया जा रहा है। यह एक लम्बा सा पत्र है। मैं इसको यहीं छोड़े देता हूं। इसमें मियां और बीबी दोनों के अंगूठे के निशान हैं।

एक प्रार्थना पत्र और है। मेरे पास लिखने वाला दो-तीन दफे आया। मैंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूं। मुख्य मन्त्री के पास जाओ। मैं तो केवल जिक्र कर दूंगा, यही मेरे हाथ में है। यह बांदा की बात है। और अब मैं कानपुर की बात लेता हूं।

यह कानपुर की बात है लिखा है कि '४ रावरीज इन २४ हवर्स' यानी २४ घंटे में ४ डकैतियां ? यह ६ फरवरी की बात है, इसको भी मैं यही छोड़े देता हूं, क्योंकि हाउस का टाइम बेकार होगा।

दूसरा है '२८ मर्डर्स इन सिटी विदइन २ मन्थ्स'। मतलब है २ महीने में २८ कत्ल। यह भी २६ फरवरी की, कानपुर की बात है।

अध्यक्ष महोदय अब मैं प्रतापगढ़ को लेता हूं। फरवरी, ६ की बात है, "पायनियर'में है।

Pratapgarh, Feb. 6---As many as eleven murders have been committed in the district during the last 20 days, according to reports reaching here.

अध्यक्ष महोदय, यह ७ फरवरी, के 'पायनियर' में है। २० दिन में ११ मर्डर इसको भी मैं छोड़े देता हूं।

मेरा कहना यही है कि क्या अराजकता का एटमासफियर हो गया है। मैं एक मुजफ्फरनगर की बात आपको बता दूं। एक मीटिंग थी बरला में। मैं और मेरे साथी थे। मेरे साथी कह रहे थे जल्दी पहुंचना है। मैंने उनसे कहा कि जल्दी किस बात की है आज कल ठंडक के दिन तो है नहीं। किसान पैदल ही चले आयेंगे। उन्होंने कहा सवाल इस बात का नहीं है सवाल इस बात का है कि सेक्योरिटी कैसे हो। यहां खूब लूट पाट हो रही है। यह मुजफ्फरनगर का हाल है। मैं नहीं कहता कि वह नही कह रहे थे या गलत पर वहां जो हो रहा है मेरे साथियों ने उसको मुझसे बताया। वहां का सुपरिंटेंडेन्ट किस टाइप का है मैं कहना नहीं चाहता। आज अफसरों को नशा सा है। भला इस नशे में वह पब्लिक मैन की क्या परवाह करेंगे। लखनऊ में कितने मरडर हुये। बड़े-बड़े घरों में और सड़क पर खुलकर मरडर हुये लेकिन कितनो कांट्रेस हुआ है मुझे मालूम नहीं। कभी आपने एस० एस० पी० का जवाब तलब किया ? पहले के मुकाबले में वह

क्यों बढ़ गये हैं यह कभी आपने पूछा है? नहीं पूछा होगा। इस सिलसिले में एक परसनल बात हो जाती है इसलिये छोड़ देता हूं। आप उस एस० एस० पी० के खिलाफ ऐक्शन नहीं ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, शायद होम सेक्रेटरी बता देंगे कि क्राइम बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि घट रहे हैं। यह एस० एस० पी० के हाथ में बढ़ाना और घटाना है। १९६१ में मैंने आई० जी० श्री सक्सेना को बनाया था तो उन्होंने नोट दिया था कि ३ साल के आंकड़ो को इकट्ठा किया है तो उसमें १९१८,१९२० में जो क्राइम के आंकड़े थे वह १९५८ में उतने ही हैं। आबादी बढ़ गयी है लेकिन क्राइम उतने ही हैं जबकि क्राइम बढ़ने चाहिये। उन्होंने कहा कि क्राइम छिपाते हैं। आई० जी० कहता है कि क्राइम में सुधार हुआ है। इस प्रकार फतेहपुर में एक थाने से रिपोर्ट आयी कि क्राइम में सुधार है और आखिर में वह थाना एबालिश हो गया। इसलिये क्राइम को छिपाया जाता है और जाहिर यह किया जाता है कि क्राइम में हमारी सिचुएशन अच्छी है। मैंने अपने समय में यह आर्डर दिया था कि क्राइम कोई छिपाया नहीं जायेगा और यदि थानेदार इन्वेस्टीगेट नहीं कर सकता है तो वह पुलिस अधीक्षक को लिखे। इसकी तहकीकात के लिये पुलिस अधीक्षक और आई० जी० व डी० आई० जी० को एक जगह छिपाया गया कि थानेदार क्राइम को छिपाते हैं कि नहीं, मालूम करें। इस प्रकार दूने क्राइम फिर मिले। असली पहिचान है मरडर और डकैती कितने होते हैं। यदि वह मिलते हैं तो क्राइम बढ़ रहे हैं यदि मरडर और डकैती घटते हैं तो क्राइम घट रहे हैं यह समझा जाना चाहिये। १५ मार्च, १९६२ में मुझे १५ महीने होम मिनिस्टर के हो गये थे तो उस समय क्राइम घट गये थे। इसलिये अब दो राय नहीं है कि क्राइम बढ़ रहे हैं। और फिर क्यों न बढ़े क्योंकि उसमें पोलीटीशियन का हाथ है और उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं उन्नाव, बरेली और इटावा को लेता हूं। इटावा में पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट दिया है कि वहां क्रिमिनल के गैंग हैं। कांग्रेस मैन उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक डकैत पकड़ते हैं और वह कहता है कि बी० के० डी० के एम० एल० ए० के मरडर के लिये कहा गया था। एक बार गया लेकिन वह वापस आ गया। उसका फिर ट्रान्सफर कराते हैं यहां के कांग्रेस एम० एल० ए० क्योंकि सुपरिन्टेंडेंट पुलिस सही रिपोर्ट भेजता है। डी० आई० जी० और सी० आई० डी० की वही रिपोर्ट है। मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूं। मैंने कहा राजमंगल जी से। उसका ट्रान्सफर का आर्डर एस० पी० का। मैंने कहा कि यह अफसर बेकार होगा, अब यह कोई ड्यूटी नहीं कर सकेगा। मैंने कहा कि उन्हें बुला लो और पूछो कि यह बात है या नहीं। बड़ी मुश्किल से राजमंगल जी राजी हुए। अफसर की रिपोर्ट सही है या नहीं तो परवाह न करो कि कांग्रेस के मेम्बर क्या कहते हैं। मैं फिर कहता हूं, उसे वहीं रखो और सपोर्ट करो। सपोर्ट हिम एन्ड गिव हिम गुड एन्ट्री। जैसा मैं कह रहा था बड़ी मुश्किल से राजी हुये। मैंने सुना बाद में बुलाया भी। लेकिन हिज ट्रान्सफर स्टिल स्टुड। मैं फिर दोहरता हूं कि इस तरह से कैसे चलेगा। फिर सुना कि एक एस० पी० का ट्रान्सफर उसकी जगह हुआ। वह भी एक अच्छा अफसर था। लेकिन जब श्रीमान जी को मालूम हुआ तो उसका भी ट्रान्सफर रुकवा दिया और वहां अपनी मर्जी का दूसरा अफसर ले गये। क्या इस तरह से ला एन्ड आर्डर सिचुएशन इम्प्रूव होगी।

बलिया के मेरे एक साथी मिश्रयार खां बैठे होंगे। भले आदमी। उन्होंने कांग्रेस के एक मिनिस्टर धर्मदत्त वैद्य को हाराया। बस उनकी लाइफ हैल है। एक बार मुझ से मिल चुके हैं और तफसील में अपनी बात सुना चुके हैं। कल रात साढ़े आठ बजे फिर आये। उनकी उम्र ज्यादा, उनके लिये चलना मुश्किल। मैंने उनसे कहा कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। हां आपके केस का भी जिक्र कर दूंगा। खैर, छोड़िये। अब उन्नाव की बात क्या बतलाऊं। श्री गोपीनाथ दीक्षित वहां के मालिक हैं। २३ डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स हैं २३ डिपार्टमेन्ट्स के। २३ में १८ एक ही बिरादरी के हैं। ट्रान्सफर कह-कह कर

[चौधरी चरण सिंह]
बहुत से कराये गये। इससे कुछ नहीं। २३ के २३ अगर एक बिरादरी के हों और निष्पक्ष होकर काम करें तो कोई परवाह नहीं। कत्ल की कोशिश हुई शिवपाल सिंह के। कितनी बार कह चुका। लेकिन वही पोजीशन।

एक राघवेन्द्र सिंह हैं। दफा १४५ सी आर० पी० सी० में कार्यवाही हो रही है। मुझे कल उन्होंने बताया। तीन और दोस्त आये थे—सुन्दर लाल मिश्रा और फतेह बहादुर सिंह प्रमुख। पुलिस ने एक मकान रात में बनवा दिया राघवेन्द्र सिंह की जमीन पर। एक जगह एक फरीक के तीन-चार मर्डर हुए। दूसरे फरीक का एक मर्डर हो गया। कौन है कौन नहीं। केस चले। एक आदमी मौके पर नहीं था उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ठीक है, होनी चाहिये गिरफ्तारी; बाकी तो कोर्ट तय करेगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। मैंने अपने साथियों से कहा कि जिम्मेदारी से बतलायें कि कहां तक बात सही है। मेरे साथी कह रहे हैं उस मर्डर केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। जो बहुत सीरियस बात है वह यह कि उसका मकान ढाह दिया एस० पी० ने? पहले जैसे कहा जाया करता था कि मकान में हल चलवा दिया जायगा, तेरे जन बच्चे कोल्हू में पिलवा दिये जायेंगे वही बात आज बीसवीं सेन्चुरी में हो रही है। स्वराज्य के २७ साल बाद, डेमोक्रेसी कायम हो जाने के बाद और मेरी आवाज उठाने के बाद एस० पी० यह हिम्मत करता है। कहीं ऐसा हुआ आज तक? अंगरेजों के जमाने में ऐसा हुआ? मैंने फतेहबहादुर सिंह की कितनी बातें कहीं। आपने डी० आई० जी० को भेज दिया कि जो कितने मर्डर केसेज में फाइनल रिपोर्ट लगा चुका था। लेकिन वह बहुत भारी एडमिनिस्ट्रेटिव मामला हो गया आपके लिये और आपने डी० आई० जी० को दिया। सीधी बात थी। एस० पी० को कहते कि सस्पेन्ड कर दो या लाइन भेज दो। असेम्बली में अपोजीशन का लीडर कह रहा है। ही शुड बी बिलीव्ड प्राइमाफेसी, लेकिन मैंने पूछा नहीं। उस समय, मुख्य मन्त्री जी मौजूद थे या नहीं, मुझे मालूम नहीं।

एक चीज और मैं इस सिलसिले में बता दूं। भगौती चरण भार्गव सन् १९३७ में पुरानी कांग्रेस में एम० एल० ए० होकर आये थे और वह और मैं, आजकल जहां नेगी साहब बैठते हैं, वहां बैठता था। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है कि किस तरह बिहैवियर करना चाहिये। उन्होंने बताया कि नवाब साहब छतारी होम मिनिस्टर थे। भगौती चरण जी ने उनको तार भेजा कि एक एस० पी० पुलिस का ट्रान्सफर कर दिया जाय। उन्होंने तुरन्त ट्रान्सफर कर दिया। लेकिन आज क्या स्थिति है? कितने एम० एल०ए० और एम०एल०सी० परेशान हैं। कितने लेटर्स सुनायें? कुछ नहीं होता। होता क्या है....सब-इन्स्पेक्टर के मामले में डी० आई० जी० भेज रहे हैं। कहा जा रहा है कि खर्च दो तो शैडो मिलेगा। दूसरी ओर मामूली आदिमयों को शैडो दे रहे हैं। सीचुएशन कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन इसमें माननीय बहुगुणा जी का दोष नहीं समझता। ही हिमसेल्फ इज इन हाट वाटर, वह खुद परेशान हैं। वह बता दें कि मैं परेशान नहीं हूं, तो मैं अपने लब्ज वापस ले लूंगा। उमा शंकर दीक्षित और गोपी नाथ दीक्षित के खिलाफ भला वह क्या कर सकते हैं। राघवेन्द्र सिंह या फतेह बहादुर सिंह को चाहे मकान ढहा दिया जाय या कुछ हो जाय, बहुगुणा जी कुछ नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में भी यह हालत नहीं थी। ये लोग मेरे पास आये। मैंने कहा कि सारी कहानी लिखकर दे दो। फिर मैं असेम्बली में इसको उठाऊंगा और जितना बल होगा लगाऊंगा और देखूंगा कि हमारे दूसरी पार्टीज के साथी भी हमारी कितनी मदद इसमें करते हैं और मैं यह फिर देखूंगा कि कैसे सरकार इसकी इन्क्वायरी अप्वाइन्ट नहीं करती, चाहे फिर हमें अनकान्स्टीट्यूशनल काम ही क्यों न करना पड़े।

(विरोधी पक्ष में हर्षध्वनि)

आज यह हालत है। क्या ऐडमिनिस्ट्रेशन चलेगा? तो यह तो रही ऐडमिनिस्ट्रेशन की बात। एक दो प्वाइन्ट और रह गये...खैर उन पर अब नहीं बोलूंगा। मैंने काफी समय ले लिया।

श्री अध्यक्ष--

२ घण्टे हुये।

चौधरी चरण सिंह--

ठीक है। अब समाप्त करता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

चौधरी साहब, पूरा कर लें।

चौधरी चरण सिंह--

मेरे टेम्परेचर था। मैंने पहले ही कहा था कि डेढ़ घन्टे से अधिक नहीं बोलूंगा। ज्यादा समय लिया, इसके लिये माफ करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ---

मुझको तो बहुत खुशी हुई, चौधरी साहब आपको सुन कर।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं समझता हूं कि विभिन्न दलों के नेताओं के लिये ३० मिनट और शेष के लिये १० मिनट का समय काफी होगा।

एक सदस्य--

सुना हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

वह बात नहीं है।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

मान्यवर, २० मिनट तो कम हैं।

श्री अध्यक्ष--

दलों के नेताओं के लिये ३० मिनट या आधा घन्टा और शेष के लिये १० मिनट, यह रखा गया है।

विधायक निवास में पानी न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

*श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे मिलने आपके कमरे में गया था लेकिन इत्तिफाक से भेंट नही हो सकी। आज चार दिन से विधायक निवास में एक बूंद पानी नहीं है। सबेरे नहाने तथा पीने के लिये पानी का अभाव है। हम लोग किस के पास जायं। आप कहेंगे पी० डब्ल्यू० डी० इन्जीनियर तथा राज्य सम्पत्ति अधिकारी के पास जाइये मगर उनसे मिलने पर भी समस्या का कोई निदान नहीं होता। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। बिजली का बल्ब फ्यूज हो जाय अथवा प्लक खराब हो जाय तो चेंज नहीं होता। यहां तक कि कैफिटेरिया में भी पानी नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

जब आज से चार रोज पहले का यह मामला है तो आपको लिख कर देना चाहिये था।

श्री बाबू लाल वर्मा--

अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि परेशानी बहुत अधिक है और उसे आप ही दूर करा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दें। हम उस पर गौर करेंगे और राज्य सम्पत्ति अधिकारी के पास उसे भेज देंगे।

१९७५-७६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

*श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)--

अध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब ने जो भी बातें आज बजट भाषण के दौरान कहीं हैं उनमें कोई भी नवीनता नहीं थी; सारी की सारी बातें किसी न किसी रूप में पिछले दिनों में वह कह चुके हैं। कृषि को प्राथमिकता दिये जाने की बात भी आज उन्होंने दोहराई और इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि इस बात को वह पहले से कहते आये हैं। आज जब मैं उनके भाषण को सुन रहा था तो एक मुख्य बात जो उन्होंने कही वह यह थी कि इण्स्ट्री को सस्ती तथा कृषि की महंगी बिजली यह सरकार दे रही है। जब उनका जमाना था, वह मुख्य मन्त्री थे तो उस समय भी हिन्डालको को २ पैसे यूनिट बिजली दी जाती थी और उन्होंने उसे बढ़ाया नहीं और उसकी जिम्मेदारी आज वह दूसरों पर थोप रहे हैं। उनका कहना है कि आज देश में जब गरीबी है, भुखमरी है, अन्न का अभाव है तो होटल खोले जा रहे हैं, शराब की दूकानें खोली जा रही हैं। जब चौधरी साहब १९६७ में मुख्य मन्त्री थे तो उन दिनों में तीन सौ से भी अधिक शराब की नई दुकानें और विदेशी शराब की दुकानों के लाइसेन्स दिये गये। उस समय भी यह स्थिति थी, अनाज की कमी थी। सन् १९६७ में वही अभाव की स्थिति हमारे प्रदेश में थी। उस समय लोग रोटी मांग रहे थे और उसके बदले उनको शराब दी गई कि उससे वह अपने गम को मिटायें।

चौधरी साहब ने जहां तक, इन्डस्ट्रीज को प्राथमिकता देने की बात कही है, यह सही है कि कुछ वर्षों से उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है किन्तु बिना उद्योगों को प्राथमिकता दिये हुये हम कृषि-उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं और न कोई प्रगति का ही काम कर सकते हैं। अगर हम कृषि को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो उसके लिये बिजली की आवश्यकता होगी, खाद की आवश्यकता होगी। बिना इनके बड़े उद्योगों की प्रगति सम्भव नहीं है। इन दोनों चीजों को संतुलित करने की आवश्कता प्रतीत होती थी। जहां एक ओर बिजली को बढ़ावा देने की बात है वहां दूसरी ओर कृषि के लिये भी काफी धन का प्राविधान किया गया है जो कि एक सराहनीय कदम है। इस बात की चर्चा न करके केवल आक्षेप के लिये ही आक्षेप करने का प्रयास किया गया है।

दूसरा मुख्य प्रश्न इस बजट मे यह था कि आज की परिस्थितियों में, जब कि मुद्रा-स्फीति का जोर है, चारों तरफ दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, संतुलित बजट रखा गया है। ऐसी स्थिति में आज क्या यह आलोचना का विषय है या ऐसा बजट है जो आज की स्थति में वास्तविकता को सामने रख कर के जनता को, गरीब को, पिछड़े क्षेत्र और वर्ग को राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया है और उसी के अनुरूप है। यहां पर प्रशासन और करेप्शन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की चर्चा की गई। केवल अपराधों को छिपा देना ही अपराधों को कम करना नहीं है अपराध तो सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार घटते-बढ़ते रहते हैं, वातावरण के अनुसार वे घटते-बढ़ते रहते हैं। आज विरोधी पार्टियों ने ऐसा वातावरण बना लिया है कि जनता को गुमराह करता है, लोगों को परेशानी में डालता है। आज विरोधी पार्टियां इन परेशानियों से लाभ उठाकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी स्थिति में जुर्म बढ़ गये हैं और उसके साथ ही साथ अव्यवस्था भी पैदा हो गई है। आज कहीं पर कोशिश की जाती है कि उपद्रव हों, हड़तालें हों और कहीं पर विद्यार्थियों को भड़काया जाता है। ऐसी अवस्था में जहां शासक दल का कर्त्तव्य होता है कि वह शान्ति और व्यवस्था बनाये रखे वहां पर क्या विरोधी दल का यह काम नहीं है कि वह वास्तविकता के आधार पर, कांस्ट्रक्टिव आधार पर जो-जो कमियां हैं उनको सामने लाये।

लेकिन आज विरोधी दलों का रवैया हो गया है कि किस तरह से अव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाय। उनके सामने एक ही चीज दिखाई देती है कि १९७६ में पार्लियामेन्ट का चुनाव। उनकी कोई आर्थिक नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। इनकी यह कोशिश है कि जो धुरलक्षण पंथी हैं, धुरवामपंथी हैं वे प्रगतिशील सरकार को अपदस्थ करके अपनी-अपनी खिचड़ी पकाकर फिर एक बार पुनः वही प्रयास करें जैसा इन्होंने १९६७ में किया था। किन्तु अब जनता इनके प्रपंचों में आने वाली नहीं है और न आयेगी। चौधरी साहब ने बजट के बारे में बहुत सी बातें कही हैं और बहुत सी बातें वे सामने लाये हैं किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वर्ष के बजट में कोई टैक्स नहीं लगा और साधारण सी कमी जो रह गई है उसको भी मितव्ययता से पूरा किया जायेगा। जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री ने कहा कि मितव्ययता से घाटे को पूरा किया जायेगा। तो बिना टैक्स लगाये ही जितने भी कार्य हैं जो अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया है। यह एक सराहनीय प्रयास है। इस परिपेक्ष में इस आधार पर इस बजट को एक प्रगतिशील और संतुलित बजट कहा जा सकता है, इस बजट को आगे बढ़ने वाला बजट कहा जा सकता है।

श्रीमन्, मैं इस अवसर पर दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं पर्वतीय क्षेत्र से आता हूं। वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, वहां पर आज भी महिलायें २-३ और ३-३ मील से सिर पर पानी लाती हैं। उसके लिये मुझे थोड़ा सा इसमें दिखाई पड़ा है परन्तु मैं समझता हूं कि २७ साल की आजादी के बाद भी अगर महिलायें तीन मील दूर से पानी लायें तो यह प्रशंसनीय और उत्साहवर्धक बात नहीं है। साथ ही साथ वहां पर रोजगार की कमी है, खेती के लिये सिंचाई के साधन नहीं हैं जिस कारण वहां पर साल में चार या पांच महीने के लिये अन्न होता है और वहां के लोग रोजगार के लिये इधर-उधर आते हैं। इस बजट में वहां पर वनों पर आधारित उद्योगों की बात की जाती है तो वह अधिक सराहनीय बात होती। जिसका मुझे अभाव प्रतीत होता है। क्योंकि वन वहां की संपदा है। वहां ६६ फीसदी क्षेत्र में वन फैले हुए हैं। वहां की संपदा को बाहर के लोग लूट कर ले जाते हैं जिससे वहां के लोगों में आक्रोश है। मुझे यह दोहराने में कोई संकोच नहीं है कि सन् १९२० और १९२१ से वहां पर आन्दोलन आरम्भ हुआ और आज भी वन सम्पत्ति वहां के लोगों के हित में इस्तेमाल की जाती तो लोगों को संतोष होता और उससे वहां के लोगों को रोजगार मिलता। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में इस तरह की नीति अपनायेंगे जिससे वहां के लोगों को राहत मिल सके और लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें।

इस अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि गरीबी और परेशानी के कारण वहां पर कुछ लोगों में अलगाव की भावना पैदा होती जा रही है और मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों का पहाड़ों के बारे में अधिक रुझान नहीं है। आपको मालूम है कि पहाड़ों से ही गंगा और यमुना नदियां निकलती हैं और वहां के पानी के दोआब को सिंचाई होती है। तो पहाड़ प्रदेश के अभिन्न अंग हैं। तो उसके लिये आपस में ताल मेल बना रहे एकता बनी रहे यह बहुत आवश्यक है। मान्यवर, इसके लिये मैं आपसे सरकार के अधिकारियों से

[श्री बाल कृष्ण सनवाल]

और मन्त्रियों से निवेदन करूंगा कि आपका भ्रमण वहां होता रहे जिससे आपसी एकता बनी रहे और ऐसे तत्वों में जो अलगाव की भावना पैदा कर रहे हैं उनको सहायता न मिल पाये इस भावना को उभारने में मुझे भय है कि इस भावना से प्रदेश की एकता में अच्छा असर नहीं पड़ेगा। इन शब्दों के साथ में वित्त मन्त्री जी को, माननीय मुख्य मन्त्री जी को और मन्त्रि-मन्डल को बधाई देता हूं। कि उन्होंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है और जनता को सेल्स टैक्स आदि से राहत दी गई है इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। इन शब्दों के के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

अध्यक्ष जी, इस वर्ष के बजट पर जो हमारे वित्त मन्त्री जी ने यहां प्रस्तुत किया है और विरोधी दल के माननीय नेता ने जो इस पर अपने विचार प्रकट किये उसके विषय में मुझे पहली बात तो यही कहनी है। कि उन्होंने अपनी आलोचना में इस बात को कहा कि करोड़ों आदमी भूख से मर रहे हैं। मैं यह कह सकता हूं कि सन् १९४७ में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस समय इस प्रदेश की आबादी कितनी थी और आज कितनी है और प्रत्येक दिन हमारे देश में कितनी जन-सख्या जन्म लेती है और कितने लोग यहां बढ़ गये हैं। यदि करोड़ो आदमी साल में भूख से मरते हैं तो करोड़ों आदमी साल भर में पैदा कैसे हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि विरोधी दल के नेताओं को, जिनको पूरे देश और प्रदेश की कम्प्रेटिव स्टेडी होनी चाहिये, वह नहीं है। ऐसे भाषण हम आम जनता और चौराहों पर अवश्य दें सकते हैं, ऐसी बात जनता को बहलाने के लिये हम कर सकते हैं, लेकिन इस असेम्बली के अन्दर इस प्रकार की बात करना देश की प्रबुद्ध जनता के मनोबल को तोड़ना है और यह दिखाना है कि लोग मर रहे हैं भूख से ताकि हिम्मत के साथ हमारा देश जो आगे बढ़ रहा है वह आगे न बढ़ सके।

मैं यह नहीं मानता कि देश में समस्यायें नहीं हैं, गरीबी नहीं है, मैं यह भी नहीं मानता कि देश में लोगों को परेशानियां नहीं है लेकिन मैं यह देखता हूं कि हमारे साथ पाकिस्तान आजाद हुआ, बर्मा और लंका आजाद हुए, नैपाल आजाद हुआ तथा अन्य एशिया और अफ्रीका के तमाम देश हमारे साथ आजाद हुये, उन लोगों ने इस संसार में रह कर क्या कर दिखाया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे पास 'दिनमान' अखबार है जो कांग्रेस का घोर विरोधी अखबार है, उसने लिखा है--जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था हमारे देश में स्त्रियों की औसत आयु २७ वर्ष की थी, जो आज बढ़कर ४७ वर्ष हो गई है, तथा आदमियों की औसत आयु २५ वर्ष से बढ़कर ५५ वर्ष हो गई है। आजादी के पहले कितनी एपेडेमिक बीमारी चलती थीं हमारे यहां और अब चेचक उन्मूलन में हमने कितनी तरक्की की है, यह देखने की बात है। यह अवश्य है कि भले ही कुछ चीजों में हमारे देश ने तरक्की की है, लेकिन गरीबी अब भी वर्तमान है। गरीबी है, लेकन करोड़ों आदमी देश में भूखों नहीं मर रहे हैं। हमनें गरीबी को दूर करने के लिये प्रोग्राम भी बनाये है, लेकिन दुख इस बात का है कि देश में रेलें न चलें, कारखाने न चलें और मिलें बन्द रहें और भूखमरी भी न रहे, यह कैसे हो सकता है।

करप्शन की बात की गई। मैं मानता हूं कि करप्सन है, भ्रष्टाचार है। लेकिन उसे दूर करने के लिये जो सबसे बड़े भ्रष्ट लोग हैं, जो पूंजिपति हैं, जो गरीबों के खून को पिस्सू की तरह चूस कर बड़े हुए हैं, सभी प्रकार का करप्शन होर्डिंग और स्मगलिंग करते हैं, वे लोग भी जब एक झंडे के नीचे जमा होकर एन्टी करप्शन स्लोगन बोलते हैं तो भ्रष्टाचार कैसे दूर हो सकता है। भ्रष्टाचार की जड़ ही जब भ्रष्टाचार दूर करने के लिये आवाज उठाती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। क्या विरोधी दल के लोग इसमें शामिल नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है उनके साथ। यदि वास्तव में भ्रष्टाचार मिटाना है तो उसका साथ किसी को नहीं देना है और भ्रष्टाचार विरोधी लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा। मैंने एक बार आपसे, श्रीमन्, इस असेम्बली में पहले भी कहा था बहुत से लोग चाहें सरकारी हों या गैर सरकारी भ्रष्टाचार की बात इस लिये करते हैं कि कहीं यह न हो कि मेरे लिये कहें कि यह भ्रष्ट हैं। बातें करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लेकिन काम इतने भ्रष्ट हैं, अगर तस्वीर खुले तो जैसे चोर चोरी से बचने के लिये कहता है चोर गया, चोर गया, वैसे ही बहुत से लोगों ने सीख लिया है, भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार लोगों के भीतर हो सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार के लिये केवल सत्तारूढ़ दल जिम्मेदार नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार कैसे दूर किया जाय इसके लिये विरोधी दल के नेता न कोई सुझाव नहीं दिया। वे हमारे वयोवृद्ध नेता थे, उनको वर्षों शासन चलाने का अनुभव है उन्हीं की कृपा से उन्हीं की प्रेरणाओं से, उन्हीं के परिश्रम से हम यहां आये हैं। वह बताते हमको। हम उनसे कुछ सीखेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार हो गया है। इसका जिक्र न किया जाय तो अच्छा है।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के लोग सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। उनसे कोई आशा नहीं की जा सकती है। मुझे यह भी अच्छा नहीं लगा। हम तो मेम्बर्स हैं। अगर हम कोई बात कह देते हैं तो इतना दुखदाई नहीं होता। मैं असेम्बली में इस तरह के अपने विचारों को प्रकट कर रहा हूं। देश के लिये जितनी अच्छी-अच्छी बातें हैं वह होनी चाहिए।

जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता माननीय मनवाल जी ने प्रश्न उठाया है, पहाड़ों के हमारे संसद सदस्य प्रताप सिंह नेगी पृथक पर्वतीय राज्य की बात कर रहे हैं। पृथक पर्वतीय राज्य की बात मैं नहीं मानता हूं। उत्तर प्रदेश का नक्शा जितना सुन्दर है, वह हमेशा-हमेशा बना रहे। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता एक रहे। हम चाहते हैं कि एक प्रदेश में एक देश में बने रहें, मिलजुल कर काम करें। पहाड़ और मैदान में क्या अन्तर है? मनुष्य मात्र बन्धु है, वही बड़ा विवेक है, अनन्त अन्तरिक्ष में अनादि देश एक है। यह राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है। हम पहाड़ और मैदान की बात नहीं करते हैं। पहाड़ के लोग दुखी हैं। हमारा कर्त्तव्य है कि पहाड़ के लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान दें, पहाड़ से अरबों रुपये का लीसा, लकड़ी आती है मैदान में। उससे आप यहां लोगों को मालदार बनाते हैं। लीसा और लकड़ी का उद्योग पहाड़ पर लगायें। पहाड़ में बड़ी कीमती लकड़ी होती है जिससे बन्दूक के कुन्दे बनते हैं। ऐसी जड़ी बूटियां पैदा होती हैं कि पांच-पांच सौ रुपये की एक जड़ी बूटी बिकती है। उनकी खोज की जाय और उनको इकट्ठा किया जाय। वहां जड़ी-बूटियों से बनने वाली दवाओं के कारखाने स्थापित किये जायं जो आयुर्वेदिक स्तर पर बनायी जायं। आज वहां का पढ़ा-लिखा नौजवान यहां पर नौकरी पाने के लिये यहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। जब पढ़ा लिखा आदमी किसी क्षेत्र से भाग जाता है तो वह चेतना शून्य हो जाता है। पहाड़ों का लीसा लकड़ी और कीमती लकड़ी बह कर, नीचे आ जाती है, और नौजवान भी नीचे आ जाता है। मैंने पिछले वर्ष भी कहा था कि अगर हम जंगलों को खेती के लिये साफ करते रहे तो बाढ़ की स्थिति और खराब होती जायगी। सरकार को चाहिये कि बहुत लम्बा समय न लें। सरकार को चाहिये कि वह एक मास्टर प्लान तैयार करे और ऐसी नीति बना दें कि पहाड़ों के पेड़ अब बेरहमी से नहीं काटे जायेंगे। पहाड़ों पर उद्योग लगाये जायेंगे। लकड़ी, लीसा, चूना तथा पत्थर जिससे सीमेंट बनती है, इनसे सम्बन्धित उद्योग पहाड़ों पर लगाये जायेंगे। वहां की जमीन का भू-स्खलन नहीं होने देंगे और इसलिये नहीं होने देंगे क्योंकि इससे मैदान की फसल बाढ़ की चपेट में आकर नष्ट हो जाती है। इसलिये अब सरकार को चाहिये कि पहाड़ के कटान को रोके और जो इससे मैदान वालों को तकलीफ होती है उससे उनको बचाये।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, यह बजट जो इस माननीय सदन में पेश हुआ है सचमुच में इस सरकार ने २५ साल के बाद एक कमाल करके दिखाया है। १९७१-७२ में जो माननीय तिवारी जी का बजट भाषण हुआ था उसकी कापी मेरे पास है। उसमें उन्होंने शुरूआत की थी कि हम इस बार बजट में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं और परफारमेंस बजट ला रहे हैं। लेकिन १९७१-७२ से लेकर आज तक बिल्कुल ऐसा ही परफारमेंस हो रहा है जिसे गुड नहीं कहा जा सकता है बल्कि वर्स्ट कहा जा सकता है।

पारसाल लखनऊ में एक नुमाइश लगी थी उसका नाम "बढ़ते कदम" था। लेकिन मैं नुमाइश पेश करूंगा, "हटते कदम"। एक लेख छापा गया बहुगुणा जी के उत्तर प्रदेश में ३६५ दिन और उसका बड़ा भारी प्रचार किया गया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में आकर बड़ा भारी कमाल करके दिखा दिया। जिस दिन माननीय बहुगुणा जी आये है उस दिन से प्रदेश की क्या हालत हो गई है, उसको मैं खोलना चाहता हूं। गेहूं के दाम बढ़ गये, सीमेन्ट के दाम बढ़ गये, कपड़े के दाम बढ़ गये और बिजली का रेट जो ३ रुपये प्रति हार्स पावर था वह बढ़कर १५ रुपये प्रति हार्स पावर हो गया। इसके अलावा चोरी, डकैती और गुन्डागर्दी बहुत बढ़ गई है। जिले का शायद ही कोई एस० पी० आज चैन की बंशी बजाकर नहीं सो पाता।

१९७१-७२ के बजट में आपने कहा है कि हमारे पास २१ महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और उसमें बड़ी-बड़ी डींगे मारी गई। कहा गया कि श्रमिकों की छटनी नहीं होगी, उनको यह फैसिलिटीज दी जायेंगी, वह फैसिलिटीज दी जायेंगी यानी माननीय तिवारी जी ने सारी बातें कह दी। लेकिन आज क्या है? चाहे जिधर चले जाइये और देखिये कि क्या हाल है। उस बजट में सरकार ने यह कहा कि विद्युत् ऐसी वस्तु है जो खेती की उन्नति के लिये अत्यन्त आवश्यक वस्तु है। इसलिये इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये था। सरकार ने जो प्राविधान किया उसमें आप देखें कि जितना बजट था उसका ५० प्रतिशत विद्युत् के ऊपर रखा गया। १९७१-७२ का जो बजट था उसमें से ३७ परसेंट विद्युत् पर २२ परसेंट खेती पर और १५ परसेंट सिंचाई पर रखा गया। १९७३-७४ में २५०.३७ करोड़ रुपया था। १९७४-७५ में १२९.७२ करोड़ विद्युत् पर और कृषि पर ५५.२६ करोड़ रुपया था। १९७५-७६ में ४११.६६ करोड़ में से आप कहते हैं १८१.७५ रुपये विद्युत पर और सिंचाई पर ७०.६७ और कृषि पर ५०.३८ है।

अब आप श्रीमन् देखें यह जो विद्युत् पर इनका पैसा खर्च किया जा रहा है मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि आपने कोई चीज दी है और जिस दिन बजट पेश होगा बिजली गायब हो जायगी। आपने ३ रुपये प्रति हार्स पावर से बढ़ा कर १५ रुपये प्रति हार्स पावर कर दिया है। परिणाम आज यह हो रहा है कि जो प्राइवेट ट्यूबवैल्स लगे हुए है, जिसका ७ हार्सपावर का ट्यूबवैल है तो वह अपना ट्यूबवैल ५ हार्सपावर करा रहा है। उसका कारण यह है श्रीमन्, कि फाइनेंसिंग की जो स्कीम है जो नीति है, उसके अन्दर एक बात पूर्ण रूप से मानी गई है कि डेफसिट फाइनेंसिंग होगी उससे देश की अर्थ-व्यवस्था बिगड़ेगी। इसको लेकर केन्द्र तक हल्ला मचा, प्रदेश में हल्ला मचा। प्रदेश की हर विधान सभाओं में हल्ला मचा। आपने यह भी कहा कि अब टैक्स नहीं लगाये जायेंगे। ३ महीने के बाद ग्राम प्रधानों के पास चिट्ठी भेज दी, उसमें बताया जाता है कि देखो बहुगुणा जी ने कितना अच्छा काम कर दिया है। अबकी बार जो चिट्ठी प्रधानों को जायगी उसमें लिखा जायगा कि कोई टैक्स नहीं लगाया जायगा! आपने जो टैक्स लगाया है और जो नया तरीका टैक्स लगाने का है, वह तरीका जनतन्त्र प्रणाली को तोड़कर लगाने का है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१९७३-७४ में जो बजट पेश हुआ श्रीमन्, उसकी कापी मेरे पास है। तिवारी जी ने कहा कि हम घाटे का बजट तो जरूर ला रहे हैं लेकिन कोई टैक्स नहीं लगायेंगे? उस समय आप देखें बड़ी चालाकी से सरकार ने जो टैक्स लगाया वह मैं कह देता हूं। अब डायरेक्ट टैक्स नहीं लगायेंगे, आपके अन्दर क्षमता नहीं है। आपने चोर दरवाजे से आ करके कहा कि इक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जायगी। आपने कहा कि इन्टरटेनमेंट टैक्स बिल लाया जायगा। आपने कहा कि जनता की सुविधा के लिये किया जा रहा है। जनता की कौनसी सुविधा आपने बढ़ाई? जिस जगह आपने हाथ लगाया वही चीज गायब हो गई। दूसरी चीज आपकी हटते कदम क्या है। चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे और इसके अलावा सवा ६ एकड़ का लगान जो आपने फिर से लगाया है; उधर बैठे हुये सोशलिस्ट पार्टी के जो सदस्य हैं, मैं उन माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आखिर जब वह डा० राम मनोहर लोहिया की दोहाई करते थे, मुझे याद है जब मैंने प्रोसीडिंग्स पढ़ी हालांकि तिवारी जी ने कहा था कि सवा ६ एकड़ का लगान माफ होना चाहिये था। आज कौन सा औचित्य है। कौन सी मजबूरी है। मैं बता दूं एक तो शासन का प्यार है, दूसरा कुर्सी की मुहब्बत है और तीसरें बहुगुणा जी का दुलार है। ये कहां जाये। और कैसे जाये।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आपने बजट में लम्बे-लम्बे आंकड़े दे दिये हैं। लेकिन मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन आंकड़ों से जनता का पेट भरेगा? नहीं भरेगा। माननीय खाद्य मन्त्राणी जी ने अपने भाषण में कहा कि इतने पकड़े गये, इतने निकाले गये। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। कन्ट्रोल तोड़ दो जैसा कि किदवई साहेब ने किया था; है कन्ट्रोल तोड़ने की हिम्मत इनमें। नहीं है। कम्युनिस्ट भाई जो हैं इनको प्यार कर रखा है। आज सरकार ने वसूली का अभियान चलाया है। लेकिन यह क्या है? चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया है। पिछला जो बजट भाषण है आपका उसमें इस बात का जिक्र है। आप एक ओर कहते हैं कि चीनी के राष्ट्रीयकरण की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाया जायेगा। फिर पिछले भाषण में आया कि इस तरह का कोई विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

समाप्त करें। समय हो गया।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, ८ जुलाई, १९७४ की कार्यवाही मेरे पास है। इसके पृष्ठ १०५२ पर आप देखें। सवाल हुआ था चीनी मिलों का कितना बकाया है। म सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि यह वसूल नहीं हो पाया है। यह कहते हैं कि हम समाजवादी हैं और पूंजीपतियों को हटायेंगे। मैं तो कहता हूं कि ये उनको क्या हटायेंगे ये खुद ही उनके कन्ट्रोल में हैं। जब अप ऐसा कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश की कुर्सी हिल जायेगी। व्यापारियों के बल पर ही आपकी यह सफेद टोपी बरकरार है। मेरा यह खुला चार्ज है कि आपकी टोपी गरीबों के कारण नहीं है बल्कि कानपुर के जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, डालडा मालिक हैं उनके बल पर हैं, आप।

श्री अध्यक्ष--

समाप्त करें भाषण। समय हो गया।

श्री त्रिवेणी सहाय--

अभी जो माननीय चरण सिंह जी ने कहा कि हम विरोधी दल हैं। मान्यवर, इससे क्या हो सकता है। बहुगुणा जी ने एक फुलझड़ी छोड़ दी। यहां से एक आदेश गया है जिलाधिकारियों को कि जो काम विद्यार्थी लेकर आवें उसे तुरन्त किया जाये। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने एक और भस्मासुर पाल लिया है, चाहे वह लखनऊ हो, कानपुर

[श्री त्रिवेणी सहाय]
हो, सहारनपुर हो, गोंडा हो या लखीमपुर खीरी हो लडके लोग एस० पी० की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, पी० ए० सी० वालों की टोपियां उड़ा लेते हैं। अधिकारियों की आज हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ कर सकें, परिणाम यह हो रहा है कि चारों ओर अनुशासनहीनता फैल रही है। आपने न तो गरीबी को हटाया है, न भुखमरी को मिटाया है, न बेरोजगारी को कम किया है लेकिन प्रदेश में अनुशासन को जरूर पनपाया है।

श्री अध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हो चुका है। कृपया आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत देर से आपने लाल बत्ती कर रखी है लेकिन फिर भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन्हें बोलने के लिये आपने कितना समय दे रखा है?

श्री त्रिवेणी सहाय--

श्रीमन्, इनका यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं अपनी बात शीघ्र ही समाप्त कर रहा हूं। हमारी सरकार ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे प्रदेश का भला हो सके। इसलिये मैं प्रस्तुत बजट का घोर विरोध करता हूं।

श्री मोहम्मद असलम (जिला सहारनपुर)--

श्रीमन्, इसके पहले कि मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को बधाई दूं, उनकी बजट स्पीच पर, मैं नेता विरोधी दल, चौधरी चरण सिंह जी को बधाई देता हूं, कि आज जो उनकी बजट पर स्पीच हुई है उनके रवइये में काफी तब्दील नजर आई। पिछली मार्च में जो स्पीच उन्होंने दी थी, उसमें उन्होंने मौजूदा सरकार को बहुत भला बुरा कहा था लेकिन आज की उनकी स्पीच से यह जाहिर हुआ कि उन्हें यह अहसास हो चुका है कि मौजूदा सरकार की जो कारगुजारी है, वह बहुत ठीक है और यह सरकार सूबे की तरक्की की तरफ ले जा रही है।

मैं अपने वित्त मन्त्री जी को इसलिये भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने काफी तफसील के साथ, मान्यवर, जो हमारे सूबे की फलाह व बहबूदी और सूबे को आगे बढ़ाने के लिये जो भी जरूरी चीजें थीं, उन सब को टच किया है। इससे बड़ी खुशी की बात यह भी है कि करीब १८ करोड़ के डैफिसिट के बावजूद भी प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और जो सरकार के मौजूदा साधन हैं, उन्हीं से इस कमी को पूरा करने का हाउस को यकीन दिलाया है। मान्यवर, जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे सूबे में ८० फीसदी जनता खेती करती है। हमारे चौधरी साहब भी कहते हैं कि और हम सब की भी ख्वाहिश है कि टौप प्रायरिटी खेती को ही दी जाय। मुझे यह कहते हुये बड़ी खुशी है कि इस बजट में खेती को ही टौप प्रायरिटी दी गई है क्योंकि खेती से ही हमारे सूबे का लगान की शकल में, आबपाशी की शक्ल में और विकास-कर की शक्ल में बहुत बड़ी आमदनी होती है। और जाहिर है कि यह ऐसा पेशा है कि जिससे सूबे की बहुत आमदनी होती है। मैं यह समझता हूं कि खेती ही हमारा बेस है। हमारी उक्त सादमात का हमारे सूबे के रहने वालों की जो जरूरतें हैं, उन सब का बेस खेती है। मान्यवर, हमारे सूबे में अगर खेती बढ़ती है, तो खेती करने वालों के साथ-साथ और जो हमारे मजदूर हैं या जो अन्य दस्तकार हैं, या और पेशे वाले हैं, उनकी बहबूदी और खुशहाली हमारे किसानों की खुशहाली से बढ़ती है। अगर प्रदेश का किसान खुशहाल होता है तो वे खुद बखुद खुशहाल होते हैं। इस बात को भी मद्देनजर रखते हुये न केवल किसानों बल्कि और लोग जो मजदूर हैं, गरीब हैं, उनकी खुशहाली इस पर मुनहसर है। हमारी सरकार ने खेती की तरफ खास तवज्जह दी है। अब जरूरी हो जाता है कि हम यह सोचें कि इसकी तरक्की के लिये क्या-क्या जरूरी है। मैं दो, तीन चीजें ही जो जरूरी हैं उनका जिक्र करूंगा।

सिंचाई की बात है। यह खुशी की बात है कि पिछले साल पैसे की कमी होते हुये भी हमारा सिंचाई का प्रोग्राम कट नहीं हुआ और सिंचाई का काम आगे बढ़ता गया। अब हमें सूबे का सर्वे करा कर देखना चाहिये कि जहां प्राइवेट ट्यूबवेल नहीं लग सकते अगर काश्तकार लगाना चाहें तो भी, ऐसे इलाकों में जितना भी मुमकिन हो सके सिंचाई के साधन जुटाये जायं। दूसरे किसान को इन्सेन्टिव देने के लिये, क्योंकि उसने इतना पैदा कर के दिखा दिया है, कि दों, तीन साल पहले गल्ला बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं थी, इधर बारिश वगैरह न होने की वजह से कुछ कमी हो गयी, उसकी पैदावार के खर्चे का सही-सही अन्दाजा लगा कर और दिल्ली के प्राइस कमीशन पर ज्यादा न निर्भर कर के सही प्राइस तय करें तो मैं समझता हूं कि गल्ले की कमी को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है।

दूसरी बात रास्ते की है। इसके लिये पी० डब्ल्यू० डी० ने प्राविजन रखा है। ऐसे इलाकों में जहां रास्ते नहीं हैं, जो बैकवर्ड इलाके हैं उन्हीं को प्रायोरिटी देनी चाहिये।

इसके अलावा खेती में गन्ना भी बहुत अहिमियत रखता है किसान के लिये। मुझे खुशी है कि मौजूदा सरकार ने सब से बड़ी बात जो की, जो अभी तक नहीं हुई थी हालांकि हमारे चौधरी साहब भी मुख्य रहे और कांग्रेस में भी रहे, वह यह कि किसानों को गन्ने की कीमत अभी तक एकसा नहीं मिलती थी, किसी मिल में कुछ कीमत होती थी, किसी में कुछ, लेकिन पिछले साल बहुगुणा जी ने यह किया कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा भाव मिले और एकसां मिले। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसके अलावा कुछ ऐसी मिलें हैं जिनमें दो-दो, तीन-तीन साल से किसानों को पैसा नहीं मिला। तो मुख्य मन्त्री जी उनको पैसा दिलाने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर्चे हमारे यहां काफी चीनी मिलें हैं लेकिन कोआपरेटिव मिलें बहुत कम हैं। अगर कोआपरेटिव मिलें ज्याना लगायी जायेंगी जैसी कि सरकार का प्लान भी है उससे हमारा शुगर का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अन्दाजा यह हुआ है कि अगर्चे पूरे देश में चीनी मिलें हैं उनकी एक-तिहाई ही कोआपरेटिव मिलें हैं लेकिन उनका प्रोडक्शन ४० परसेंट है। कोआपरेटिव मिलें ज्यादा लगाने से जो आज किसान के क्शर में दिये जाने वाले गन्ने का भाव रोजाना तय होता है उससे जो उसको परेशानी होती है उससे वह बच जायगा।

अब मैं थोड़ा सा तालीम के बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि तालीम के जरिये से भी खेती का विकास होता है। आज एक पढ़ा लिखा किसान ज्यादा पैदावार ले सकता है बमुकाबले अनपढ़ किसान के। लेकिन सहारनपुर के देहात के इलाकों में अब भी बहुत सी ग्राम सभायें ऐसी हैं जहां एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं हैं। एक तरफ आप कन्याओं के लिये स्कूल खोलते जा रहे हैं, लड़के के लिये भी वहां मौजूद हैं, दूसरी ओर कहीं-कहीं एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं है। प्राइमरी स्कूल हो तो लड़के और लड़की दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। इसलिये एक ग्राम सभा में कम से कम एक प्राइमरी स्कूल जरूर होना चाहिये। तालीम को नेशनालाइज करने की बात भी चल रही है। मैं ऐसा समझता हूं कि माइनारिटी के जो इन्सटीट्यूशन हैं अगर उनको इससे अलग रखा जायेगा तो बहुत बेहतर होगा।

पिछड़े वर्ग के लिये नौकरियों में रिजर्वेशन है, खेती के लिये जमीन आदि भी देने की बात है, लेकिन मुसलिम जमात के लिये मुलाजमत में या अन्य चीजों में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। ऐसा इससे न हो कि एक हिस्सा मुलाजमत में बिलकुल महरूम रह जाय। सरकारी मुलाजमत में इनको हिस्सा मिलना चाहिये।

आम तौर से पहाड़ी इलाकों या पूर्वी पिछड़े हुये इलाकों के लिये सहूलियतें देने की बात की जाती है। मगर सहारनपुर जिले का जो उत्तरी भाग है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, जिसकी नेचर में और देरहरादून की नेचर में कोई अन्तर नहीं है, उस पिछड़े हुये भाग के लिये कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सहारनपुर के उस उत्तरी भाग के लिये भी विकास के काम होने

[श्री मोहम्मद असलम]

चाहिये। उसको भी पिछड़ा हुआ हिस्सा समझना चाहिये क्योंकि वहां पर लोगों के पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। बहुत छोटे-छोटे लोग वहां रहते हैं।

वहां पर भामर का बहुत बड़ा काम होता है। वही भामर मजदूरों को तो ३० रुपये मन के भाव के मिलता है, मगर पेपर मिल को ७-८ रुपये मन से दी जाती है। मजदूरों को भी इसी सस्ते रेट से भाभर दी जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट की ताईद करता हूं।

*श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)—

इस बजट पर ऊपर माननीय चौधरी साहब ने जो कुछ कहा है मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। इस बजट में पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गयी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के १४-१५ जिले ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं। जितनी भी रिपोर्ट्स निकली हैं, सभी ने उनको बहुत पिछड़ा हुआ माना है। पहाड़ों की ओर तो ध्यान दिया जा रहा है, मगर इन इलाकों की ओर नहीं। वहां की प्रति व्यक्ति आय बराबर घटी है। १९५५ में आजमगढ़ जिले के प्रति व्यक्ति औसत आय १९९ रुपये थी, जो १९७०-७१ में घट कर १८१ रुपये रह गयी। बलिया में २२५ से १८७, जौनपुर में १९८ से १८६, बस्ती में १८७ का ११६, प्रतापगढ़ में २०२ का १७८, गोंडा में २४८ का १८९, गाजीपुर में २२४ का १९८ और गोरखपुर में २१५ का १९८ रुपये पर कैपिटा इनकम औसत इन १३ पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में रह गया। इस तरह से इनकी औसत आमदनी १९५६ से अब तक गिर गयी है।

मैं श्री नारायणदत्त तिवारी की और उनकी सरकार का चैलेंज करता हूं, अगर मेरे आंकड़े झूठे हों तो वे जवाब देते समय मेरी बात को काट देंगे। लेकिन यह स्पष्ट है कि एक तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम गिर रही है वहां दूसरी तरफ पिछड़े हुये क्षेत्रों की बात कह कर चूंकि श्री नारायण दत्त तिवारी और श्री बहुगुणा जी पहाड़ी क्षेत्र के ही हैं, वे उसे हेड एक और दो में रख कर सारा धन उसे दे रहे हैं। जो योजना हेड एक और दो में होती है उसे ही केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिलता है लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश को नं० ३ में रखा गया है, इसलिये कि उसे अधिक अनुदान न मिल सके। मेरा कहना यह नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्र की तरक्की न हो लेकिन श्री नारायण दत्त तिवारी पूरे के पूरे बजट में जाल फरेब करके ही पहाड़ी क्षेत्र को अधिक धन दे रहे हैं। इसीलिये १९५६ में जहां अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में प्रति व्यक्ति औसत आय १७६ रुपये थी वह बढ़ कर अब ३३२ हो गयी और टेहरी गढ़वाल में १२९ से २१० हो गयी। मान्यवर, पहाड़ों के अन्दर प्रति व्यक्ति औसत आय ९० प्रतिशत बढ़ी है जब कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में २५ प्रतिशत कम हुई है। जो यह बजट पेश किया गया है उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गयी है। हम चाहते हैं कि रुहेलखंड की भी प्रति व्यक्ति औसत आय बढ़, पूरे उत्तर प्रदेश की बढ़े, लेकिन जिस बेईमानी से सारा धन लूट कर पहाड़ों पर ले जाया जा रहा है वह नहीं होना चाहिये।

इसी तरह से विकास के नाम पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के १५ जिलों को १९६९-७०, १९७०-७१, १९७१-७२ में विकास के नाम पर जो दिया गया है वह भी इस रिपोर्ट में है। ये जिले हैं—इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया जौनपुर, आजमगढ़ देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर और प्रतापगढ। १९६९-७० में जहां पूर्वी प्रदेश के इन जिलों को प्रति व्यक्ति विकास के नाम पर दिया गया वहां पहाड़ी क्षेत्र को २६ रुपया दिया गया। सन् १९७०-७१ में जहां पूर्वी उत्तर-प्रदेश को विकास के नाम पर प्रति व्यक्ति १० रुपया दिया गया वहां पहाड़ी क्षेत्र को २१ रुपया दिया गया। १९७२-७३ में जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों को २१ रुपया दिया गया वहां पहाड़ी क्षेत्र को ५० रुपया दिया गया। १९७३-७४

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों को प्रति व्यक्ति विकास के नाम पर २५ रुपये दिया गया वहां पहाड़ी क्षेत्र में ५२ रुपया दिया गया और १९७४-७५ की रिपोर्ट में न मालूम पूर्वी उत्तर प्रदेश को कितना दिया गया है लेकिन इस साल के लिये स्पष्ट है कि पहाड़ी क्षेत्र को १०५ रुपया विकास के नाम पर प्रति व्यक्ति दिया गया है। इस प्रकार श्री नारायण दत्त तिवारी शासन में होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोग जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, इस प्रश्न को अपनी पार्टी में उठावें।

यह बात तो निश्चित ही है कि पूरे बजट में पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गयी है। इतना ही नहीं सबसे बड़ी गम्भीर बात यह है कि आज प्रदेश के सामने बेकारी की समस्या अलग से है। यह सरकार बेकारी दूर करने के नाम पर छंटनी करने जा रही है। इससे बेकारी मिटेगी नहीं, बल्कि लाखों लोग जो नौकरी में लगे हुये हैं उनको नौकरी से निकाल कर उनको बेकार कर देना है। इस प्रदेश के अन्दर सरकार ने सड़क और पुल आदि के नाम पर न मालूम कितने निगम बना रखे हैं जहां आफिसरों के बैठने के लिये एक-एक कुर्सी ४-४- और ५-५- हजार में खरीदी गयी है। इस सरकार के पास इस तरह की कुर्सियां खरीदने के लिये तो पैसे हैं लेकिन गांवों के लिये पैसा नहीं है।. मैं कहता हूं कि यह बेकारी बढ़ाने वाला बजट है। बजट में किसी निर्माण कार्य की बात नहीं है। लेकिन कुर्सियों खरीदने के लिये सरकार के पास पैसा है। तमाम निगम बनाकर इस प्रदेश को लूटवाने का इरादा इस सरकार का है।

यहां पर कहा जाता है कि आर्थिक संकट है, मैं भी सहमत हूं कि आर्थिक संकट है। मैं मानता हूं, [* * * * * *]

श्री अध्यक्ष--

जहां तक राज्यपाल का सम्बन्ध है, नहीं कहना चाहिये था।

श्री रामअधार--

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट बिल्कुल पक्षपाती तरीके से बनाया गया है। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ पक्षपात किया है। मैं चाहता हूं कि यह बजट कतई न पास हो और चौधरी साहब ने जो कहा मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आपने जो राज्यपाल के बारे में कहा है वह हिस्सा काट दिया जायगा। जहां-जहां राज्यपाल का नाम आपने लिया है वह रिकार्ड में नहीं आयेगा।

श्री रामअधार--

मैं समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष--

आपने ३६ हजार रुपये की बात दावत के बारे में की है। सवाल यह है आप कहते हैं कि गवर्नमेंट ने खर्चा किया राज्यपाल ने तो नहीं ?

श्री राम अधार--

[* * * * * *]

श्री अध्यक्ष--

नहीं, राज्यपाल का जिक्र नहीं आयेगा। अगर सरकार ने खर्च किया है.....

[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, विषय यह है कि ३६ हजार रुपया का बिल बकाया है, रुपया नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष—

सरकार बताये, खर्च किया, लेकिन यह आप नहीं कह सकते हैं कि राज्यपाल ने खर्च किया। जहां-जहां पर राज्यपाल का जिक्र आया है, वह काट दिया जायगा।

श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

मान्यवर, आपने जो बोलने के लिये समय दिया उसके लिये मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज माननीय विरोधी दल के नेता का भाषण बड़े ध्यान से सुना रहा था। जो भाषण उन्होंने ३ घंटे दिया है उसका सारांश कुछ भी नहीं मिला। इसके अलावा न तो विरोधी दल के नेता ने कोई सालिड सुझाव ही दिये हैं- मैं तो समझता था कि वह कोई सुझाव देंगे जिससे समस्या का हल निकलेगा मगर उन्होंने केवल यह कहा कि यह बजट अच्छा नहीं है, पेचीदा है। और यह भी कहा कि सरकार ने कृषि के बारे में विशेष ध्यान नहीं दिया है।

पर अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो बजट है उसम ४११.६६ करोड़ रुपये का प्राविधान कृषि के लिये किया गया है। उसमें कृषि व सिंचाई और बिजली के लिये ३०२.८० करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। मैं कहना चाहता हूं प्रथम पंचवर्षीय योजना, दितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अगर सब योजनाओं की एनालिसिस की जाय तो मालूम होता है कि सबसे ज्यादा पैसा कृषि के विकास के लिये रखा गया है। मान्यवर, मेरा कहना है कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कृषि के विकास के लिये सबसे पहले ध्यान दिया है। क्योंकि हमारे प्रदेश की सबसे ज्यादा जनता कृषि पर ही निर्भर है। हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा आय का साधन कृषि ही है, इसी से हमारी गुजर बसर होती है, और उत्थान भी होता है। इसीलिये माननीय वित्त मन्त्री जी ने कृषि को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा सिंचाई और बिजली को आगे बढ़ाने का प्रशंसनीय कार्य किया है।

मान्यवर, सबसे मुख्य बात जो माननीय वित्त मन्त्री ने की है वह है युवक आयोग का गठन। आज तक हमारे युवकों के लिये ऐसा प्राविधान नहीं किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष मुख्य मन्त्री जी होंगे। मान्यवर, इससे उनको स्पोर्ट्स की सुविधा होगी और अन्य सुविधायें भी होंगी। मान्यवर, इस तरह से हमारे नौजवान खेलों में दिलचस्पी लेकर देश के भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये लोक आयुक्त की नियुक्ति की गयी है। माननीय बहुगुणा जी ने यह बड़ी हिम्मत का काम किया है। यदि कोई भ्रष्टाचार की शिकायत करता है तो उसकी इन्क्वायरी लोक आयुक्त के द्वारा होगी। इसलिये मन्त्री, या अधिकारी या जो भी पब्लिक सर्विसेज में काम करते हैं यदि उनके खिलाफ कोई शिकायत है तो उसकी इन्क्वायरी लोक आयुक्त करेंगे। इस सम्बन्ध में एक उप लोक आयुक्त की भी नियुक्ति की जायेगी ताकि जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं उसकी जांच हो सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा क्रान्तिकारी कदम हमारे वित्तमन्त्री जी ने यह उठाया है कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कल्याण हेतु एक निगम बनाने के लिये कहा है। अभी तक जनजाति को आरक्षण दिया जाता है, उनको भूमि दिलाई जाती है, उनके बच्चों को वजीफा दिया जाता है लेकिन अब उनके आर्थिक कल्याण के लिये निगम बनाने की व्यवस्था

की है। नगर में जो नागर भूमिहीन हैं उनको मकान बनाने के लिये जमीन की व्यवस्था का प्राविधान किया है। इसलिये आज का बजट एक क्रान्तिकारी और आगे बढ़ाने वाला है। इस प्रदेश की उन्नति के लिये है।

माननीय श्री रामअधार जी का भाषण सुनकर मुझे ब ा दुख है। हम चाहे पहाड़ के रहने वाले हों, पूर्वी क्षेत्र के हों या पश्चिमी क्षेत्र के परन्तु हम एक प्रदेश और एक देश के रहने वाले हैं। मै समझता हूं कि गत वर्ष भी रामअधार जी ने पर्वतीय क्षेत्र के बारे में अधिक ध्यान देने की बाबत कहा था इसलिये उनको कुछ गलतफहमी हो गयी है। वह समझते हैं कि शायद पहाड़ में सड़कें ज्यादा हैं या वहां विकास ज्यादा हो गया है या उद्योग धन्धे ज्यादा हो गये। तो मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि इस हिन्दुस्तान का जो अन्तिम छोर पिथौरागढ़ जिला है मैं वहां से चुनकर आता हूं। वह क्षेत्र ३०० मील का लम्बा है। पहाड़ में अभी १/१० गांवों में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, कहीं महिलायें ३-४ मील से पानी लाती हैं। मैं रामआधार जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के आंकड़े लिये जायं, आबादी के आंकड़े लिये जायं, हमारी कान्स्टीट्युन्सी में अभी भी कोई डिग्री कालेज नहीं है। हमारे यहां लघु कृषक हैं पर इसकी योजना कोई नहीं है। हमारे यहां जमीन कम है। करीब एक नाली से भी कम एक आदमी के पास जमीन है। उसकी पैदावार से वह २ महीने केवल गुजर कर सकता है। इस मैदान के बहुत से जिलों को कैपिटल सब्सीडी केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है ताकि उद्योगों को बढ़ाया जाय लेकिन हमारे यहां उस परसेन्टेज से सब्सीडी नहीं दी जाती है। पिथौरागढ़ जिले में भूमि विकास बैंक की व्यवस्था नहीं है। श्री रामअधार जी कहते हैं कि पहाड़ में पर कैपिटा इन्कम बढ़ गयी है और सड़कें बढ़ गयी हैं। तो मैं कह देना चाहता हूं कि हमारे यहां कोई भी उद्योग नहीं है।

लघु उद्योग के नाम पर किसी को कुछ जानकारी नहीं है। लोग बरसात में गांव से १०० मील चलकर पिथौरागढ़ के मुख्यालय के कार्यालय में आते हैं। वहां कोई टूरिस्ट की योजना नहीं है। उन्होंने पिथौरागढ़ जिले को न देखा है और न उसके इतिहास को ही देखा है। वहां के विकास का भी अध्ययन उन्होंने नहीं किया है। इस प्रकार बिना देखे ही वह यहां विधान सभा में सब कह जाते हैं। यह सुनकर मुझे बड़ा दुख होता है। वहां लोग ब ा दुखी हैं क्योंकि उनको खाने की व्यवस्था नहीं है। आने-जाने में कभी गाड़ियों मिलना मुश्किल है। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है कि हमारे वहां की व्यवस्था को कैसे सुलझायी जाय। इसलिये प्राथमिकता के तौर पर वहां उनको पानी पीने की व्यवस्था की जाय और ६ वर्ष तक के सभी बच्चों को पढ़ने के लिये प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था कर दी जाय। यह कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है, कोई बदले का सवाल नहीं है, कोई राजनीतिक द्वेष का सवाल नहीं है बल्कि विपक्ष और सरकारी पक्ष को गम्भीरतापूर्वक सोचना है कि जो सीमा पर रहने वाले हैं उनकी शिक्षा का क्या प्रबन्ध करना है, उनके लिये सड़कों का कैसे प्रबन्ध करना है। हम तो बहुगुणाजी को धन्यावाद देते हैं कि उन्होंने हमारे आर्थिक उत्थान के लिये बहुत सारे कदम उठाये हैं। दिल्ली में जाकर और वहां से रुपया लाकर हमारे यहां सड़कें बनाने की कोशिश की है। पानी की जो दिक्कत थी उसके लिये भी एक-एक जिले को कुछ पेयजल योजनायें दी हैं इससे वहां की जनता का मनोबल बढ़ा है और यह समझते हैं कि जिनके हाथ में सत्ता है वह हमारा ख्याल करते हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

*श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस बजट पर बहस हो रही है, इसमें कहा गया है कि बजट के अन्दर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। मान्यवर, आज से तीन महीने पूर्व

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वेद प्रकाश अग्रवाल]

इसी विधान सभा ने उत्तर प्रदेश की ९ या १० करोड़ जनता पर ९५ करोड़ का टैक्स लगाया और आज वह टैक्स बढ़कर ३१९ करोड़ हो गया है। यदि हम इसको देखें तो वर्ष १९७४ के अन्दर जो सवा सौ करोड़ टैक्स लगाया गया तो वह फी व्यक्ति एक रुपया फी माह पड़ता है। यह जो कहा जाता है कि टैक्स नहीं लगाया गया तो यह कहना कितना गलत है। एक व्यक्ति जिसकी आमदनी १९ पैसा है तीन सवा तीन पैसा प्रति दिन टैक्स का देना पड़ता है। इसलिये यह कहना कि टैक्स नहीं लगाया गया तो ऐसी ही बात है जैसे चिराग के नीचे अंधेरा। मान्यवर, बहुत डींग हांकी गयी कि व्यापारियों को रिलीफ दिया गया। एक व्यापारी होने के नाते मैंने इसको देखा और पढ़ा तो यह पाया कि कोई रिलीफ उनको नहीं मिली बल्कि जिन चीजों पर टैक्स कम था उन पर तीन से सात प्रतिशत तक टैक्स बढ़ गया है और यह ऐसी वस्तुयें हैं जो जीवन के लिये आवश्यक हैं जैसे कि दवायें। दवाओं के मूल्य बढ़ गये। इसी तरह से मान्यवर, जब हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि किसान अपने ट्यूबवेल्स को कटवा रहे हैं क्योंकि अब वर्ष में १८०० रुपये देने की बात है और वह इस स्थिति में नहीं हैं कि १८०० रुपया दे सकें। मान्यवर, सरकार ने यह तो कहा कि १८०० रुपया किसान से लेंगे लेकिन यह नहीं कहा कि कितने घंटे बिजली देंगे। आज स्थिति यह है कि दो, तीन, चार घंटे बिजली दी जाती है। फैजाबाद की स्थिति यह है कि नगर में रात में रोज बिजली गायब रहती है।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, आप यह भी देख लें कि मन्त्री जी बातें कर रहे हैं।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

मैं कह रहा था कि पूर्वी जिलों की उपेक्षा की गयी है। फैजाबाद मन्डल गोरखपुर मन्डल, वाराणसी मन्डल के लिये उसमें कोई चीज नहीं है। फैजाबाद ९० मील लम्बा जिला है। २० लाख की आबादी है। यहां के लिये एक पैसा भी नहीं दिया गया। फैजाबाद तहसील में बबुआपुर गांव है। वहां पर किसानों के लिये पानी के पीने की कोई व्यवस्था नहीं। वह गांव काफी ऊंचाई के ऊपर है। जिले में ट्यूबवेल्स की व्यवस्था नहीं। सड़कों की दुर्दशा है। प्राइमरी स्कूल नहीं। पेड़ों के नीचे जमीन पर बच्चे, पढ़ते हैं। उस जिले के लिये बजट में एक पैसा नहीं। न सड़कों की व्यवस्था, न मिलें खोलने की व्यवस्था, न रोजगार की व्यवस्था। पूर्वी जिलों में, मान्यवर, आज भी खाद्य की स्थिति विषम है, अनाज नहीं है। फैजाबाद जिले में राशन का कोटा चावल का २४० टन से घटाकर १६८ टन कर दिया गया। राशन की दूकानों पर चावल और गेहूं की कटौती कर दी गयी है।

जिले में सारे रास्ते बेकार पड़े हैं। बसों की व्यवस्था नहीं है। सारा जिला भुखमरी से पीड़ित है। पैदावार के विषय में कहना है कि चावल में ८५ प्रतिशत लेवी ली जाती है पूर्वी जिलों के लिये लेवी ५० प्रतिशत है, लेकिन फैजाबाद के लिये यह ८५ प्रतिशत कर दी गयी है। और बातों में तो फैजाबाद को छोड़ दिया गया है, लेकिन लेवी के मामले में नहीं छोड़ा गया इसके लिये राज्यपाल वगैरह के स्तर से भी लेवी को कम करने का प्रयास किया गया, लेकन कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

फैजाबाद जिले में अयोध्या तीर्थस्थल है, जहां लगभग ३० लाख यात्री स्नान और दर्शन के लिये आते हैं। अनेको बार कहा गया कि अयोध्या के मेले का प्रान्तीयकरण कर दिया जाय, लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। हजारों लोग वहां हर साल बीमारी और पानी की अव्यवस्था के कारण मर जाते हैं। न पानी, न शौचालय न बीमारी से बचने की व्यवस्था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि अयोध्या तीर्थस्थल के लिये बजट में प्राविधान किया जाय और अयोध्या मेले का प्रान्तीयकरण किया जाय।

मान्यवर, वहां घाट और पुल के बीच गन्दगी का अड्डा बन गया है । अयोध्या विकास के लिये, सारे हिन्दुस्तान में उसकी मान मर्यादा को बढ़ाने के लिये, बजट में कोई प्राविधान नहीं, जिसके लिये मेरा बार-बार मन्त्री जी से आपके माध्यम के निवेदन है कि इसका प्राविधान किया जाय ।

एक बात और कहना चाहता हूं । शारदा कैनाल, जो पूर्वी जिलों के लिये निकाली जा रही थी, वह बहराइच से रायबरेली लायी जा रही है और इसके लिये लाखों और करोड़ों रुपये खर्च किया जा रहा है, केवल रायबरेली लाये जाने के लिये । अब गोंडा के लोगों को उसमें से पानी प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं है ? रायबरेली इसलिये लायी जा रही है, क्योंकि वह इन्दिरा गांधी का निर्वाचन क्षेत्र है ।

आज मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि पूर्वी इलाकों के लिये सारे बजट को उठाकर देखें, तो एक पैसे खर्च करने की व्यवस्था नहीं है, जहां कि अधिक के अधिक संख्या में लोग गरीबी, भुखमरी और बेकारी से परेशान हैं । न सड़कों की व्यवस्था न ट्यूबवेल्स की, न सिंचाई के साधन, न प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था । कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद में खोला गया है, लेकिन कोई प्रगति नहीं । कृषि विश्वविद्यालय में कोई आगे कदम नहीं दिखाई देता। दूध की डेरी की योजना थी, लेकिन कोई प्रगति नहीं । ९० मील लम्बे फैजाबाद में एक भी इन्डस्ट्री की बात बजट में नहीं । फैजाबाद और बीकापुर तहसील के आदमी कलकत्ता, बम्बई और और दूसरे शहरों में जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन फैजाबाद के अन्दर. उनके जीवकोपार्जन के लिये एक पैसा का प्राविधान इस बजट में नहीं किया, मन्त्री जी ने । आज फैजाबाद जिले की ऐसी स्थिति बनती जा रही है जिसके कारण वहां क्षोभ बढ़ता जा रहा है और उसके विकास में रोड़े अटकाये जा रहे हैं । मेरा अनुरोध है कि पूर्वी जिले, विशेषकर फैजाबाद, गोंडा, बस्ती तथा बहराइच पिछड़े हुए इलाके हैं । उनके विकास के लिये इस बजट में प्राविधान किया जाय । इतना कह कर मैं अपना बजट भाषण समाप्त करता हूं और बजट का विरोध करता हूं ।

*श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं इस बजट का विरोध करता हूं । हालत यह है कि इस बजट के अन्दर बुन्देलखंड के लिये कोई प्राविधान नहीं है । चाहे उद्योग को लीजिये, चाहे सड़कों, परिवहन को लीजिये । किसी भी चीज को लीजिये तो ऐसा मालूम होगा कि सरकार के सामने बुन्देलखंड नाम का जिला है ही नहीं । बुन्देलखंड क्षेत्र के जितने विधायक हैं मेरा उनसे अनुरोध है कि वे बुन्देलखंड की समस्याओं को लेकर इस बजट का विरोध करें । पहाड़ों के लिये सरकार ने ६१ करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट स्वीकार किये हैं लेकिन बुन्देलखंड के लिये ऐसा कोई प्राविधान नहीं किया गया है । बांदा जिला अत्यन्त गरीब तथा पिछड़ा हुआ है। वहां पर आदिवासी रहते हैं जिनकी संख्या ७५ हजार है । उनकी बेटियां नंगी घूमती हैं और रोज अखबारों में पढ़ते होंगे कि वहां लड़कियों का अपहरण होता है जो आदिवासी तथा हरिजन होती हैं लेकिन यह सरकार मौन रहती है । उस जनपद में बड़ा जुल्म, अनाचार तथा अत्याचार है । उसके लिये सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है ।

सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि वहां पर काफी खनिज पदार्थ हैं, वन सम्पदा है लेकिन किसी भी उद्योग की स्थापना वहां पर सरकार ने नहीं की है । बांदा को छोड़ दीजिये, आप झांसी, जालौन, हमीरपुर और ललितपुर को ले लीजिये तो आप देखेंगे कि उद्योग के नाम पर वहां कोई विकास नहीं हुआ है । पहाड़ों में तीन उच्चतर डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोले गये हैं लेकिन बुन्देलखंड के इन चारों जिलों में बावजूद कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जमुना प्रसाद बोस]

कि जनता की ओर से रुपया इकट्ठा किया गया कोई भी डिग्री कालेज खोलने के लिये सरकार ने मान्यता प्रदान नहीं की। सरकार ने यह माना है कि बांदा क्षेत्र सूखा क्षेत्र है लेकिन दूसरी ओर वहां लेवी लगाने की तैयारी है। एक ओर डालडा, साबुन के दाम बढ़ने से सरकार रोक नहीं पाती है लेकिन दूसरी ओर किसान का गेहूं जो १८५ रुपये कुन्टल पर बिकता है उसे १०५ रुपये कुन्टल पर सरकार लेने का इरादा रखती है। किसान जो अंग्रेजी शासन काल में गरीब था और जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी आज इस सरकार को कौन सी चीज दिखाई दे रही है जिससे उसी किसान के १८५ रुपये कुन्टल के गेहूं को वह १०५ रुपये कुन्टल में लेने जा रही है? मेरे पास एक किताब है, "जापान शोज दि वे"। इसमें लिखा है कि वहां पर हर सवा दो व्यक्तियों के पीछे एक कार है। वहां पर कोई किसान ऐसा नहीं है जिसके पास टेलीवीजन न हो। हम इस देश में इसका स्वप्न तक नहीं देख सकते हैं। यहां पर कार तो छोड़ दीजिये साइकिल भी किसान के पास नहीं है, पैरों में जूता तक नहीं है और ऊपर से लेवी के ऊपर लेवी लगाते जा रहे हैं। जब कि १८० रुपये का भाव हो और १०५ रुपये में देते हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से और खासतौर से माननीय खाद्य मन्त्री जी से चाहूंगा कि वे देखें कि आज जनता में कितना रोष, कितना गुस्सा व्याप्त है। आप वहां कार से जायं, हैलीकाप्टर से जायं और देखें कि बांदा जनपद की लाखों जनता आपकी लेवी के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। १५ तारीख को वहां पर इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, आगमी २२ तारीख को पूरे जनपद में प्रशासन के कार्य को बन्द करने जा रही है वहां की जनता.....

श्री अध्यक्ष—

आपको तीन मिनट और चाहिये। मैं ७ मिनट का समय और बढ़ाये देता हूं।

श्री जमुना प्रसाद बोस—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जिस प्रदेश के मुख्य मन्त्री विधायकों से झूठ बोलते हों, उस प्रदेश का प्रशासन कैसे ठीक चल सकता है और कैसे उसकी कल्पना की जा सकती है। बांदा की जनता मुख्य मन्त्री जी से मिली थी जब कि वहां के किसानों से गल्ले की वसूली हो रही थी। ऐसी हालत में उन्होंने वहां पर कहा था कि रोक दी जायेगी और मैं अभी वायरलेस करता हूं लेकिन वायरलेस करना तो रहा दूर, तार तक नहीं भेजा, तार तो रहा दूर एक पोस्ट कार्ड भी नहीं भेजा। फिर वहां की जनता मुख्य मन्त्री से मिली उन्होंने अपने पी० ए० से कहा कि मैं अभी वायरलेस करता हूं किन्तु कुछ नहीं किया गया और वसूली हुई। इस प्रकार मुख्य मन्त्री जब विधायकों को धोखा दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं तो प्रदेश कहां जायेगा। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बुन्देलखंड पिछड़ा हुआ एरिया आप मानते हैं, पूर्वी जिलों को पिछड़ा हुआ मानते हैं, पहाड़ों को पिछड़ा हुआ मानते हैं तो इसके साथ क्यों अलग सा व्यवहार कर रहे हैं। मैंने देखा कि बजट में पहाड़ों के लिये कितनी ही स्कीमें बनाई गई हैं। बांदा के लिये कोई स्कीम नहीं है। वहां पर हरिजनों की समस्या है वह जिला हरिजनों का ही जिला है। वहां पर हमेशा हरिजनों की समस्या खड़ी रहती है। वहां पर एक भी हरिजन छात्रावास खोलने की व्यवस्था नहीं की गई है। पहाड़ में ३१ लाख रुपये की लागत से हरिजन छात्रावास खोला जा रहा है। मुझे पहाड़ों से कोई विरोध नहीं है, वहां पर आप बना सकते हैं, पश्चिमी आंचल में बना सकते हैं, दक्षिणी आंचल में बना सकते हैं तो पूर्वी आंचल में क्यों नहीं व्यवस्था हो पाती है। लखनऊ में लैंडलेस हरिजन के लिये योजना बनाई जा रही है लेकिन जो क्षेत्र (बांदा) डिजर्व करता है, वहां पर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जाय। अतः मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसकी व्यवस्था वहां पर करें।

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जो राष्ट्रीयकरण की बात करती है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी चीज उसे ऐसा

करने से रोकती है। आप मिलों का राष्ट्रीयकरण भले ही न करें आप बड़े-बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भले ही न करें लेकिन इन शिक्षा संस्थाओं का जिन पर सरकार शतप्रतिशत व्यय करती है और जिनको १० परसेंट पैसा बच्चे फीस के रूप में देते हैं और मैनेजमेंट कमेटी एक पैसा भी अपनी जेब से खर्च नहीं करती है और महन्त बन कर बैठी रहती है उनका क्यों नहीं राष्ट्रीयकरण करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री जमुना प्रसाद बोस--

तो इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं और अपने बुन्देलखंड विधायकों से अनुरोध करता हूं कि वह भी इसका विरोध करें।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज जो नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं आई हैं उसमें प्रतापगढ़ में कत्ल, राहजनी, चोरी तथा डकैती की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के बारे में माननीय सत्य प्रकाश मालवीय बार-बार कह रहे हैं इसलिये केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

दूसरा श्री गिरिजा शंकर पाठक, श्री बलदेव प्रसाद, श्री राम रति विंद, ग्राम गरिला, थाना चकिया, जिला वाराणसी के एक परिवार के पांच सदस्यों की ग्राम रघुनाथपुर के श्री संकटा पांडेय आदि चार बंदूक धारियों द्वारा तथा कथित हत्या के बारे में है। ठीक है इसको भी केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार करते हैं।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

मान्यवर, मैंने कल भी दिया था और आज भी, लेकिन उसका जिक्र नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

सुनिये। श्री राम नाथ बाबा, श्री पुरुषोत्तम कौशिक और श्री सत्यपाल सिंह यादव ने ओलावृष्टि के बारे में दिया है तो इसके बारे में सरकार को एक वक्तव्य देना है, उसमें जोड़ दिया जायेगा।

जहां तक और सवाल है वह आप बजट में बोलेंगे उस वक्त अवसर मिलेगा। सामान्य चर्चा में आप उसे उठा सकते हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, यह जरूरी है सरकार जांच के आदेश दे।

श्री अध्यक्ष--

आप इसको बजट पर सामान्य चर्चा के समय ले सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, जो श्री सत्यप्रकाश जी ने दिया है वह बड़ा महत्व का है जिसमें चार लाख रुपये का गोलमाल है। टेंडर आदि में गड़बड़ी की बातें हैं। पार्लियामेंट के चुनाव के बारे में फार्म आदि छापने के लिये कोटेशन में गोलमाल हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

तो आप वक्तव्य के लिये चाहते हैं। ठीक है माननीय त्रिपाठी जी कह रहे हैं। केवल वक्तव्य के लिए श्री सत्यप्रकाश जी का स्वीकार करते हैं।

अब हम उठते हैं, सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ७ मिनट पर सोमवार, १७ मार्च, १९७५ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१४ मार्च, १९७५।

विधान सभा प्रदेश उ०प्र०

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ. २२ पर)

क्रम-सं०	नाम बाकीदार तथा पता	मद	धनराशि (रु० में)	दिनांक जब से बकाया है	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
१	श्री राम राज शुक्ला पुत्र श्री पति शुक्ला, साकिन बैइलियां ।	जंगल कर	९,३००.००	१८-७-७२	सब प्रकार के उत्पीड़क प्रसरों के बाद अब अचल सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही की जा रही है ।
२	श्रीराम पाण्डेय पुत्र श्री राम मन्जूर पाण्डे, साकिन सुरजापुर ।	,,	८,११३.३९	,,	बाकीदार के विरुद्ध १०-२-७५ को वारन्ट गिरफ्तारी जारी की गई है।
३	श्री करुणाकर नायर पुत्र श्री शंकर नायर, ग्राम लिदहना ग्रन्ट ।	मालगुजारी तकावी १९	३,००५.३४ ५,०००.००	१९५८ से १०-१-६२	बाकीदार फैजाबाद एवं लखनऊ में रहता है । उसकी विवादग्रस्त भूमि जंगल विभाग के कब्जे में है । बाकीदार एवं जंगल विभाग के बीच विवाद उच्च न्यायालय में चल रहा है जिसके निर्णय के बाद ही वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।
४	श्री मेसर्स नारंग इण्डस्ट्रीज, नवाबगंज	बिक्री कर	९७,४५६.६२	१०-२-७५	वसूली मांग पत्र फरवरी, १९७५ में प्राप्त हुआ है । बाकीदार के विरुद्ध वारण्ट कुर्की दिनांक १२-२-७५ को जारी की गई है ।
५	,, ,,	,,	२,२०,७९९.४६	,,	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	नाम बाकीदार तथा पता	मद	धनराशि (रु० में)	दिनांक जब से बकाया है	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
६	श्री छोटे लाल पुत्र राम गुलाम, ग्राम परसापुर महडोर ।	जंगल कर	५,९८०.००	३–९–७४	इस वसूली का सम्बन्ध बस्ती जिले से है । इस जिले में श्री छोटे लाल की कोई जायदाद नहीं है । इसलिये वसूली मांग पत्र वन विभाग को ११–२–७५ को वापस किया गया ।
७	श्री जगन्नाथ पुत्र श्री नीवर सिंह, ग्राम ब्योली ।	तकावी जी० एम० एफ०	५,०००.००	५–२–७५	मांग पत्र विभिन्न ब्लाकों से माह फरवरी में प्राप्त हुए हैं वसूली की कार्यवाही प्रगति पर हैं बाकीदार के विरुद्ध वारण्ट गिरफ्तारी दिनांक ८–२–७५ को जारी की गई है ।
८	श्री महादेव पुत्र श्री बद्री, ग्राम रामपुर खरहटा ।	तकावी जी० एम० एफ०	५,०००.००	५–२–७५	मांग पत्र विभिन्न ब्लाकों से माह फरवरी में प्राप्त हुए हैं वसूली की कार्यवाही प्रगति पर है । बाकीदार के विरुद्ध वारण्ट गिरफ्तारी दिनांक ८–२–७५ को जारी की गई है ।
९	श्री शीतला प्रसाद आदि पुत्रगण श्री बन्धु सिंह, ग्राम उमीरी धगमगंज ।	,,	५,१०९.००	,,	,, ,, ,,
१०	श्री दुर्गा प्रसाद सिंह पुत्र श्री रघुपाल सिंह, ग्राम बलमरिया ।	,,	५,०००.००	,,	,, ,, ,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

११	श्री जगप्रसाद आदि पुत्रगण श्री उत्तरीदीन ग्राम बरौली ।	,,	५,१२३.००	,,	,,	,,	,,
१२	श्री मुन्ना सिंह पुत्र मानिक सिंह ग्राम आदमपुर ।	,,	५,०००.००	,,	,,	,,	,,
१३	श्री शैषदत्त पुत्र धर्मराज, ग्राम शीशी	,,	६,०२५.००	,,	,,	,,	,,
१४	श्री देव नारायण पुत्र प्रमात्मादीन, ग्राम धनईपट्टी ।	,,	५,१०९.००	,,	,,	,,	,,
१५	श्री श्याम नन्द पुत्र राम अनोसे, ग्राम नकहरा ।	,,	५,०००.००	,,	,,		,,
१६	श्रीमती बंशराज कुंवरि बेबा जोधा सिंह, कन्जमऊ ।	,,	५,०७०.००	,,	,,		,,
१७	श्री अयोध्या पुत्र पराग, ग्राम दूदा	,,	५,४२१.००	,,	,,	,,	,,
१८	श्री कालिका प्रसाद पुत्र श्री भुलई, ग्राम बलमत्थर ।	,,	५,०००.००	,,	,,	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये पीछे पृष्ठ २९ पर)

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, १९७४

(जैसा उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, १९७३ का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १९, १९७३ की धारा २ का संशोधन

२--उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, १९७३, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में--

(१) खण्ड (क) में, शब्द "जिसमें सिंचाई के स्रोतों का विकास करना, फसलों को उगाना तथा उनकी कटाई करना भी सम्मिलिति है" के स्थान पर कोष्ठक तथा शब्द "(जिसके अन्तर्गत सिंचाई के स्रोतों का विकास करना भी है), फसलों को उगाना तथा उनकी कटाई करना" रख दिये जायें ;

(२) खण्ड (ग) में, उप-खण्ड (५) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :--

"(५) कोई वित्त पोषक बैंक या केन्द्रीय बैंक (जैसा कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ में परिभाषित है) जो भूमि विकास बैंक न हो ; "

(३) खण्ड (ङ) में, शब्द "स्वीकृत" के स्थान पर शब्द "चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व या पश्चात् स्वीकृत" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें ।

धारा ३ का प्रतिस्थापन

३--मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :--

"३--राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किये जायें, समस्त भूमिधरों, सीरदारों, असामियों और सरकारी पट्टेदारों को उनके खाते के अधीन धृत भूमि का अथवा उक्त भूमि में उनके किसी हित का, जिसके अन्तर्गत ऐसी भूमि या हित पर कोई प्रभाव सृजित करने अथवा उसे बन्धक रखने का अधिकार भी है, सामान्यतया बैंकों या किन्हीं निर्दिष्ट वर्ग के बैंकों के पक्ष में, ऐसे बैंकों से वित्तीय सहायता लेने के प्रयोजनार्थ, संक्रमण करने का अधिकार निहित कर सकती है, और ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने पर, ऐसे भूमिधर, सीरदार, असामी और सरकारी पट्टेदार को, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी संविदा, अनुदान अथवा अन्य संलेख में इसके प्रतिकूल किसी बात के, या किसी रूढ़ि या परम्परा के होते हुए भी, अधिसूचना की शर्तों के अनुसार संक्रमण करने का अधिकार होगा।"

४—मूल अधिनियम की धारा ४ में—

धारा ४ का संशोधन

(क) उपधारा (१) में, शब्द " जिस पर तथा जिससे फसल उगाई जाय" के स्थान पर शब्द " जिस पर तथा जिससे फसल या उपज उगाई जाय" रख दिये जायें ;

(ख) उपधारा (२) में, शब्द तथा अंक " की धारा ३९" निकाल दिये जायं।

५—मूल अधिनियम की धारा ५ निकाल दी जाय।

धारा ५ का निकाला जाना

६—मूल अधिनियम की धारा ६, में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

धारा ६ का संशोधन

"(१) कोई कृषक जो ऐसी भूमि अथवा किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति पर, जो उसके स्वामित्व में हो अथवा जिसमें उसका कोई हित हो, प्रभार सृजित करके किसी बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो, अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में या परिस्थितियों के अनुसार लगभग उसी प्रकार के प्रपत्र में यथाविधि स्टाम्पित पत्र पर यह घोषणा कर सकता है कि इसके द्वारा वह, यथास्थिति, ऐसी भूमि, अथवा उसमें अपने हित अथवा अन्य स्थावर सम्पत्ति पर, बैंक के पक्ष में प्रभार सृजित करता है।"

७—मूल अधिनियम के अध्याय २ में, धारा ६ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

नयी धारा ६—क का बढ़ाया जाना

चकबन्दी क्रियाओं के दौरान आवंटित भूमि के प्रभार या बंधक का अन्तरण

"६—क—जहां किसी कृषक द्वारा धृत कोई भूमि कृषक द्वारा बैंक के पक्ष में सृजित प्रभार या बन्धक के अधीन हो और उक्त भूमि में कृषक का अधिकार, हक तथा हित, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ के अध्याय ४ के अधीन अन्तिम चकबन्दी योजना के लागू किये जाने के फलस्वरूप समाप्त हो गया हो, तो ऐसा प्रभार या बन्धक कृषक को आवंटित तत्सम भूमि को और उक्त योजना के अधीन देय प्रतिकर, यदि कोई हों, को अन्तरित और उससे बद्ध, हो जायेगा।"

८—मूल अधिनियम की धारा ७ में, शब्द तथा अंक " उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ की धारा ३९ अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, १९६४ की धारा २२ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी", के स्थान पर शब्द तथा अंक " उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि—विकास बैंक अधिनियम, १९६४ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी" रख दिय जायें।

धारा ७ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा ९ में—

धारा ९ का संशोधन

(क) उपधारा (१) में, शब्द " तदर्थ हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत हो" के पश्चात् शब्द " विहित रजिस्ट्रीकरण फीस सहित" रख दिये जायें;

(ख) उपधारा (२) और (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें, अर्थात् :—

"(२) उप–रजिस्ट्रार, उपधारा (१) में अभिदिष्ट लेख्य की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर, यथाशक्यशीघ्र, तथा यह अभिनिश्चित करने के पश्चात् कि उक्त लेख्य यथाविधि स्टाम्पित किया गया है, उसे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ की धारा ५१ के अधीन विहित बुक संख्या १ में लगा देगा।

(३) जहां उप रजिस्ट्रार की यह राय हो कि उक्त लेख्य यथाविधि स्टाम्पित नहीं किया गया है अथवा उसमें आकस्मिक भूल या लोप से उद्भूत होने वाली कोई त्रुटि है तो वह लेख्य की प्रतिलिपि को बैंक के पास यह अपेक्षा करते हुए वापस कर देगा कि बैंक तीन दिन अथवा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जिसे उप–रजिस्ट्रार तदर्थ अनुज्ञात करे, मूल प्रति के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क की कमी को पूरा करा दे अथवा त्रुटि को दूर करा दे।

(३–क) इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ में किसी बात के होते हुए भी, बैंक कमी को पूरा करायेगा या त्रुटि को दूर करायेगा।"

(ग) उपधारा (४) में शब्द "स्टाम्प की कमी पूरित होने" के पश्चात् शब्द "या त्रुटि दूर किये जाने, जैसी भी दशा हो", रख दिये जायें।

नयी धारा ९–क और ९–ख का बढ़ाया जाना

१०—मूल अधिनियम की धारा ९ के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात् :—

अधिकार अभिलेख में प्रभार या बन्धक को दर्ज करना

"९–क—जहां प्रभार सृजित करने, फेरफार करने या बन्धक रखने की लेख्य की प्रतिलिपि धारा ९ के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये भेजी गई हो तो बैंक तहसीलदार या ऐसे अन्य पदाधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किया जाय, ऐसे प्रभार, फेरफार या बन्धक की विशिष्टियों की सूचना दे सकेगा। वह तहसीलदार या अन्य पदाधिकारी प्रभार, फेरफार या बंधक की विशिष्टियों को उस भूमि से जिसके सम्बन्ध में ऐसा प्रभार सृजित किया गया हो या बन्धक रखा गया हो या फेरफार किया गया हो, सम्बन्धित अधिकार–अभिलेख में दर्ज करेगा।

उन्मोचन प्रमाण-पत्रों का रजिस्ट्रीकरण

९–ख—जहां किसी भूमि या उसमें हित अथवा अन्य स्थावर सम्पत्ति पर प्रभार या उसके बन्धक के सम्बन्ध में किसी घोषणा या फेरफार का धारा ९ के अनुसार रजिस्ट्रीकरण किया गया हो और उसके द्वारा प्रतिभूति वित्तीय सहायता की धनराशि का भुगतान बैंक को कर दिया गया हो अथवा ऋण को अन्य प्रकार से उन्मोचित कर दिया गया हो, तो बैंक इस आशय का एक प्रमाण–पत्र जारी करेगा और उक्त धारा के उपबन्ध ऐसे प्रमाण–पत्र के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में, आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।"

११—मूल अधिनियम के अध्याय ४ में धारा ११ के पूर्व निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :— नयी धारा १०—क का बढ़ाया जाना

"१०—क—(१) जहां किसी कृषक को दी गई किसी वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में कोई राशि उसके देय होने के दिनांक को असंदत्त रह जाय तो वित्तीय सहायता देने वाला बैंक अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को यह आवेदन दे सकेगा कि वह बैंक के पक्ष में प्रभारित जंगम सम्पत्ति या फसल या अन्य उपज का अभिहरण तथा उसकी बिक्री कर के देय राशि की वसूली करे।

उपज तथा जंगम वस्तुओं का अभिहरण और विक्रय

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी आवेदन के सम्बन्ध में परिसीमा अधिनियम, १९६३ के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों ऐसा आवेदन उस उपधारा में अभिदिष्ट राशि की वसूली को कराने के लिये जंगम सम्पत्ति के विक्रय के लिये सिविल न्यायालय में कोई वाद हो।

(३) उपधारा (१) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, तहसीलदार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उक्त उपधारा में अभिदिष्ट सम्पत्ति का अभिहरण तथा उसकी बिक्री करने के प्रयोजनार्थ कार्यवाही विहित रीति से कर सकेगा।

(४) इस प्रकार वसूल की गई कोई राशि, वसूली के व्यय को काटने और सरकारी देयों या अन्य पूर्विक प्रभार को, यदि कोई हों, चुकाने के पश्चात् बैंक को अन्तरित कर दी जायेगी।"

१२—मूल अधिनियम की धारा ११ में— धारा ११ का संशोधन

(क) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें अर्थात् :—

"(१) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कोई अधिकारी (जिसे आगे विहित प्राधिकारी कहा गया है) किसी बैंक के आवेदन पर आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि किसी कृषक को दी गयी वित्तीय सहायता के फलस्वरूप बैंक को देय धनराशि का भुगतान उस भूमि अथवा उसमें किसी हित या अन्य स्थावर सम्पत्ति का, जो ऐसी धनराशि का भुगतान करने के लिये प्रभारित अथवा बन्धकित हो, विक्रय करके किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन विक्रय का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि कृषक पर, देय धनराशि का भुगतान करने के लिये विहित प्राधिकारी द्वारा नोटिस तामील न कर दिया गया हो।

(१-क) उपधारा (१) के अधीन किसी आवेदन के सम्बन्ध में परिसीमा अधिनियम, १९६३ के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों ऐसा आवेदन उक्त उपधारा में अभिदिष्ट राशि की वसूली को कराने के लिये भूमि या उसमें हित या अन्य स्थावर सम्पत्ति की बिक्री के लिये सिविल न्यायालय में कोई वाद हो।"

(ख) उपधारा (४) निकाल दी जाय और सदैव से निकाली गई समझी जायगी।

नई धारा ११-क का बढ़ाया जाना

१३—मूल अधिनियम की धारा ११ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दीजाय, अर्थात्:—

वैयक्तिक प्रतिभूति की दशा में वसूली

"११-क—(१) जहां बैंक द्वारा किसी कृषक को वित्तीय सहायता के रूप में कोई धनराशि प्रदान की जाय और कृषक देय दिनांक को ब्याज सहित धनराशि का भुगतान करने में असफल रहे तो, धारा १०-क और ११ के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक का स्थानीय प्रधान अधिकारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, कृषक द्वारा देय धनराशि का उल्लेख करते हुए कलेक्टर को, विहित रीति से, प्रमाण-पत्र भेज सकेगा।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट प्रमाण-पत्र उस दिनांक से जब प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट धनराशि देय हो जाय, तीन वर्ष के भीतर कलेक्टर को भेजा जा सकेगा।

(३) प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर कृषक से उसमें निर्दिष्ट धनराशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करेगा, और बैंक को देय धनराशि का, वसूली के व्ययों को काटने और किन्हीं सरकारी देयों या अन्य पूर्विक प्रभारों, यदि कोई हो, को चुकाने के पश्चात् भुगतान किया जायगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "कलेक्टर" का तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर से है जहां कृषक साधारणतया निवास करता हो अथवा धारा २ के खण्ड (क) में अभिदिष्ट क्रिया कलाप करता हो अथवा जहां कृषक की कोई जंगम या स्थावर सम्पत्ति स्थित हो, और इसके अन्तर्गत उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है।"

नई धारा १२-क, १२-ख और १२-ग का बढ़ाया जाना

१४—मूल अधिनियम के अध्याय ४ में, धारा १२ के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात् :—

स्थावर सम्पत्ति अर्जित करने और उसका निस्तारण करने के लिये बैंक का अधिकार

"१२-क—(१) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन हते हुए, बैंक को किसी ऐसे भूमि या उसमें हित अथवा किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति को, जिसे कृषक ने अपने को प्रदान की गई किसी वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में बैंक को प्रभारित या बन्धकित किया हो, स्वयं अर्जित करने का अधिकार होगा।

(२) जहां कोई बैंक उपधारा (१) के अधीन कोई भूमि या उसमें हित अथवा कोई अन्य स्थावर सम्पत्ति अर्जित करता है तो वह, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, उतने समय के भीतर जो विहित किया जायगा, किसी कृषक के पक्ष में ऐसी भूमि, उसमें हित या सम्पत्ति का विक्रय द्वारा निस्तारण करेगा।

विधिक प्रतिनिधियों से देयों की वसूली

१२-ख--(१) जहां कृषक को प्रदत्त की गई वित्तीय सहायता से सम्बन्धित देयों के पूर्णतः चुकाये जाने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाय तो धारा १०-क में अभिदिष्ट बैंक या तहसीलदार या धारा ११ में अभिदिष्ट विहित प्राधिकारी या धारा ११-क में अभिदिष्ट कलेक्टर देयों की वसूली के लिये कृषक के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा।

(२) जहां ऐसे विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध वसूली के लिये कार्यवाहियां की जायं तो वे मृतक की केवल उस सम्पत्ति तक जो उन्हें प्राप्त हुई हो और जिसका सम्यक रूप से निस्तारण न किया गया हो, दायी होंगे और ऐसे दायित्व को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ, यथास्थिति, तहसीलदार, विहित प्राधिकारी या कलेक्टर, स्वयं या बैंक के आवेदन पर ऐसे विधिक प्रतिनिधियों को ऐसा लेखा प्रस्तुत करने के लिये, जिसे वह उचित समझे, बाध्य कर सकता है।

प्रतिभूओं से देयों की वसूली

१२-ग--कृषक और उसके विधिक प्रतिनिधियों से देयों की वसूली से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी प्रतिभू से, जिसने किसी कृषक के व्यतिक्रम करने की दशा में उसके दायित्व का निर्वहन करने अथवा किसी वचन का पालन करने के लिये प्रत्याभूति की कोई संविदा की हो, और ऐसे प्रतिभू की विधिक प्रतिनिधियों से, ऐसे देयों की वसूली पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

नई धारा १३-क और १३-ख का बढ़ाया जाना

१५--मूल अधिनियम की धारा १३ के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात् :--

बैंक किसी सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिये पात्र होगा।

"१३-क--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम १९६५, अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी बैंक का किसी सहकारी समिति का सदस्य बनना विधिपूर्ण होगा।

बैंक से उधार लेने के लिये सहकारी समितियों की शक्ति

१३-ख--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ की धारा ६० की कोई बात किसी सहकारी समिति को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ बैंक से उधार लेने के लिये वर्जित न करेगी।"

धारा १५ का संशोधन

१६--मूल अधिनियम की धारा १५ में, उपधारा (१) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण**--किसी सहकारी समिति को दी गई वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में उससे अपने देयों की वसूली के लिये किसी बैंक द्वारा किया गया दावा विवाद समझा जायगा जिसे इस उपधारा के अधीन रजिस्ट्रार को अभिदिष्ट किया जायगा।"

धारा १९ का संशोधन

१७—मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (३) में—

(क) शब्द "यदि किसी बैंक ने" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी बैंक ने" रख दिये जायें।

(ख) निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई ऐसा सदस्य जो उपधारा (२) में अभिदिष्ट किन्हीं कार्यवाहियों का पक्षकार नहीं था, अपने द्वारा समिति को देय ऋण के होने के सम्बन्ध में या उसकी धनराशि के सम्बन्ध में आपत्ति करता है तो उस आपत्ति का विनिश्चय समुचित निष्पादन कार्यवाहियों में किया जायगा।"

धारा २५ का संशोधन

१८—मूल अधिनियम की धारा २५ में, उपधारा (१) में, शब्द "इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वयन करने के लिये नियम" के पश्चात् शब्द "जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में फीस विहित करने के कोई नियम भी हैं", बढ़ा दिये जायें।

अनुसूची का प्रतिस्थापन

१९—मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाय, अर्थात् :—

"अनुसूची"

उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, १९७३ की धारा ६ (१) के अधीन घोषणा

चूंकि, मैं————————(आयु————————वर्ष) ————————आत्मज——— निवासी————————जिला————————,———————— बैंक (————————शाखा) से वित्तीय सहायता के रूप में————————रुपये (————————रुपये) की राशि प्राप्त करने का इच्छुक हूं;

और, चूंकि उपर्युक्त बैंक————————के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता के रूप में मुझे उपर्युक्त धनराशि देने को रजामन्द हैं;

अतएव, मैं, उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, १९७३ की धारा ६ (१) के अधीन यह घोषणा करता हूं और स्वयं को तथा अपने वारिसों और विधिक प्रतिनिधियों को निम्नलिखित शर्तों से आबद्ध करता हूं, अर्थात् :—

(१) मैं, उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, १९७३ की धारा २ (ख) द्वारा यथा-परिभाषित कृषक हूं।

(२) मैं नीचे निर्दिष्ट भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति का भूमिधर/सीरदार/आसामी/सरकारी पट्टेदार/स्वामी हूं अथवा मेरा नीचे निर्दिष्ट भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति में निम्नलिखित हित है—

(३) मैं उपर्युक्त बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये उस बैंक के पक्ष में उक्त भूमि या उसमें हित अथवा अन्य स्थावर सम्पत्ति पर एतद्द्वारा प्रभार सृजित करता हूं।

(४) मैं, वित्तीय सहायता की धनराशि का प्रतिसंदाय बैंक को. . . . . प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित निम्नलिखित रीति से करूंगा————————

(५) यदि मैं ऊपर वर्णित रीति से भुगतान करने में असमर्थ रहता हूं तो प्रभावित संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और मैं बैंक के व्यय तथा अन्य परिव्यय और खर्चों का देनदार होऊंगा।

(६) मैं वित्तीय सहायता की धनराशि केवल इसके पूर्व उल्लिखित प्रयोजनों के ही लिये व्यय करूंगा और उपयोग में लाऊंगा।

(७) इस घोषणा की अन्तर्वस्तुएं मेरी निजी जानकारी में सत्य हैं और इसका कोई भी भाग मिथ्या या गलत नहीं है।

बैंक के पक्ष में प्रभारित भूमि या उसमें हित अथवा अन्य स्थावर सम्पत्ति का वर्णन

गांव का नाम	परगना तथा तहसील का नाम	जिले का नाम	सर्वेक्षण संख्या नगर सर्वेक्षण संख्या		सीमायें		क्षेत्रफल
			गाटा (प्लाट) संख्या	गाटा हिस्सा	दक्षिण पूर्व	उत्तर पश्चिम	हेक्टर

कर निर्धारण		विल्लंगम	अभ्युक्ति, यदि कोई हो
रुपया पैसा	लगभग मूल्य	प्रकार धनराशि	

इसके साक्ष्य में, मैं, श्री————————आज————————वर्ष एक हजार नौ सौ————————मैं————————के————————दिन————————

हस्ताक्षर करता हूं ।

साक्षी

निम्नलिखित की उपस्थिति में उपरिनामांकित द्वारा हस्ताक्षरित तथा परिदत्त—

(१) ————————

(२) ————————

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

समादर सहित उप रजिस्ट्रार को घोषणा के अधीन सृजित प्रभार————————के व्योरों को अपने कार्यालय में अभिलिखित करने के लिये अग्रसारित ।

प्रबन्धक/एजेन्ट

————————बैंक————————

————————स्थान————————

समादर सहित प्रबन्धक/एजेन्ट————————बैंक———————— को वापिस घोषणा के अधीन सृजित प्रभार को यथाविधि दाखिल कर लिया गया है ।

उप रजिस्ट्रार

————————"

उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या १, १९६१ की धारा ३ का संशोधन

२०—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, १९६०, जिसे आगे अधिकतम सीमा अधिनियम कहा गया है, की धारा ३ में, खण्ड (१) निकाल दिया जाय।

धारा ५ का संशोधन

२१—अधिकतम सीमा अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (२) में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(घ) उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, १९७३ की धारा २ के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित कोई बैंक या कोई सहकारी बैंक या कोई सहकारी भूमि विकास बैंक।"

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उद्देश्य और कारण

वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य संस्थागत उधार देने वाली एजेंसियों के माध्यम से कृषि उत्पादन तथा उसके विकास के लिये पर्याप्त उधार प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष, १९७३ में उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम पारित किया गया था किन्तु अधिनियम के कार्यान्वयन में कतिपय विधिक तथा व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आईं। ग्रामीण ऋण व्यवस्था की समस्या जटिल भी है और साथ ही उसमें विविधता भी है। कृषि उधार देने का कार्य करने वाले अनुसूचित बैंकों ने अधिनियम के उपबन्धों में सुधार करने के लिये अनेक सुझाव दिये हैं। भारत सरकार ने भी कुछ संशोधन करने के सुझाव दिये हैं। उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, १९७३ में संशोधन करने के लिये, वर्तमान विधेयक को, बैंकों के प्रतिनिधियों से परामर्श करने, और राज्य सरकार को प्राप्त अन्य सुझावों पर विचार करने के पश्चात् तैयार किया गया है।

तदनुसार यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
वित्त मंत्री।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पी० एम० यू० पी०—एल० १०४ वि० सभा—(३८५)—१९७५—८४५।